आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश

उत्कृष्ट पद्धतियां

दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग

योजना भवन, 9-सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

https://planning.up.nic.in email:dirppd@nic.in

ड्राफ्ट रिपोर्ट

जनवरी, 2024

अनुक्रमणिका

केस सं0	जनपद	उत्कृष्ट पद्धतियां	विभाग	पृष्ठ सं0
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र				
केस-1	अम्बेडकर नगर	खुरपका-मुँहपका टीकाकरण कार्यक्रम	पशुधन	05
केस-2	अमेठी	मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट (MVU)	पशुधन	06
केस-3	बाराबंकी	वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान – 90% मादा संतति की उत्पत्ति	पशुधन	08
केस-4	लखीमपुर खीरी	बनाना फाइबर (केले का रेशा) उत्पादन द्वारा सतत आर्थिक आत्मनिर्भरता	ग्राम्य विकास	10
केस-5	बलरामपुर	गन्ना नर्सरी के रूप में परियोजना का प्रारम्भ	कृषि	12
केस-6	गाजियाबाद	नीली क्रांति (BLUE REVOLUTION) की ओर एक कदम	मत्स्य	15
केस-7	कौशाम्बी	एकीकृत बागवानी विकास मिशन/जिला औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत जी-9 केला पौध उत्पादन हेतु टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	17
केस-8	बिजनौर	जैविक खाद	बेसिक शिक्षा	19
केस-9	बिजनौर	परम्परागत खेती से हटकर ड्रैगन फ्रूट की खेती	कृषि	21
केस-10	इटावा	स्ट्रॉबेरी की खेती	कृषि	23
ग्राम्य विकास				
केस-11	अयोध्या	गोआश्रय स्थलों के लिए एस.एफ.सी. पूलिंग	पशुधन	26
केस-12	अयोध्या	गोवर्धन योजना	पंचायती राज	27
केस-13	प्रयागराज	गौशाला प्रबन्धन	पंचायती राज	28
केस-14	ललितपुर	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	ग्राम्य विकास	30
केस-15	बलरामपुर	"विकास संकुल" की स्थापना	कृषि	32
स्वच्छता एवं साफ-सफाई				
केस-16	सुल्तानपुर	सामुदायिक शौचालय	ग्राम्य विकास	36
केस-17	मिर्जापुर	सेनेटरी पैड निर्माण एवं विक्रय	ग्राम्य विकास	37
जल संसाधन प्रबन्धन				
केस-18	चित्रकूट	विलुप्तप्राय बरूवा नाला के जीर्णोद्धार का कार्य	पंचायती राज	40
केस-19	चित्रकूट	अमृत सरोवर भैरम बाबा तालाब जीर्णोद्वार एवं सुन्दरीकरण का कार्य	पंचायती राज	42
केस-20	हमीरपुर	अमृत सरोवरों का निर्माण/विकास कार्य	ग्राम्य विकास	44
केस-21	सहारनपुर	मनरेगा अंतर्गत कृष्णी नदी पुनरोद्धार तथा कायाकल्प	ग्राम्य विकास	46
केस-22	सोनभद्र	रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	ग्राम्य विकास	48
केस-23	मैनपुरी	आव गंगा एवं काक नदी पुनरोद्धार द्वारा जल संरक्षण	जल संसाधन	50

केस सं0	जनपद	उत्कृष्ट पद्धतियां	विभाग	पृष्ठ सं0
पर्यावरण एवं वन				
केस-24	जालौन	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम वन की स्थापना	ग्राम्य विकास	53
केस-25	महोबा	नेपियर घास का रोपण	ग्राम्य विकास	55
केस-26	मुजफ्फर नगर	हैदरपुर वेटलैंड (Haiderpur Wetland) समृद्ध जैव विविधता (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास	58
केस-27	मैनपुरी	सारस, वेटलैण्ड का गौरव पक्षी	पर्यावरण एवं वन	61
केस-28	बिजनौर	आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से पौधारोपण कराना	बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	63
लघु उद्योग				
केस-29	गोण्डा	अरगा-स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना	ग्राम्य विकास	66
केस-30	उन्नाव	अन्नपूर्णा प्रेरणा महिला लघु उद्योग प्राकृतिक/जैविक पेन्ट उत्पादन इकाई	ग्राम्य विकास	68
लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण				
केस-31	फिरोजाबाद	सुहाग नगरी महिला प्रेरणा केन्द्र	ग्राम्य विकास	71
केस-32	मैनपुरी	मसाला पाउडर उत्पादन एवं पैकेजिंग कार्य	ग्राम्य विकास	74
केस-33	मैनपुरी	आजीविका के विभिन्न आयाम	ग्राम्य विकास	76
केस-34	बिजनौर	महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गन्ने की सिंगल बड/बड चिप विधि से नर्सरी तैयार कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।	कृषि	78
केस-35	वाराणसी	काशी प्रेरणा कैफे	ग्राम्य विकास	81
प्रशासन एवं सुधार				
केस-36	जौनपुर	बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना	ग्राम्य विकास	85
केस-37	फतेहगढ़	भोजन सुधार-कारागार में भोजन सुधार की प्रक्रिया FSSAI से FIVE STAR RATING	कारागार प्रशासन	88
तकनीकी परिवर्तन और नवाचार				
केस-38	मथुरा	उपाय (UPAAY) : नगर निगम, मथुरा द्वारा संचालित पायलेट परियोजना	नगर विकास	91
स्वास्थ्य एवं कल्याण				
केस-39	मुरादाबाद	EzeCheck Device के माध्यम से रक्ताल्पता परीक्षण	स्वास्थ्य	94
केस-40	वाराणसी	वाराणसी जिले में न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण की स्थिति में सुधार"	स्वास्थ्य	97
केस-41	वाराणसी	स्वस्थ्य दृष्टि, समृद्ध काशी	स्वास्थ्य	100
प्राथमिक शिक्षा				
केस-42	पीलीभीत	कला एवं क्राफ्ट के द्वारा गणित विषय को सीखना	बेसिक शिक्षा	104
केस-43	कासगंज	बच्चों का शैक्षणिक विकास	बेसिक शिक्षा	106

केस सं0	जनपद	उत्कृष्ट पद्धतियां	विभाग	पृष्ठ सं0
केस-44	वाराणसी	बुलावा अभियान	बेसिक शिक्षा	112
केस-45	वाराणसी	विद्या शक्ति परियोजना	बेसिक शिक्षा	115

क्षेत्र
कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

केस-1 जनपद-अम्बेडकर नगर: खुरपका-मुँहपका टीकाकरण कार्यक्रम

कार्यान्वयन का स्थान : एफएमडी टीकाकरण केन्द्र
कार्यान्वयन एजेंसी : अम्बेडकर नगर
क्षेत्र : पशुधन
अभ्यास का वर्ष : 2020-2021

पृष्ठभूमि:

गोविंदराज एट अल की एक रिपोर्ट 2021 में, भारत में एफएमडी के कारण कुल कृषि-स्तरीय आर्थिक हानि गंभीर, मध्यम, क्रमशः 2768 मिलियन अमरीकी डालर (INR 221,110 मिलियन), 237 मिलियन अमरीकी डालर (INR 18,910 मिलियन), और कम प्रकोप में 133 मिलियन अमरीकी डालर (INR 10,610 मिलियन) होने का अनुमान लगाया गया था। जनपद अम्बेडकर नगर में रोग का प्रकोप न्यूनतम हो अथवा रोग न हो इसके लिए प्रति वर्ष एफएमडी टीकाकरण के दो चरण पूरे किये जा रहे हैं।

हस्तक्षेप:

उपरोक्त टीकाकरण केंद्र पोषित योजना एनएडीसीपी के तहत किया जा रहा है जो राज्य और जिलों को समय पर कोल्ड चेन बनाए रखने वाले टीके उपलब्ध कराने में मदद कर रहा है। जिले में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 100% गाय एवं भैसों के साथ बकरी, भेड़ को 28.89 लाख टीकाकरण से आच्छादित किया गया

प्रभाव:

समय पर एफएमडी टीकाकरण से पशुओं की उत्पादकता बरकरार रहती है, साथ ही समय की भी बचत होती है, रोगग्रस्त पशुओं के उपचार और देखभाल की लागत भी बचती है। जिले में दूध और मांस का उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है।

मुख्य परिणाम:

गोवंश की उत्पादकता एवं कार्यक्षमता बनी रहती है। किसान अपने उत्पादक कृषि समय के लिए जानवरों की देखभाल से मुक्त हो जाते हैं, जिससे पशुधन और कृषि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है।

विकल्पों को बढ़ाएं:

इस योजना की परिकल्पना इयर टैगिंग और INAPH पोर्टल पर किसान के विवरण के साथ गाय एवं भैसों की जानकारी अपलोड करने के साथ की गई है, जहां कुछ किसान इयर टैगिंग की अनुमति नहीं देने के लिए अनिच्छुक हैं। इसमें फायदा एवं सुविधा दिखाई देने पर किसानों का व्यवहार भी दिन-प्रतिदिन परिवर्तित हो रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

जिले में खुरपका-मुंहपका रोग का एक भी प्रकोप नहीं है, इसलिए किसान अपने गाय, भैस, बकरी एवं भेड़ से सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं।

डॉ0 अरविन्द कुमार सिंह, अपर निदेशक, ईमेल आईडी arvindk1964@gmail.com

केस-2 जनपद - अमेठी: मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट (MVU)

कार्यान्वयन का स्थान : पशु चिकित्सा केन्द्र
कार्यान्वयन एजेंसी : अमेठी
क्षेत्र : पशुधन
अभ्यास का वर्ष : 2020-2021

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार ने "ऑन द स्पॉट" रोग निदान सुविधाएं प्रदान करने, उपलब्ध तकनीकी मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और उपयोग करने, बीमारियों से होने वाले नुकसान को कम करने, समय पर बेहतर प्रजनन सुविधा के माध्यम से उत्पादकता में सुधार करने, ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत करने के उद्देश्य से मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। पशु स्वास्थ्य अवसंरचना और सामान्य पशुओं की बीमारियों और उनके निवारक उपायों के बारे में सामान्य जागरूकता सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने एक लाख पशु आबादी पर एक मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई आवंटित करने का भी निर्णय लिया। पहले चरण में अयोध्या मण्डल को 34 एमवीयू प्राप्त हुई जो क्रियाशील हैं।

हस्तक्षेप:

उपरोक्त योजना केंद्र सरकार की योजना ईएसवीएचडी के तहत चलाई जा रही है, जहां संचालन लागत में 40% बजट राज्य सरकार द्वारा साझा किया जा रहा है, जिससे राज्य और जिलों को मौके पर और समय पर गुणवत्तापूर्ण पशु देखभाल सुविधा प्रदान करने में मदद मिलती है।

प्रभाव:

समय पर पशु देखभाल सुविधाओं से पशु स्वामी स्थल पर समय और लागत की बचत होती है और पशु की उत्पादकता बनी रहती है।

मुख्य परिणाम:

पशु देखभाल सेवाएं केवल एक कॉल की दूरी पर हैं, किसान जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो तुरन्त एमवीयू को किसान के दरवाजे तक नियंत्रित और सक्रिय करता है। अब किसानों को अपने उत्पादक कृषि समय को छोड़कर पशुओं को पास के पशु चिकित्सा देखभाल संस्थान में ले जाने की कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है, जिससे पशुधन और कृषि पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचा जा सकता है।

विकल्पों को बढ़ाएं:

किसानों की ओर से एमवीयू की संख्या बढ़ाने की काफी मांग है। क्षेत्र में 34 एमयूवी में से 50% पूर्व-निर्धारित मार्ग पर और 50% कॉल सेंटर से कॉल पर आपातकालीन मार्ग पर चल रहे हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

एमवीयू सेवाओं की शुरुआत की तारीख से 14 अगस्त, 2023 तक, 34 एमवीयू ने आपातकालीन स्थिति में 9923 मामलों को कवर किया, 6029 गांवों को पूर्व-निर्धारित मार्ग पर कवर किया। उपर्युक्त समय अवधि में कुल 32463 पशुओं का उपचार किया गया।

जिलाधिकारी, अमेठी

केस-3 जनपद - बाराबंकी: वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान – 90% मादा संतति की उत्पत्ति

कार्यान्वयन का स्थान : **कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, बाराबंकी**
कार्यान्वयन एजेंसी : **पशुधन विकास बोर्ड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी**
क्षेत्र : **पशुधन**
अभ्यास का वर्ष : **2019-20**

पृष्ठभूमि:

पारंपरिक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत प्राकृतिक संतुलन के अनुसार 50-50% नर और मादा संतति का उत्पादन होता है। पशु आनुवंशिकी में वैज्ञानिक यांत्रिक रूप से एक्स और वाई क्रोमोसोम के लिंग निर्धारण में सफल हो सके जिससे वीर्य स्ट्रॉ में लगभग 90% एक्स क्रोमोसोम को बनाए रखने में मदद मिली। इससे कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में लिंगयुक्त वीर्य के उपयोग की यात्रा शुरू हुई। यूपी राज्य में राज्य सरकार ने यूएसए स्थित बुल सीमेन सेक्सिंग एजेंसी- एबीएस ग्लोबल के साथ एक अनुबंध किया, जिसने बाबूगढ़ फार्म, हापुड में राजकीय डीप फ्रोजन सीमेन स्टेशन में वीर्य सेक्सिंग इकाई की स्थापना की है।

हस्तक्षेप:

उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है और कार्यक्रम वर्ष 2019 में निर्दिष्ट एजेंसी के साथ अनुबंध के तहत चला गया। यूपी सरकार ने परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन और सेक्सड सीमेन स्ट्रॉ की आपूर्ति के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किया है।

प्रभाव:

इस योजना ने राज्य में कृत्रिम गर्भाधान प्रथा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नया अध्याय खोला है और इस प्रकार 100/- रुपये प्रति एआई के शुल्क पर 90% मादा बछड़े प्राप्त करके पशु मालिकों को लाभ हुआ है, जहां प्रति स्ट्रॉ उत्पादन की लैंडिंग लागत केवल 766/- रुपये है। - राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए उन्हें करीब 87 फीसदी सब्सिडी दी है।

मुख्य परिणाम:

यह गुणवत्तापूर्ण सेवा किसान के दरवाजे पर दी जा रही है और भारत सरकार के एआई कार्यक्रम यानी एनएआईपी के तहत 100/- रुपये की लेवी को छोड़कर निःशुल्क दी जा रही है। किसानों को 90 प्रतिशत मादा बछिया मिल रही हैं। अगस्त, 2023 तक क्षेत्र की प्रगति आवंटित लक्ष्य का 63.77% है।

विकल्पों को बढ़ाएं:

इस योजना को विभिन्न ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम मंच के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार और स्थानीय भाषा (स्थानीय भाषा) में जानकारी के प्रसार की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

90% मादा संतति के उत्पादन के परिणामस्वरूप नर बछड़ों की संख्या कम हो गई है, जिसका कृषि मूल्य अब नगण्य है, वहां किसानों को नर बछड़ों की देखभाल करने से मुक्ति मिल गई है। सड़क और कृषि क्षेत्र में निराश्रित नर बछड़ों की संख्या कम हो जाएगी।

जिलाधिकारी, बाराबंकी।

केस-4 जनपद - लखीमपुर खीरी: बनाना फाइबर (केले का रेशा) उत्पादन द्वारा सतत आर्थिक आत्मनिर्भरता

कार्यान्वयन का स्थान : **ग्राम - समैसा (विकास खण्ड -ईसानगर), ग्राम वसंतापुर खुर्द एवं विचित्र नगर (वि0ख0-पलिया)।**

कार्यान्वयन एजेन्सी : **उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवका मिशन के अर्न्तगत विकास खण्ड ईसानगर एवं पलिया।**

क्षेत्र : **ग्राम्य विकास**

वर्ष : **2020-21**

पृष्ठभूमि:

बनाना फाइबर केले के पौधे से छील का निकाला गया रेशा है जो जूट या सन की तरह होता है। इसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल उत्पाद जैसे हैण्डबैग, चटाई, कपड़े, साड़ी, सोफा, कवर, दरी, फैन्सी कोटी इत्यादि बनाने हेतु कच्चे माल की तरह होता है। इस तरह बनाना फाइबर हेतु केले का तना कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह तना फसल प्राप्त करने के बाद बचा हुआ अवशेष होता है जो पहले उपयोग में नही आता था और खेतों के किनारे सड़ता रहता था। अब इसका उपयोग कर केले के तने को मशीन द्वारा चार भागों में काट कर अलग-अलग कर लिया जाता है इसके बाद मशीन में डालकर बनाना फाइबर तैयार किया जाता है तथा इसे धुल कर एव सुखाकर संरक्षित कर लिया जाता है।

हस्तक्षेप:

बनाना फाइबर बनाने की पृष्ठभूमि तब पड़ी जब मुख्य विकास अधिकारी, श्री अरविन्द सिंह द्वारा 'एक जिला एक उत्पाद''(ओ0डी0ओ0पी0) से प्रेरणा लेते हुये **'एक ब्लाक एक उत्पाद''(ओ0बी0ओ0पी0)** के नवाचार की चर्चा प्रारम्भ की गयी। इसी क्रम में खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि विकास खण्ड ईसानगर में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। अतः केले से सम्बन्धित उत्पाद से यदि स्वयं सहायता समूह को जोड़ा जाये तो बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। खण्ड विकास खण्ड अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ कई चरणों(माह सितम्बर-अक्टूबर, 2020) मे बैठक की गयी तथा इससे आर्थिक सशक्तीकरण के बारे में बताते हुए प्रेरित किया गया तथा स्वयं सहायता समूह की 25-30 गरीब महिलाओं का चयन करते हुए इनको ट्रेनिंग देकर बनाना फाइवर का उत्पाद शुरू कराया गया । तत्पश्चात विकास खण्ड पलिया में भी दो युनिट की स्थापना कर कार्य शुरू काराया गया।

उत्पादन एवं चुनौती:

उत्पादन के लिए प्रेरित करने के उपरान्त मुख्य चुनौती थी उत्पादन हेतु मशीनरी एवं अन्य सुविधाओं को जुटाने की। अतः स्वयं सहायता समूह/ग्राम संगठन को सी0एल0एफ0 से ऋण दिलाया गया था। विभिन्न विक्रेताओं से वार्ता करने के उपरान्त रिद्धि इण्टरप्राइजेज सूरत, गुजरात से नवम्बर, 2020 में मशीनों को मंगवाया गया। मशीन आने से दिसम्बर, 2020

में उत्पादन शुरू हो गया है तथा वर्तमान में एक प्लांट से लगभग 40 किलो रेशा प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है तथा रेशा 150 से 200 रू0 प्रति किलोग्राम विक्रय किया जा रहा है। लैब टेस्टिगं में रेशा उच्च कोटि का पाया गया तथा इण्डिया मार्ट पर भी पंजीयन किया गया है। अबतक कई कम्पनियों से टोकन मिल चुके है जिसमें अल्टमेट प्रा0लि0सूरत, सिद्धार्थ फैबरिक्स पानीपत हरियाण, नवोदी एग्री सोल्यूलेशन दिल्ली, ए0आर0बी0 भदोही, (ओजोन फार्मर) प्रोडयूसर कम्पनी लि0 एवं तथास्तु फार्मर प्रोडयूसर कम्पनी लि0 आदि प्रमुख हैं। बनाना फाइबर इकाई का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। बनाना फाइबर इकाई हेतु खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा समूह शेड मनरेगा योजनान्तर्गत दिया गया है इस शेड में ऑफिस व स्टोर की व्यवस्था की गयी है।

प्रभाव:

स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाना फाइबर की बिक्री लगभग 150 से 200 रू0 पर किग्रा0 की दर से की जा रही है तथा इस मूल्य पर उसे लगभग 50 प्रतिशत मुनाफा प्राप्त हो रहा है। मांग बढने से मुनाफा में भी वृद्धि की सम्भावना है। इस उत्पाद की सततता भी देखी जा सकती है। चूंकि केले का तना किसान काट कर फेंक देता था जिससे दोहरा नुकसान हो रहा था, प्रथम तने से दीमक लगना तथा दूसरे तने को कटवाने का आर्थिक बोझ। अतः बनाना फाइबर उत्पादन से आर्थिक लाभ के साथ साथ उपरोक्त दोनों नुकसानों से निजात मिली है। अतः किसानों से जब सम्पर्क किया गया तो वह सहर्ष केले का तना देने को तैयार हो गये। अतः कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता एवं पर्यावरण अनुकूलता से सतत रूप से इस उत्पादन की मांग की अपार सम्भावना बनी हुई है। विकास खण्ड पलिया में थारू जनजाति की महिलाओं द्वारा बनाना फाइबर द्वारा हस्तशिल्प निर्माण कर लाभ अर्जित किया जा रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में बनाना फाइबर उत्पादन को वेस्ट से बेस्ट की ओर जाने वाला कदम करार देते हुये कार्यरत दीदियों का उत्साहवर्धन किया है। इस तरह खण्ड विकास अधिकारी श्री अरूण कुमार सिंह की प्रेरणा तथा नवाचार द्वारा मिशन शक्ति के तहत सोच एवं सार्थक प्रयास के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मजबूती से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं तथा ब्लाक का यह उत्पाद जिला एवं प्रदेश की सीमा पार कर मजबूती से बाजार की ओर कदम बढ़ा रहा है।

भविष्य एवं संभावनाएं:

- रेशे से कागज एवं हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण
- जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक का उत्पादन
- जनपद स्तर पर अनेक ईकाइयों की स्थापना
- रेशे से हैण्डलूम उत्पाद
- प्रदेश स्तर पर इकाईयों की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन की वृहत संभावना
- केले से सम्बन्धित अन्य उपउत्पाद जैसे चिप्स इत्यादि

श्री अरूण कुमार सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, ईसानगर, खीरी, मो0नं0-8081508210 ईमेल: issanagarbdo1@gmail.com

केस-5 जनपद-बलरामपुर: गन्ना नर्सरी के रूप में परियोजना का प्रारम्भ

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद बलरामपुर के 07 विकास खण्ड
कार्यान्वयन एजेंसी : जिलाधिकारी, बलरामपुर
क्षेत्र : कृषि
अभ्यास का वर्ष : 2020-21

पृष्ठभूमि:
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद बलरामपुर के 07 विकास खण्डों में आजीविका एवं आय सृजन को बढ़ावा देने के उददेश्य से **गन्ना नर्सरी** के रूप में परियोजना का प्रारम्भ किया गया। माह सितंबर 2020 में इस परियोजना हेतु 60 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का चिन्हांकन किया गया, इस स्वंय सहायता में 700 महिलाएं थी। इस परियोजना का मुख्य उददेश्य ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करना, नई तकनीकों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि करते हुए गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करना था।

हस्तक्षेप

1. **स्वंय सहायता समूह का चिन्हांकन:** पहले वर्ष में परियोजना के अन्तर्गत 700 महिलाओं वाले 60 स्वंय सहायता समूहों का चिन्हांकन किया गया तत्पश्चात दूसरे वर्ष 1237 परिवारों को सम्बद्ध किया गया फलत: स्वंय सहायता समूह की संख्या बढ़कर 90 की गयी।

2. **प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य विभागों के साथ अभिसरण (Convergence):**
   - **गन्ना विभाग/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया गया। स्वंय सहायता समूहों को राज्य अनुदान के उपयोग से चीनी मिलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नि:शुल्क कीट-प्रतिरोधी बीज एवं मशीनरी उपलब्ध करायी गयी।
   - **कृषि विभाग/कृषि विज्ञान केन्द्र:** कृषि विभाग द्वारा जागरूकता का संचार करते हुए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई।
   - **बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता:** स्वंय सहायता समूहों को केन्द्र की क्रेडिट-कम-सब्सिडी योजना (Credit-cum-Subsidy Scheme-CCL) से रु. 1.00 लाख प्रति स्वंय सहायता समूह उपलब्ध कराया गया, इसके अन्तर्गत Non-performing assets (NPAs) का कोई दृष्टान्त नहीं था।

3. **औसत इनपुट लागत एवं लाभप्रदता:**
   - रु. 3.00 प्रति अंकुर औसत लागत आई, जिसमें पॉलिथीन ट्रे, गन्ने के बीज, मिश्रण, उर्वरक /कीटनाशक एवं श्रम शुल्क सम्मिलित थे।
   - स्वंय सहायता समूहों ने प्रत्येक अंकुर को रु. 3.50 में विक्रय किया, परिणामस्वरूप रू. 1.80 से रु. 2.00 प्रति पौधे की दर से औसत लाभ हुआ।
   - इस प्रकार प्रति सीजन प्रति महिला की रु. 6,000 से रु. 7,000 औसत आय प्राप्त हुई।

प्रभाव:

1. **दोहरी फसल को प्रोत्साहनः** किसानों को गन्ने की नर्सरी के पौधों को दोहरी फसल के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे आय में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए गेंदे की दोहरी फसल को बढ़ावा दिया गया।
2. **नई नर्सरी की स्थापना:** परियोजना को विस्तारित करने हेतु कटाव के माध्यम से नर्सरी, गेंदे के फूल की खेती एवं थाई अमरूद सहित विविध प्रकार के पौधों की नर्सरी स्थापित की गईं।
3. **जैविक खेती को बढ़ावा:** इस परियोजना ने जैविक खेती एवं इसके प्रमाणन को बढ़ावा दिया गया। जैविक खाद के साथ ही जैविक आदानों तथा रोगमुक्त स्वस्थ गन्ने के बीज का उपयोग करने पर बल दिया गया।
4. **उप-उत्पाद उपयोगः** गन्ने की नर्सरी से निकलने वाले कचरे का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए गुड़, सिरका एवं चीनी का उत्पादन किया गया, जिससे अतिरिक्त आय का सृजन हुआ।

मुख्य परिणाम:

1. **अंकुरण में वृद्धि**: सामान्य विधि की अपेक्षा बड चिप प्रणाली (bud chip method) अपनाने से 30-40% की तुलना में 60-70% अंकुरण दर में सुधार परिलक्षित हुआ।
2. **उच्च गुणवत्ता वाले बीज:** COS-13235, COKL-14201 एवं CO-15023 जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग उत्पादन में वृद्धि तथा अपशिष्ट को कम करता है।
3. **बीज का कुशल उपयोग**: पारम्परिक विधि के अन्तर्गत 60 कुन्तल बीज की तुलना में नई विधि के उपयोग से प्रति हेक्टेयर मात्र 25 कुन्तल बीज की आवश्यकता हुई।
4. **कौशल विकास एवं वित्तीय स्वतंत्रता:** परियोजना के प्रारम्भ होने से कौशल विकास के अवसर सृजित हुए तथा इस नवीन पद्धति (New Practice) ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करते हुए महिलाओं को सशक्त में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। गेंदे की खेती, सब्जियों का उत्पादन एवं डेयरी फार्मिंग जैसी समान परियोजनाओं हेतु क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वे आय सृजित करने में पूर्णत: सक्षम हो सकीं।
5. **आजीविका का सृजन:** इस परियोजना के माध्यम से गन्ना नर्सरी क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं हेतु आजीविका के अवसरों का सफलतापूर्वक सृजन हुआ।
6. **स-समय ऋण भुगतान**: स्वयं सहायता समूहों द्वारा नियमित रूप से किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप स-समय ऋण का भुगतान करते हुए आत्मनिर्भरता का परिचय दिया गया।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

- जनपद बलरामपुर के शेष विकास खण्डों एवं अन्य जनपदों में परियोजना का विस्तार।
- प्रदेश के अन्य गन्ना उत्पादक जनपदों/विकास खण्डों/ग्रामों में आवश्यकतानुसार परियोजना की प्रतिकृति (Replication)
- सम्बन्धित विभागों एवं स्टेकहोल्डर्स को सम्बद्ध करते हुए उनका सहयोग प्राप्त करना तथा संसाधनों में वृद्धि सुनिश्चित करना।
- स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के साथ सम्बन्धों का सुदृढ़ीकरण।

सारांश:

जनपद बलरामपुर में गन्ना नर्सरी परियोजना के माध्यम से आजीविका एवं आय सृजन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर प्रदान करना तथा गन्ने की खेती में उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। स्वंय सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना, तकनीकी सहायता एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए परियोजना के माध्यम से गन्ने के बीज की अंकुरण दर में सफलतापूर्वक वृद्धि प्रदान की। इसके साथ ही बीज की गुणवत्ता में सुधार भी सुनिश्चित हुआ। जैविक खेती को प्रोत्साहित करते हुए उप-उत्पादों के उपयोग से अतिरिक्त आय का सृजन हुआ। परियोजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया गया तथा महिलाओं के प्रति वित्तीय स्वतंत्रता के सृजन के साथ ही स-समय ऋण के भुगतान सुलभता सुनिश्चित हुई। इस परियोजना की सफलता के माध्यम से परियोजना को प्रोत्साहित करने तथा अन्य क्षेत्रों में इसके दोहराव (Replication) के द्वार खोलने के रास्ते प्रशस्त किए हैं।

सीख:

- कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण से सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं।
- आजीविका परियोजनाओं की सफलता हेतु तकनीकी मार्गदर्शन, अन्य विभागों के साथ अभिसरण (Convergence) तथा वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण है।
- नवीन तकनीकों एवं पद्धतियों के अनुपालन से उत्पादकता एवं लाभप्रदता में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।
- उप-उत्पादों के उपयोग एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने से स्थिरता एवं आय सृजन के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।
- स्टेकहोल्डर्स के साथ सहयोग एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग सफल परियोजनाओं को वृहद स्तर पर कार्यान्वित करने एवं उनकी प्रतिकृति (Replication) हेतु महत्वपूर्ण कारक है।

जिलाधिकारी, बलरामपुर

केस-6 जनपद-गाजियाबाद: नीली क्रांति (BLUE REVOLUTION) की ओर एक कदम

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद गाजियाबाद
कार्यान्वयन एजेंसी : मत्स्य पालन विभाग
क्षेत्र : ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष : 2021-2022

पृष्ठभूमि:
जनपद गाजियाबाद में **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)** के अन्तर्गत **मत्स्य पालन पहल** का प्रारम्भ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन का विकास, प्रबंधन एवं जनसंचार करना है। यह पहल जनपद में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने वाली **नीली क्रांति** (**BLUE REVOLUTION**) की दिशा में एक कदम है। मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को सहयोग प्रदान करने हेतु कई इंटरवेंशन्स का क्रियान्वयन एवं प्रदेश सरकार की ओर से सहायता प्रदान की गयी है।

हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन):

1. मत्स्य पालन हेतु 62 तालाबों की स्थापना की गई। माइक्रोबियल तकनीक का उपयोग करते हुए पानी की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बायोफ्लोक तालाब स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही पानी के पुन: उपयोगी बनाने तथा स्थिरता बनाए रखने के उददेश्य से 02 रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम (Recirculating Aquaculture System) का स्थापन किया गया। मत्स्य उत्पादों के उचित संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु कोल्ड स्टोरेज एवं मछलियों हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने हेतु 2 फीड मिलों की स्थापना की गई। मत्स्य विक्रय को प्रोत्साहित करने हेतु 02 लाइव फिश वेंडिंग व्हीकल की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। इस प्रकार जनपद में जल पर्यटन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया।
2. **प्रदेश/जनपद स्तरीय सहायता:** मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने हेतु मत्स्य विभाग की भूमि को 10 साल हेतु लीज पर तथा निजी भूमि की पटटे पर उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी। किसान क्रेडिट कार्ड (के0सी0सी0) वित्तीय समझौतों के माध्यम से सुलभ ऋण प्रावधान की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी। मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मत्स्य उत्पादों की पहुंच में वृद्धि हेतु वैकल्पिक बाजारों को सम्बद्ध किया गया। इसके साथ ही विभागीय हैचरी से मत्स्य बीज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी। मत्स्य भोजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अन्य राज्यों से फ़ीड लिंकेज की व्यवस्था की गयी। खेती एवं उससे सम्बद्ध गतिविधियों हेतु रू. 5.00 लाख का बीमा कवर एवं किसान दुर्घटना बीमा का लाभ भी प्रदान किया गया।

प्रभाव:
किसानों के वृहद सम्बद्धन, उच्च उत्पादन स्तर, बेहतर उत्पादकता एवं जल निकायों के विस्तार से मत्स्य उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव के संकेत प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसरों एवं प्रति किसान आय सृजन में महत्वपूर्ण वृद्धि सामाजिक-आर्थिक लाभों को प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज एवं मत्स्य भोजन जैसे बुनियादी ढांचों की स्थापना ने समग्र मूल्य श्रृंखला एवं बाजार कनेक्टिविटी में वृद्धि की है।

मुख्य परिणाम:
मत्स्य पालन क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में किसानों की संख्या में 80.39% तथा कुल बायोमास उत्पादन में 158.24% की वृद्धि हुई जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में 25% की वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी प्रकार मत्स्य पालन हेतु

समर्पित जल निकायों में यह वृद्धि 106.59% परिलक्षित हुई। परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में 200% की बढ़ोत्तरी हुई। इसके साथ ही प्रति लाख/हेक्टेयर के अन्तर्गत प्रति किसान आय में 127.78% की वृद्धि हुई। मत्स्य पालन के प्रोत्साहन के सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए। बीज भण्डारण (fingerling) 244.32% बढ़कर 3.18 लाख से 7.52 लाख हो गया।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

जनपद गाजियाबाद में मत्स्य पालन क्षेत्र को सुदृढ़ीकृत करने हेतु निम्नलिखित प्रयासो की ओर ध्यानाकर्षण किया गया:-

- फिश दवाई एवं फिश गुरु नामक समर्पित ऐप्स का विकास एवं नियमित संचालन सुनिश्चित किया गया।
- फिश ऑन व्हील्स, फार्म-टू-फोर्क मछली आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यम इकाई का परिचय दिया गया।
- मत्स्य तालाबों पर एक्वा टूरिज्म, बोटिंग एवं रेस्तरां जैसी अतिरिक्त गतिविधियां सुनिश्चित की गयीं।
- मत्स्य विक्रय हेतु आधुनिक फुटकर दुकानों की स्थापना की गयी।
- जीवित मछली के विक्रय हेतु वैकल्पिक बाजारों की पहचान सुनिश्चित की गयी।
- किसानों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया।
- पीएमएमएसवाई के तहत सब्सिडी के लिए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को एक शर्त बनाना।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (**PMMSY**)** के अन्तर्गत सब्सिडी के पश्चात परियोजनाओं के पर्याप्त ऑडिट एवं व्यवहार्यता जांच (viability checks) का कार्यान्वयन किया गया।
- नीतिगत इंटरवेंशन्स एवं अन्य सुधार हेतु प्रतिक्रियाएं (**Feedback**) प्राप्त किए गए।
- वाणिज्यिक से कृषि प्रयोजन के लिए विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।

सारांश:

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में मत्स्य पालन की पहल के परिणामस्वरूप सम्बद्ध किसानों, बायोमास उत्पादन, उत्पादकता, जल निकायों, रोजगार एवं किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एवं मार्केट लिंकेज की स्थापना से इस क्षेत्र को उत्तरोत्तर और बढ़ाया है। इन सकारात्मक परिणामों को बनाए रखने एवं विस्तारित करने हेतु भविष्य की योजनाओं में नई तकनीकों, उद्यम इकाइयों एवं बाजार विकास रणनीतियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

सीख:

1. प्रदेश सरकार की ओर से सहयोग एवं पहल किसी विशिष्ट क्षेत्र की वृद्धि एवं उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिसका एक उदाहरण मत्स्य पालन के रूप में उभर कर आता है।
2. आधुनिकतम तकनीकों के उपयोग, किसानों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप किसानों के सम्बद्धन, उत्पादन एवं उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई।
3. मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के विस्तार एवं विविधीकरण से विकास एवं आय सृजन को नई दिशा प्राप्त हो सकती है।
4. एक्वा टूरिज्म, आधुनिक फुटकर मछली की दुकानों की स्थापना, सूचना एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन हेतु समर्पित ऐप के विकास जैसी पहलें उद्योग में नवाचार एवं उद्यमिता की क्षमता का प्रदर्शन करती हैं।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद

केस-7 जनपद-कौशाम्बी: एकीकृत बागवानी विकास मिशन/जिला औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत जी-9 केला पौध उत्पादन हेतु टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना

कार्यान्वयन का स्थान : चिल्लाशहबाजी, सैयद सरावां, कौशाम्बी, उ0प्र0
कार्यान्वयन एजेंसी : प्रथम इण्टरप्राइजेज, प्रीतम नगर, प्रयागराज
क्षेत्र : उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
अभ्यास का वर्ष : 2023-24

पृष्ठभूमि

जनपद कौशाम्बी में लगभग 7 हजार हेक्टयर से अधिक क्षेत्रफल में केले की खेती की जाती है। अत्यधिक उत्पादन होने के कारण जनपद कौशाम्बी से देश के पांच राज्यों में (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, दिल्ली) केले का निर्यात किया जाता है। कृषकों के मध्यम से उच्च गुणवत्ता युक्त एवं कम दर पर पौध उपलब्ध कराने हेतु निजी क्षेत्र में टिश्यूकल्चर लैब की स्थापना की गयी है।

हस्तक्षेप

प्रयोगशाला में पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक रसायनिकों का प्रयोग।

प्रोजेक्ट विवरण/तकनीकी एवं वैज्ञानिक पक्ष

उपरोक्त लैब की पौध उत्पादन की क्षमता 30 लाख पौधों की है। प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट की लागत 2.83 करोड़ रूपये है, जिस पर उद्यान विभाग उ0प्र0 द्वारा एक करोड रूपये अनुदानित है।

टिश्यूकल्चर लैब में जीवाणुहीन विधा का प्रयोग किया जाता है, जिसे 100000 जीवाणुहीन स्थित पर नियंत्रित किया जाता है, जिसके कारण गुणवत्तायुक्त पौध तैयार होती है। अतः केले में लगने वाली बीमारी यथाः- बनाना ब्रुम्ची टाप वायरस, मोजैक वायरस, स्टेरैक वायरस, कुकुम्बर वायरस इत्यादि से पूर्ण बचाव होता है। लैब में प्रयोग की जाने वाली मशीनरी आटोक्लेव, लैमिनर एयरफ्लो, वेटिंग बैलेंस, ग्रोथ रैक्स, तापमान नियंत्रक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है।

रोजगार सृजन

वर्तमान में टिश्यूकल्चर लैब से 75 लोगों को प्रत्यक्ष एवं 125 लोगों को अप्रत्यक्ष (कुल 200) रोजगार प्राप्त होगा।

मुख्य परिणाम

कृषकों के मध्य जागरूकता फैलेगी, जिससे वह परम्परागत एवं कम उत्पादन वाले केले के पौधे लगाने के बजाय, लैब द्वारा तैयार अत्याधिक उत्पादन वाला जी-9 पौध लगा सकेंगे। वर्तमान में प्रदेश के बाहर की कम्पनियों द्वारा प्रति पौध रू0 16 से 20 तक दी जाती है, परन्तु अब कृषक पौध को कम दर पर एवं तत्काल प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कृषकों के आय में वृद्धि होगी।

सारांश

जनपद कौशाम्बी में केले की खेती अत्याधिक होती है। और कृषकों को प्रदेश के बाहर से जी-9 के पौध खरीदने पड़ते हैं, जिससे अत्याधिक व्यय होता है। परन्तु अब सम्भावना है कि कृषकों को अब कमव्यय कीमत पर पौध प्राप्त होगें।

अवधेश मिश्र, प्रभारी उद्यान अधिकारी, कौशाम्बी, मो0नं0- 9455550883 ईमेल आईडी- dhokaushambi@gmail.com

केस-8 जनपद-बिजनौर: जैविक खाद

कार्यान्वयन का स्थान : ग्राम मौ0पुर सादा, विकास खण्ड अल्हैपुर-धामपुर, जनपद-बिजनौर
कार्यान्वयन एजेंसी : शक्ति समूह
क्षेत्र : उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिजनौर
अभ्यास का वर्ष : 2021-22

पृष्ठभूमि

उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड धामपुर, ग्राम पंचायत मौ0 पुर सादा के शक्ति स्वयं सहायता समूह, इनके साथ ही विकास खण्ड किरतपुर/अफजलगढ़/ बुढ़नपुर-स्योहारा/नेहटौर/नूरपुर/मो.देवमल/ कोतवाली में "जैविक खाद" का उत्पादन महिला समूहों द्वारा किया जा रहा है।

बढ़ती जनसंख्या व जलवायु परिवर्तन के कारण भारत जैसे कृषि प्रधान देश को भी खेती के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बदलते समय के साथ कृषि की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जैविक खाद सबसे अच्छा विकल्प है। जैविक खाद से न केवल उत्पादकता में सकारात्मक असर देखने को मिलता है बल्कि पर्यावरण भी अनुकुल बना रहता है। जिससे किसान भाई अपनी कृषि उपयोग में लायी जाने वाली जमीन की उर्वरकता बनाए रखने में सक्षम रहेंगे।

जैविक खेती या खाद का तात्पर्य यह है कि खेती के साथ – साथ पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना कर रखना। यानि की खेती के लिए ऐसी तकनीक उपयोग करना जिसका प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

जैविक खाद के उपयोग से न केवल जमीन की उर्वरता बढ़ती है बल्कि उसमें पायी जाने वाली नमी के कारण सूखे की समस्या भी हल हो जाती है। इतना ही नहीं घटते भूजल के लिए भी जैविक खेती एक वरदान है। क्योंकि जैविक खाद के इस्तेमाल से मित्र कीट संरक्षित होते है औऱ भूजल धारण क्षमता बढ़ने लगती है।

एक अनुमान के अनुसार किसान अपनी उत्पादित फसल का 25-40 प्रतिशत ही उपयोग कर पाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 600 मिलियन टन कृषि अवशेष पैदा होता है, इसमें से अधिकांश अवशेषों को किसान अगली फसल हेतु खेत तैयार करने के लिए खेत में ही जला देते हैं जबकि इसका उपयोग जैविक खाद को तैयार करने के लिए आसानी से किया जा सकता है। जैविक खेती में हम कंपोस्ट खाद के अलावा नाडेप, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद, नीम खली, लेमन ग्रास एवं फसल अवशेषों को शामिल करते हैं।

हस्तक्षेप

जैविक खाद के उत्पादन से सामाजिक या आर्थिक बिन्दुओं को इंगित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिलाओं को आर्थिक, स्वावलम्बन किया जा रहा है तथा महिलाओं द्वारा पर्यावरण को बचाये जाने का एक विशेष प्रयास किया जा रहा है। खेती में प्रयोग होने वाली रसायनिक दवाईयों के कारण मानव शरीर/पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे कई प्रकार की बीमारियां होने की सम्भावना होती है, जैविक खाद के प्रयोग से इन समस्त समस्याओं से मानव जाति एवं पर्यावरण से बचाया जा सकता है।

प्रभाव

जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्तर से एक विशेष मुहिम चलाया जा रहा है, जिससे कि खेती में प्रयोग होने वाली रसायनिक दवाईयों से मानव शरीर/पर्यावरण को होने वाले दुषप्रभाव से बचाया जा सके। जनपद एक हरित क्षेत्र है तथा उपजाऊ भूमि है। जिससे जनपद की भूमि पर खेती करना कठिन नहीं है, उ0प्र0 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्डों में गठित समूह की महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के द्वारा जैविक खाद का प्रयोग कर भूमि को रसायनिक दवाईयों के दुष्प्रभाव से बचाया जा रहा है।

जैविक खाद के लाभ

इससे मिट्टी की भौतिक व रसायनिक स्थिति में सुधार होता है। उर्वरक क्षमता बढ़ती है। सूक्ष्म जीवों की गतिविधि में वृद्धि होती है। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है जिससे पौधे की जड़ों का फैलाव अच्छा होता है। मृदा अपरदन कम होता है। मृदा तापमान व नमी बनी रहती है।

मुख्य परिणाम

उ0प्र0 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्डों में गठित समूह की महिला किसान द्वारा जैविक खाद का प्रयोग कर भूमि को रसायनिक दवाईयों के दुष्प्रभाव से बचाया जा रहा है तथा खेती में भी बढ़ोतरी की जा रही है। समूह की महिला किसान स्वयं को आजीविका संबर्द्धन करने का कार्य कर रही है। जो किसान जैविक खेती अपना रहे हैं वे पहले से अधिक सुखी व निरोगी हो गये हैं। जैविक खाद रासायनिक खाद का ही विकल्प है। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ इसके प्रयोग से पर्यावरण को भी प्रदूषणमुक्त बनाया जा सकता है।

विकल्पों को बढ़ाएं

जनपद के 10 विकास खण्डो में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जैविक खाद्य के प्रयोग पर कार्य कराया जा रहा है एवं विकास खण्ड अफजलगढ़ में ''वन ब्लॉक वन प्रोजक्ट'' के अर्न्तगत 105 समूह सदस्यो को चिह्नाकंन करके प्रशिक्षण संस्थान पी0एन0बी0 आर0से0टी0 हल्दौर के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जायेगा, जिससे कि जनपद में कृषि कार्य हेतु जैविक खाद के प्रयोग पर बढावा दिया जा सकें।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

भविष्य में जैविक खेती को बढ़ावा देकर महिला किसान को सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक सुधार सामाजिक तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ महिला आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सके।

जिलाधिकारी, बिजनौर

केस-9 जनपद-बिजनौर: परम्परागत खेती से हटकर ड्रैगन फ्रूट की खेती

कार्यान्वयन का स्थान : ग्राम उमरी, नहटौर, जनपद बिजनौर
कार्यान्वयन एजेंसी : श्री ऋतुराज सिंह, ग्राम ऊमरी वि0ख0 नहटौर जनपद बिजनौर
क्षेत्र : कृषि
अभ्यास का वर्ष : 2019-20

पृष्ठभूमि

कृषक श्री ऋतुराज सिंह, ग्राम ऊमरी वि0ख0 नहटौर जनपद बिजनौर के किसान है, जिन्होने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा जी0आई0सी0 कालेज से की। तत्पश्चात् नागपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात मे यान मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी मे काम करने का मौका मिला। तत्पश्चात् ग्रेटर नोएडा स्थित नान वूवन फैब्रिक की एक कम्पनी नोवोटेक टैक्सटाइल प्रा0 लि0 मे इलैक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट का एच0ओ0डी0 के पद पर कार्य किया। कृषक ऋतुराज को बचपन से ही अपने गांव व खेतों से विशेष लगाव रहा है। प्रत्येक वर्ष गर्मियों की छुट्टियों मे गांव आकर अपने पिताजी के साथ खेतों मे काम करना अच्छा लगता था।

हस्तक्षेप

ऋतुराज के पिता श्री राजेन्द्र सिंह पहले से ही एक प्रगतिशील कृषक रहे हैं जो कि काले चावल, सतावर, हल्दी एवं काले गेंहू की जैविक खेती कर रहे थे उस दौरान भी ऋतुराज द्वारा अपने पिताजी की नये बीज खोजने व उसे मंगवाने मे मदद करता था उसी दौरान महामारी के रूप मे कोविड-19 ने पूरे विश्व मे हाहाकार मचा दिया उस समय ऋतुराज को अपने गांव मे आकर रहने का मौका मिला, जिसके दौरान उन्हे खेती के बारे मे काफी कुछ सीखने का मौका मिला और अपने पिता से प्रभावित होकर उन्होने खेती मे ही कुछ नया करने की ठान ली। इस इरादे के साथ उन्होने जैविक खेती, सहफसली व ड्रैगनफ्रूट की खेती करने का फैसला लिया।

प्रभाव

उक्त ड्रैगनफ्रूट की खेती के अच्छे प्रभाव को देखते हुए किसान ऋतुराज स्वयं इसके क्षेत्रफल को बढाने का प्रयास कर रहे हैं साथ ही अन्य आस पास के गांव के किसान भी ड्रैगनफ्रूट की खेती से प्रभावित हो रहे हैं। ड्रैगनफ्रूट नम और गर्म जलवायु का पौधा है अधिकतम 40 डिग्री तापमान और न्यूनतम 10 डिग्री तापमान तक इस पौधे के लिये लाभप्रद होता है इसके लिये लगभग 7.8 पी0एच0 मान वाली मिट्टी उपयुक्त होती है साथ ही जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। इसके पौधे की पौध कलम से लगाने पर 2 वर्ष मे पैदावार देना शुरू कर देता है, जबकि बीज से पैदावार देने मे 4 से 5 साल लग जाते हैं सर्दियों के मौसम मे माह मे 2 सिंचाई जबकि गर्मियों मे माह मे 3 से 4 सिंचाई करनी पड़ती है।

परिणाम

ऋातुराज ने एक एकड़ जमीन मे आर्गेनिक ड्रैगनफ्रूट की खेती के साथ ही सहफसली के रूप में गन्ना व लाल केला की खेती की भी शुरूआत की, जिसके परिणामस्वरूप उन्होने वर्ष 2020-21 मे 1.75 लाख, वर्ष 2021-22 मे 4 लाख, 2022-23 मे 8.25 लाख रू0 का टर्नओवर किया। साथ ही वर्ष 2020-21 मे 445 मानव दिवस, वर्ष 2021-22मे 820 मानव दिवस एवं वर्ष 2022-2 मे 1200 मानव दिवस रोजगार सृजन किया। ड्रैगनफ्रूट

की फसल मे एक बार लागत लगाने के बाद इससे 25 वर्षो तक आमदनी ले सकते हैं। प्रति एकड़ 400 खम्भे व प्रत्येक खम्भे पर 4 पौधे लगाये जाते है। इस प्रकार एक एकड़ में 1600 पौधे लगाये जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

जनपद के जिलाधिकारी महोदय श्री उमेश मिश्रा जी द्वारा ऋतुराज को प्रगतिशील किसान के रूप मे पुरस्कार देकर पुरूस्कृत किया गया इसके अतिरिक्त ड्रैगनफ्रूट की खेती के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनि0 मोदीपुरम मेरठ में 29 वें कृषि विज्ञान केन्द्र कार्यशाला मे भी पुरूस्कृत किया गया।`

श्री जसवीर सिंह तेवतिया, जिला कृषि अधिकारी, मो0न0 8630128703 Email Id -bijnordao@gmail.com

केस-10 जनपद-इटावा: स्ट्रॉबेरी की खेती

कार्यान्वयन का स्थान : जिले के 6 ब्लॉक (अधिकांशतः जसवन्तनगर ब्लॉक में)
कार्यान्वयन एजेंसी : स्वयं सहायता समूह (एनआरएलएम) की महिला किसान
क्षेत्र : कृषि
अभ्यास का वर्ष : 2022-23

पृष्ठभूमि

कृषि क्षेत्र में समूह की महिलाओं के बीच आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनआरएलएम इटावा ने स्ट्रॉबेरी की खेती की अनूठी पहल की है। स्ट्रॉबेरी ठंड के मौसम की फसल है, मल्चिंग वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके समूह की महिलाओं ने सफलतापूर्वक प्रति आधा एकड़ 2.6 लाख का मुनाफा अर्जित किया है। स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में विवरण निम्न है:-

स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिट्टी की आवश्यकता

स्ट्रॉबेरी का पौधा सूखी रेतीली मिट्टी में सबसे अच्छा विकास करता है। अत्यधिक जल भराव वाली मिट्टी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पीएच 5.5 - 7 के बीच आदर्श है। इटावा में सामान्यतःपीएच 7.0 – 8.5 के बीच रहता है। मृदा एसएचजी के पीएच स्तर को नियंत्रित करने के लिए किसान गोबर की खाद का उपयोग कर रहे हैं। इस फसल के लिए 20-30 डिग्री तापमान उपयुक्त होता है. जैसे-जैसे तापमान बढ़ता है, पौधों और पैदावार पर असर पड़ता है।

खेती का तरीका

खेत में गोबर की खाद डालकर 3-4 बार जुताई की जाती है, ताकि पौंधो की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व, हवा एवं पानी प्राप्त हो सके। जुताई के बाद खेत में 3.5 फुट चौड़ी पैरा बनाई जाती है, जिसपर वातावरण की स्थिति को नियत्रिंत करने हेतु मल्चिंग का प्रयोग किया जाता है। मल्चिंग में 1 से 1.25 फीट की दूरी पर छेद कर 25 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच स्ट्रॉबेरी के पौधों का रोपण किया जाता है। रोपण के पश्चात हल्की सिचांई की जाती है। समय समय पर आवश्यकतानुसार कीटनाशक व फंफूदी नाशको का छिड़काव किया जाता है। स्ट्रॉबेरी की फसल में उर्वरकों को सिचांई के साथ दिया जाता है। 15 फरवरी के बाद तापमान बढ़ने की दशा में हरी जाली (50% छिद्र वाली) द्वारा छाया प्रदान कर तापमान को कम कर उत्पादन की अवधि बढ़ायी जा सकती है। फलों को तोड़ने के बाद छिद्र युक्त डिब्बों में पैक कर बाजार में बेचा जाता है।

मनरेगा से अभिसरण करते हुए वैज्ञानिक विधि से स्ट्रबैरी की खेती जनपद के 06 विकास खण्डों (बढ़पुरा, बसरेहर, भरथना, जसवंतनगर, महेवा एवं सैफई) में 12 समूहों के 20 सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विकास खण्ड जसवंतनगर के नगला भिखन ग्राम में श्री कृष्णा स्वयं सहायता समूह के सदस्य श्रीमती मंत्रवती द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती में उत्कृष्ट कार्य किया गया है।

प्रभाव

स्ट्रॉबेरी की खेती कर समूहों को लागत का लगभग 50 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त हुआ है,जिससे समूह की महिलाओं की आय में न केवल दोगुनी वृद्धि हुई है बल्कि समाज में उन्नतशील किसान के रूप में उचित स्थान

प्राप्त हुआ है, जिससे प्रभावित होकर 38 प्रगतिशील किसानों द्वारा आगामी फसल को उगाने हेतु इच्छा व्यक्त की है।

मुख्य परिणाम

स्ट्रॉबैरी की खेती सामान्यतः ठण्डे तापमान वाले क्षेत्रों में की जाती है। जनपद इटावा में मल्चिंग के द्वारा अनुकूलित वातावरण स्थापित कर खेती की जा रही है, जिसमे लगे लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है एवं अन्य समूह भी प्रेरित होकर स्ट्रॉबैरी की खेती करने के इच्छुक है।

उपलब्धियाँ

जनपद इटावा में स्ट्रॉबेरी की खेती प्रतिकूल वातावरण को अनुकूल बनाकर समूह की दीदीयों द्वारा किया जा रहा है, जोकि जनपद के लिए एक अभिनव प्रयास है, जिससे उत्प्रेरित होकर और भी कई समूह एवं किसान स्ट्रॉबेरी की खेती करने के इच्छुक है एवं अन्य जनपद में भी इसे लागू किया जा सकता है।

व्यापारिक लाभ आधा एकड़ में कुल लागत				
क्र	**विवरण**	**संख्या**	**दर**	**कुल**
1	स्ट्राबेरी के पौधे	10000	12	120000
2	कम्पोस्ट एवं तरल खाद			40000
3	प्लास्टिक मल्च			10000
4	पैरा बनाना (मनरेगा)			40000
5	टपका सिंचाई (अभिसरण) (कुल लागत 90000 छः साल के लिए)			15000
6	मजदूरी (मनरेगा)			40000
7	सिचांई			20000
8	पैकिंग एवं विपणन			35000
9	अन्य खर्चे			20000
			कुल लागत	**340000**

क्र.	**विवरण**	**कुल**
1	औसत उपज प्रति पौधा	0.5 किग्रा
2	कुल उपज आधा एकड़ (10000 पौधे)	5000 किग्रा
3	औसत मूल्य प्रति किग्रा	120 प्रति किग्रा
4	सकल आय	रु0 600000.00
5	वास्तविक लाभ प्रति आधा एकड़	**रु0 260000.00**

श्रीमती प्रणता ऐश्वर्या, मुख्य विकास अधिकारी मो0. 9580510452 ईमेल cdoetawah@gmail.com

क्षेत्र
ग्राम्य विकास

केस-11 जनपद-अयोध्या: गोआश्रय स्थलों के लिए एस.एफ.सी. पूलिंग

कार्यान्वयन का स्थान : **गो-आश्रय स्थल**
कार्यान्वयन एजेंसी : **अयोध्या**
क्षेत्र : **ग्राम्य विकास विभाग**
अभ्यास का वर्ष : **2020-2021**

पृष्ठभूमि:

निराश्रित गोवंश के संरक्षण के संबंध में पहला शासनादेश माननीय कैबिनेट से अनुमोदन के बाद नीति के रूप में दिनांक 02 जनवरी, 2019 को जारी किया गया और इसके बाद समय-समय पर जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन और प्रगति संकलन को मजबूत करने के लिए शासनादेश जारी किए गए। उपरोक्त के संदर्भ में, अयोध्या क्षेत्र में स्थापित गो-आश्रय स्थल (जीएएस)। संरक्षित गोवंश को आसानी से बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायत को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए, सरकार ने राज्य वित्त आयोग निधि का एक हिस्सा नजदीकी ग्राम पंचायत से उस ग्राम पंचायत में जमा करने का निर्णय लिया जहां जीएएस का रखरखाव किया जा रहा है।

हस्तक्षेप :

ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रशासन इस योजना को लागू करने के लिए आगे आया और एसएफसी फंड के हिस्से को एकत्रित करने और ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया जहां जीएएस बनाए रखा जा रहा है।

प्रभाव :

यह अभिनव योजना जीएएस में संरक्षित गोवंश के रखरखाव, देखभाल और सुरक्षा पर होने वाले व्यय के अंतर को कवर करने में बहुत सहायक है।

मुख्य परिणाम :

अयोध्या क्षेत्र में 5.65 करोड़ रुपये की धनराशि एकत्रित की गई। कुल मतदान राशि में से, जिला बाराबंकी 2.31 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ शीर्ष पर है और जिला अमेठी 2.20 करोड़ रुपये की जमा राशि के साथ दूसरे स्थान पर है।

विकल्पों को बढ़ाएं :

जिला प्रशासन बेसहारा गोवंश के संरक्षण और सुरक्षा के साथ उनके स्वास्थ्य प्रबंधन पर लगातार नजर रख रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

गो-आश्रय स्थलों का संचालन करने वाली ग्राम पंचायत को रोजमर्रा की जरूरतों में वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

जिलाधिकारी, अयोध्या।

केस-12 जनपद - अयोध्या: गोवर्धन योजना

कार्यान्वयन का स्थान : **विकास खण्ड सोहावल की ग्राम पंचायत बैदरापुर**
कार्यान्वयन एजेंसी : **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**
क्षेत्र : **पशुधन**
अभ्यास का वर्ष : **2021-22**

पृष्ठभूमि:
जनपद अयोध्या के विकास खण्ड सोहावल की ग्राम पंचायत बैदरापुर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है एवं प्लांट द्वारा ग्राम पंचायत के 02 शासकीय विद्यालयों में बायोगैस के माध्यम से भोजन निर्मित किया जा रहा है।

गोर्बधन प्लांट के निर्माण से जहां एक ओर ग्राम पंचायत में जगह-जगह फैले हुये गोबर अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है जिससे गन्दगी से होने वाली बीमारियां कम हो रही है वही दूसरी तरफ प्लांट से निर्मित जैविक खाद एवं बायोगैस द्वारा ग्रामवसियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

सयंत्र को एक कार्मिक रखकर चलाया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायत के एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हुआ है। किसान की आय बढ़ाने में भी यह संयंत्र लाभकारी साबित हो रहा है। किसान अपने दिये गये गोबर के बदले में उसके निश्चित अनुपात में जैविक खाद प्राप्त कर रहा है। जो किसान गोबर के बदले खाद नहीं ले रहे है उन्हें गोबर के बदले उसी अनुपात में 50 पैसा प्रति किलों के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। साथ ही प्लांट द्वारा निर्मित बायोगैस द्वारा शासकीय विद्यालयों में भोजन निर्मित कराते हुये छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत में गोर्बधन योजनान्तर्गत प्लांट निर्मित कराये जाने से ग्राम में व्याप्त ठोस अपशिष्ट का मुख्य भाग अर्थात गोबर का सुरक्षित तकनीक द्वारा निपटान किया जाने के साथ जैविक खाद का निर्माण भी कराया जा रहा है, जोकि पर्यावरणीय स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी उत्तम है।

मुख्य परिणाम:
वर्तमान यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की जा रही है। प्रत्येक जनपद में निर्मित समस्त गौशालाओं में गोर्बधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लांट के अत्यन्त लाभकारी होने की प्रबल सम्भावना है। गोर्बधन प्लांट के सफल संचालन से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार प्रभावी माध्यम से अपने आस-पास उपलब्ध ठोस अपशिष्ट यथा गोबर को संसाधन में परिवर्तित कर सामाजिक एवं पर्यावरणीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

आर0एस0चौधरी, उपनिदेशक (पंचायत), मो. नं. 8933047439, ईमेल-ddprfz-up@nic.in

केस-13 जनपद-प्रयागराज: गौशाला प्रबन्धन

कार्यान्वयन का स्थान : गौशाला प्रबन्ध केन्द्र, प्रयागराज
कार्यान्वयन एजेंसी : गौशाला प्रबन्ध केन्द्र
क्षेत्र : पशुधन
अभ्यास का वर्ष : 2019-20

पृष्ठभूमि:
जनपद-प्रयागराज में गोशाला प्रबंधन में विभिन्न चुनौतियां का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में अपर्याप्त स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी, पशु स्वास्थ्य के विषय में प्रशिक्षण, जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, पौष्टिक चारे की कमी तथा पशुओं की खराब स्वास्थ्य स्थिति सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कीमतों में उतार-चढ़ाव, परिवहन, भंडारण लागत, सीमित विक्रेता, आपूर्ति क्षमता तथा अन्य उद्योगों हेतु चारे के क्रय के कारण भी गोशाला प्रबन्धन बाधित रहा।

हस्तक्षेप:
इन चुनौतियों के समाधान हेतु जिला प्रशासन द्वारा निम्नलिखित रणनीतियों एवं नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया:

1. जिला प्रशासन द्वारा वित्तीय सहायता हेतु ग्राम प्रधानों, धर्मार्थ ट्रस्टों, व्यापार मंडलों, राइस मिल मालिकों, पेट्रोल पंप मालिकों तथा सामुदायिक स्टेकहोल्डर्स को सम्बद्ध करते हुए **पशुहित में दान** को प्रोत्साहित किया गया।
2. प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फसल कटाई के मौसम के पश्चात ई-निविदा के माध्यम से चारे का ससमय विकेन्द्रीकृत क्रय प्रारम्भ किया गया।
3. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं वर्षपर्यन्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए **भूसा बैंक** की स्थापना की गई।
4. अधिकाधिक विक्रेताओं को क्रय में प्रतिभाग करने, परिवहन लागत को कम करने तथा स्थानीय क्रय पर बल देने के लिए जनपद स्तरीय समूहों में विभाजित किया गया।
5. बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ जानवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पर्याप्त शेड, चाहरदीवारी एवं पृथक-पृथक शेड सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचें का विकास किया गया।
6. स्टेकहोल्डर्स के प्रबंधन कौशल में वृद्धि तथा पशु स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता संवर्धन हेतु नियमित प्रशिक्षण एवं जनसंचार संवेदीकरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।
7. नस्ल उन्नयन, वर्मीकम्पोस्ट प्लांट, नेपियर ग्रास की खेती एवं अपशिष्ट संग्रह जैसे नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया।
8. **गो-धाम उत्सव जैसी** पहलों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

प्रभाव:
इस इंटरवेशन का गोशाला प्रबंधन पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पशु स्वास्थ्य के विषय में स्टेकहोल्डर्स स्वामित्व एवं जागरूकता में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप एक ओर जहां जानवरों के लिए बुनियादी ढांचे व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी वहीं दूसरी ओर पशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति और उनके पोषण में सुधार सुनिश्चित हुआ। पशुओं के आहार की लागत तथा बजट के मध्य आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु

भूसा बैंक की स्थापना तथा नेपियर घास के खेतों की पहचान से सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हुए। वर्मीकम्पोस्ट प्लाण्ट एवं खाद के बदले पुआल (पशु चारा) के आदान-प्रदान से गाय के गोबर को एक संसाधन के रूप में परिवर्तित किया गया। चारे की लागत को कम करते हुए जनपद में अतिरिक्त आय का सृजन किया गया। लगभग 400 नेपियर घास के खेतों की पहचान करते हुए बुवाई के लिए तैयार किया गया।

मुख्य परिणाम:

100 से अधिक वर्मीकम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना तथा खाद के लिए 20000 कुन्तल पुआल के आदान-प्रदान से गाय का गोबर एक संसाधन के रूप में सफल रूप से परिलक्षित हुआ। परिणामस्वरूप चारे की लागत कम हुई तथा जनपद की आय में भी अतिरिक्त वृद्धि हुई। वर्मीकम्पोस्ट संयंत्रों की कुल उत्पादन क्षमता 5400 कुन्तल प्रतिमाह थी, जिसमें 100 मवेशियों की गोशाला के साथ प्रतिमाह 3600 किलोग्राम वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन किया गया।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

अधिकाधिक स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित करते हुए अन्य जनपदों में इस मॉडल की प्रतिकृति करते हुए इस पहल में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही धर्मार्थ ट्रस्टों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडलों, राइस मिल मालिकों तथा पेट्रोल पंप मालिकों को सम्मिलित करते हुए चारा खरीद हेतु पशुहित में **दान** को बढ़ावा दिया जा सकता है। वर्मीकम्पोस्ट संयंत्रों की स्थापना एवं अधिकाधिक नेपियर घास के खेतों की पहचान करते हुए चारे की लागत कम की जा सकती है तथा अतिरिक्त आय का सृजन भी किया जा सकता है।

मुख्य उपलब्धियां

जनपद प्रयागराज में **गोशालाओं का सफल प्रबंधन**, स्टेकहोल्डर्स स्वामित्व, बुनियादी ढांचे के विकास एवं ससमय विकेंद्रीकृत क्रय एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। वर्मीकम्पोस्टिंग के माध्यम से एक संसाधन के रूप में गाय के गोबर का उपयोग तथा खाद के लिए पुआल का आदान-प्रदान, चारे की लागत में कमीं लाने तथा अतिरिक्त आय सृजन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

सारांश:

जनपद प्रयागराज को गोशाला प्रबंधन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें अपर्याप्त स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, पशु स्वास्थ्य की चिन्ताजनक स्थिति तथा उच्च चारा लागत सम्मिलित हैं। स्टेकहोल्डर्स सम्बद्धन, विकेंद्रीकृत क्रय, बुनियादी ढांचा विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नवीन पद्धतियों एवं रणनीतियों के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण सुधार परिलक्षित हुए। स्टेकहोल्डर्स स्वामित्व एवं जागरूकता में वृद्धि हुई, बुनियादी ढांचे में वृद्धि की गयी फलत: पशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ तथा वर्मीकम्पोस्टिंग एवं स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए चारे की लागत में कमीं लाई गई।

सीख:

जनपद प्रयागराज में गोशालाओं का सफल प्रबंधन एवं स्टेकहोल्डर्स सम्बद्धन, बुनियादी ढांचे के विकास, विकेंद्रीकृत क्रय, वैज्ञानिक प्रबंधन के महत्व पर बल देता है। इसके साथ ही यह भी प्रदर्शित करता है कि चुनौतियों को अवसर में बदलने, जैसे कि गाय के गोबर को एक संसाधन के रूप में उपयोग करने एवं स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित करने से स्थायी एवं आत्मनिर्भर गोशालाएँ बनाई जा सकती हैं। गोशाला प्रबंधन में सुधार तथा पशुहित सुनिश्चित करने हेतु इस सीख को अन्य क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जा सकता है।

जिलाधिकारी, प्रयागराज।

केस-14 जनपद - ललितपुर: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद ललितपुर
कार्यान्वयन एजेंसी : जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
क्षेत्र : पंचायती राज
अभ्यास का वर्ष : वर्ष 2016-17 से अब तक

पृष्ठभूमि:
भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के ऑकडों के आधार पर आवास विहीन, झोपड़ी में रहने वाले एवं कच्चे आवास में निवास करने वाले परिवारों का चयन किये जाने की व्यवस्था की गयी थी। (SECC-2011) के अन्तर्गत चिन्हित किये गये परिवारों की ग्रामवार स्थायी प्रतीक्षा सूची आवास साफ्ट पर तैयार की गयी जिसमें वरीयता क्रम में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक कुल 11099 आवास निर्मित कराये गये हैं। योजनान्तर्गत सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 (SECC-2011) के आधार पर तैयार की गयी सूची समाप्त होने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा छूटे हुये पात्र लाभार्थियों का सर्वेक्षण कराते हुये ''आवास प्लस'' के रूप में बैवसाईट पर नवीन सूची तैयार करायी गयी जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक 28136 लाभार्थियों को आवास आवंटित किये गये हैं।

हस्तक्षेप:
आवास प्लस पर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु आवश्यक दस्तावेज - आवास स्वीकृति से पूर्व आवास प्लस पर उपलब्ध लाभार्थियों की पात्रता का पुनर्परीक्षण ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से कराया जाता हैं। लाभार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति । जॉव कार्ड की छायाप्रति । बैंक पासबुक की छायाप्रति।

एफटीओ जनरेशन:
रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवास की जियोटेगिंग सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तावित आवास स्थल से अपलोड की जाती है। स्वीकृति के उपरान्त विकास खण्ड स्तर से किश्त जारी करने हेतु एफटीओ जनरेट किया जाता है। तदोपरान्त संबंधित विकास खण्ड स्तर से लाभार्थी के बैंक खाते में धनराषि अवमुक्त की जाती है।

स्वीकृति पत्र का वितरण:

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत आनलाईन आवास की स्वीकृति के उपरान्त विकास खण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित करते हुये लाभार्थियों को आवासीय योजना की जानकारी दी जाती है तथा मा0 जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वीकृति पत्र वितरित कराये जाते हैं। आवास की स्वीकृति के समय लाभार्थियों को ले-आउट प्लान की प्रति उपलब्ध करायी जाती है। लाभार्थी को प्रथम किश्त अवमुक्त करने के साथ साथ विकास खण्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर तैनात तकनीकी सहायक,

अवर अभियन्ता को नामित करते हुये उनसे आवास के मानचित्र के अनुसार आवास निर्माण हेतु ले-आउट कराया जाता है ।

तीनों किश्तों का भुगतान:
आवास स्वीकृति के उपरान्त प्रथम किश्त मु0 40000.00 रू0 / प्लिंथ लेविल तक आवास निर्माण होने के उपरान्त द्वितीय किश्त मु0 70000.00 रू0/ आवास की पूर्णता पर तृतीय किश्त मु0 10000.00 रू0 / आवास निर्माण के प्रत्येक स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा निरीक्षण करते हुये जियोटैगिंग की कार्यवाही की जाती है।

गृह प्रवेश एवं चाभी वितरण कार्यक्रम:
लाभार्थियों के आवास पूर्ण होने पर समारोह का आयोजन कर मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गृह प्रवेश एवं चाभी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत लाभार्थियों निम्नांकित योजनाओं से आच्छादित किया जाता है-

- मनरेगा के अन्तर्गत 90 दिवस का श्रम रोजगार
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण कार्य
- उज्जवला योजना के अन्तर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत झटपट पोर्टल पर आवेदन कर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह से जोड़कर महिला लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना।

प्रभाव:
सामाजिक:
आवास निर्माण होने के साथ साथ लाभार्थी को स्वच्छ शौचालय, निःशुल्क गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन आदि की सुविधा मिलेगी जिससे ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर में सुधार के साथ साथ सामाजिक स्तर में परिवर्तन आयेगा।

आर्थिक:
लाभार्थी का अपना स्वयं का आवास होगा तथा स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्य करने से लाभार्थी महिलाओं का आर्थिक स्तर सुदृण होगा।

मुख्य परिणाम:
लाभार्थी का अपना स्वयं का आवास होने से उसके सामाजिक स्तर एवं रहन सहन में सुधार होगा तथा उसका जीवन स्तर सुधरेगा। साफ सुथरे पक्के घर में निवास करने से बीमारियों से भी निजात मिलेगी।

प्राप्त सीख:
लाभार्थी का अपना स्वयं का आवास होने से उसके परिवार का चौमुखी विकास सम्भव हो सकेगा।

अनिल कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए., ललितपुर, मो0न0-9454464961, ईमेल-drda-lal@nic.in

केस-15 जनपद-बलरामपुर: "विकास संकुल" की स्थापना

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत- कलवारी विकास खण्ड- बलरामपुर,**
कार्यान्वयन एजेन्सी	:	**ग्राम्य विकास विभाग**
क्षेत्र	:	**शहरी अवस्थापना सुविधाओं का विकास**
अभ्यास का वर्ष	:	**2022-23**

पृष्ठभूमि

शहरी आधारभूत सुविधाओं का समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होता है। शहरी क्षेत्र में उच्च स्तर की सुविधाएँ जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल-बिजली सुविधा, परिवहन, रोजगार आदि लोगों के जीवन को आसान करती हैं, जो उन्हें अधिक समृद्ध, उद्यमी और सकारात्मक बनाती हैं। बलरामपुर के ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बलरामपुर द्वारा समेकित प्रभावी संधान करते हुए उपलब्ध प्राकृतिक भौतिक संसाधनों को उच्चीकृत कर ग्राम पंचायत कलवारी के 3871 निवासियों को शहरी अवस्थापना सुविधाओं से युक्त शहरी वातावरण उपलब्ध करा कर उनके सामाजिक-आर्थिक जीवन के उन्नयन के लिए एक सार्थक प्रयास किया गया है।

हस्तक्षेप

विकास संकुल स्थापना की समेकित योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत कलवारी में शहरी सुख-सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न योजनाओं से निम्नाकित कार्य कराए गए:

1. ग्राम पंचायत में स्थित खेल मैदान में मनरेगा योजनान्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, इंटरलाकिंग पथ, सीटिंग प्लेटफार्म, इलेक्ट्रिक पोल फाउण्डेशन, राउण्ड टेबल व बेंच, गेट और सीआईबी बोर्ड का निर्माण कराया गया है। सभी के लिए जॉगिंग पाथवे, वॉलीबाल एवं बैडमिन्टन कोर्ट तथा विभिन्न खेलों की सुविधायें उपलब्ध करायी गयी है। ग्राम निधि से सीसी पथ, पेंटिग, जी.आई. चेन लिंक फेसिंग मेस, इलेक्ट्रिक पोल और डिस्टीब्यूसन बॉक्स, एलईडी स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वायरिंग का कार्य हुआ है। इस खेल मैदान में विधायक निधि से ओपेन जिम का भी निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ सीएसआर फंड से बच्चों के खेलने के लिए मिनी स्लाइड टम्पो लाइन, अप-डाउन स्वींग टू सीटर राइड स्वींग स्थापित किए गये हैं।
2. ग्राम पंचायत में स्थित अमृत सरोवर का सौन्दर्यीकरण कराते हुए सुरम्य वातावरण में लोगों को उनके स्वास्थ्य को बनाएं रखने हेतु समस्त अवसरंचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है। अमृत सरोवर में मनरेगा योजनान्तर्गत तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है जिसमें सीढ़ी निर्माण, इंटरलाकिंग, पाथवे निर्माण कराया गया है। जिसमें 3025 मानव दिवस सृजित हुआ है। ग्राम निधि अंश से गेट वेरीकेटिंग पिलर, बेंच, वेरीकेटिंग तार, इनलेट व आउटलेट एवं फ्लैग पाईण्ट का निर्माण कराया गया है।

3. मनरेगा योजना से खेल मैदान के पास उपलब्ध भूमि पर जनमानस के लिए हॉट बाजार निर्माणाधीन है जिससे यहां

आने वाले आगंतुकों के लिए आवश्यक वस्तुएं और खाद्य सामग्री हेतु विभिन्न स्टाल को लगाया जाना प्रस्तावित है इससे कई परिवारों को आजीविका का साधन मिल जायेगा। खेल मैदान के पास ही पंचायत घर एवं सामुदायिक शौचालय भी स्थापित है।

4. ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक एवं जूनियर स्कूल का ग्राम निधि से कायाकल्प करते हुए उच्च स्तर का शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। नीति आयोग द्वारा टैब लैब परियोजना से आच्छादित इस विद्यालय में बच्चे इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे है।
5. ग्राम पंचायत के अंदर सभी गलियों में सीसी रोड एवं स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
6. ग्राम पंचायत में आरआरसी रिसोर्स रिकवरी सेण्टर का कार्य निर्माणाधीन है। इसके स्थापना के पश्चात घरों से निकलने वाले कूड़े को विभिन्न उपयोगी रूपों में संसाधित कर प्रयोग किया जा सकेगा। जो स्वच्छ पर्यावरण के लिए एक बहुत ही सराहनीय कार्य है।

प्रभाव

सामाजिक

इस प्रकार "कलवारी विकास संकुल" की स्थापना से इस ग्राम पंचायत के निवासियों को ग्राम पंचायत में ही प्राकृतिक, शैक्षिक एवं भौतिक संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन में प्रभावी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया है। यह ग्राम पंचायत बलरामपुर शहर के पास स्थित है जिसके कारण इन सुविधाओं संरचनाओं का लाभ बलरामपुर के शहरी निवासियों को भी मिल रहा है। खेल मैदान परिसर का प्रयोग कलवारी ग्राम निवासियों के साथ-साथ अन्य ग्रामवासी तथा नगर के लोग खेल कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न समारोह जैसे जन्म दिवस, शादी-विवाह आदि आयोजन भी कराया जा रहा है।

आर्थिक

मनरेगा योजनान्तर्गत तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है जिसमें 3025 मानव दिवस सृजित हुआ है। खेल मैदान के पास उपलब्ध भूमि पर जनमानस के लिए हॉट बाजार में विभिन्न स्टाल लगाये जाने के फलस्वरूप के कई परिवारों को आजीविका का साधन मिलेगा।

मुख्य परिणाम

इस प्रोजेक्ट से शैक्षिक, स्वास्थ्यकर एवं रोजगारपरक वातावरण के निर्माण के साथ पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ ग्रामवासियों के सामाजिक-आर्थिक जीवन का उन्नयन कर उनको शहरी अवस्थापना सुविधाओं से युक्त वातावरण उपलब्ध कराना संभव हो पाया है।

सारांश

इस परियोजना से शहरी अवस्थापना सुविधाओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, जल-बिजली सुविधा, परिवहन, रोजगार आदि से युक्त वातावरण उपलब्ध कराया गया । टैब लैब परियोजना से आच्छादित कर उच्च स्तर का शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया गया है। रिसोर्स रिकवरी सेण्टर के स्थापना के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का सराहनीय कार्य किया गया है।

प्राप्त सीख

शासन एवं सरकार की मंशा "ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाओं की स्थापना" इस अभिनव प्रयोग की मूल भावना है। उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ही जनपद के अन्य विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में भी सामाजिक-आर्थिक जीवन का उन्नयन हेतु इस "विकास संकुल" की स्थापना के प्रोजेक्ट लागू किया जा सकता है। इस प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने से से समग्र रूप से विकसित राज्य व विकसित भारत का स्वप्न पूरा हो सकेगा।

सतीश पाण्डेय, उपायुक्त, श्रम रोजगार, बलरामपुर, मो0नं0-9411014000, ईमेल-mnregacellupblp@gmail.com

क्षेत्र
स्वच्छता एवं साफ-सफाई

केस-16 जनपद-सुल्तानपुर: सामुदायिक शौचालय

कार्यान्वयन का स्थान : **विकास खण्ड दूबेपुर की ग्राम पंचायत पलहीपुर, सुल्तानपुर**
कार्यान्वयन एजेंसी : **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)**
क्षेत्र : **पंचायती राज**
अभ्यास का वर्ष : **2021-22**

पृष्ठभूमि:
ग्राम पंचायतों में वर्षो से चली आ रही खुले में शौच की प्रथा के अन्तके पश्चात ग्राम पंचायत में बढे/अलग हुये परिवारों हेतु शौचालय उपलब्धता की समस्या को समाप्त करने के लिये जनपदों की प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत पुरूष एवं महिलाओं हेतु पृथक-पृथक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया।

जनपद सुलतानपुर के विकास खण्ड दूबेपुर की ग्राम पंचायत पलहीपुर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। जिसमें महिलाओं एवं पुरूषों हेतु पृथक-पृथक शौचालय,मूत्रालय, हैण्डवाश एवं अन्य सुविधाए उपलब्ध है। सामुदायिक शौचालय का रख-रखाव जय मा संतोषी स्वयं सहायता समूह की सदस्य आशा द्वारा किया जा रहा है। साथ ही ग्रामवासियों द्वारा आवश्यकतानुसार निरन्तर सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रभाव
ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण से जहां एक तरफ खुले में शौच मुक्ति की स्थिति में स्थायित्व मिला है वही दूसरी ओर सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को देने के फलस्वरूप ग्राम पंचायत में समूह की महिलाओं हेतु रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुये है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं हेतु पिंक शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है, जिससे ग्राम पंचायत की महिलाओं में सामाजिक रूप से एक सुरक्षित सोच का विकास हुआ हैं। साथ ही प्रत्येक परिवार/व्यक्ति के निरन्तर शौचालय प्रयोग करने से ग्राम पंचायत में खुले में शौच करने से होने वाली बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च में भी भारी कमी आयी है, जोकि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर

केस-17 जनपद-मीरजापुर: सेनेटरी पैड निर्माण एवं विक्रय

कार्यान्वयन का स्थान : ग्राम गरौड़ी, अदलहाट, वि0ख0-नरायनपुर, मीरजापुर
कार्यान्वयन एजेंसी : उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मीरजापुर
क्षेत्र : ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष : 2023-24

पृष्ठभूमि:
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत जनपद मीरजापुर के विकास खण्ड नरायनपुर में जय माता दी स्वयं सहायता समूह के द्वारा सेनेटरी पैड निर्माण की मशीन स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में समूह से जुड़ी महिलाओं को बाजार दर से सस्ते मूल्य पर सेनेटरी पैड मुहैया कराना है। इसका परिक्षेत्र जनपद के समस्त विकास खण्डों में आपूर्ति/मार्केटिंग किये जाने की है।

हस्तक्षेप:
सेनेटरी पैड निर्माण मशीन स्थापित करने में धनराशि की व्यवस्था बैक द्वारा ऋण, संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठन के माध्यम से सामान्य ऋण उपलब्ध कराते हुए जय माता दी स्वयं सहायता समूह के द्वारा सेनेटरी पैड निर्माण व बिक्री का कार्य कराया जा रहा है।

विगत वर्षो में सेनेटरी के सम्बन्ध में किये जा रहे कार्य:
जय माता दी स्वयं सहायता समूह विकास खण्ड नरायनपुर के ग्राम पंचायत मुसेपुर सेनेटरी पैड का पैकिंग का कार्य किया जाता था। उक्त मैटेरियल बनारस से लाकर तथा कागज का पैकेट तैयार कर समूह के द्वारा किया जाता था तथा पैकिंग का कार्य महिलाओं के माध्यम से होता था। इस कार्य को करने के लिए रू0 02 प्रति पैकेट मिलता है, 15 महिलाओं द्वारा कार्य किया जाता था। एक महिला एक दिन में लगभग 50 पैकेट तैयार कर लेती है। इस प्रकार कुल 15 महिलाओं द्वारा एक दिन में 750 पैकेट तैयार होता है, जिस पर 750x02=1500 रूपये एक दिन में समस्त 15 महिलाएं आय अर्जित करती है। पूर्व के कार्य को देखते हुए जिलाधिकारी महोदया द्वारा स्वयं सेनेटरी पैड निर्माण मशीन क्रय कर बिक्री का कार्य किये जाने हेतु उक्त समूह को प्रोत्साहित किया गया।

प्रभाव:
सामाजिक:
जनपद के समस्त विकास खण्डों में समूह से जुड़ी महिलाओं में सेनेटरी पैड के प्रयोग से उनके व्यवहार, साफ-सफाई एवं स्वच्छता के प्रति महिलाएं जागरूक हो रही है। इससे महिलाएं सामाजिक रूप से सशक्त हो रही है।

आर्थिक:

सेनेटरी पैड निर्माण में कुल रू0 10,71,601 (दस लाख इकहत्तर हजार छः सौ एक मात्र) की लागत आयी है जिसमें 05 लाख रूपये बैंक से ऋण उपलब्ध कराया गया है तथा शेष संकुल स्तरीय संघ एवं ग्राम संगठन के माध्यम से फण्ड उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध रा-मैटेरियल की लागत 02 लाख 53 हजार अनुमानित है, जिसमें अगर 03 रू0 प्रति पीस के हिसाब से बिक्री की जाती है तो कुल आमदनी 03 लाख 30 हजार की होगी, जिसमें लागत को घटाने पर कुल लाभ अनुमानित 77 हजार होगा।

मुख्य परिणाम:

अभी तक जय माता दी स्वयं सहायता समूह द्वारा बना बनाया पैड बनारस से लाकर पैकेट में पैकेजिंग करते हुए इस कार्य को किया जाता था किन्तु अब मशीन स्थापित होने के कारण उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है, महिलाओं को बाजार दर से कम मूल्य पर पैड उपलब्ध कराना और कम लागत पर मुनाफा किया जाना है।

सारांश:

सेनेटरी पैड से सम्बन्धित बाजार में बहुत सारी कम्पनियां है, जो अधिक दर पर उपलब्ध है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं द्वारा पैड की खरीद दारी नहीं हो पाती है। इस इकाई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम दर पर पैड उपलब्ध कराना तथा साफ-सफाई की आदत पैदा करना, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकें और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर होने वाले अपव्यय को रोका जा सकें। जिससे उनका परिवार रोग रहित हो सके, यही मुख्य उद्देश्य इस इकाई की स्थापना की है।

प्राप्त सीख:

ग्रामीण महिलाओं को जागरूक कर उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हुए साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है साथ ही पैड के प्रयोग न करने पर कई प्रकार के इंफेक्शन महिलाएं/किशोरी बच्चियों को हो जाता है, जिससे दवा में परिवार की आर्थिक स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं उनका शारीरीक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है। इससे यही सीख मिलती है कि अगर महिलाओं को कम दर पर पैड उपलब्ध कराते हुए साफ-सफाई की आदत डाला जाय तो उनके रहन सहन एवं सामाजिक रूप से परिवर्तन लाया जा सकता है।

श्री अनय कुमार मिश्र, उपायुक्त, स्वतः रोजगार, ग्राम्य विकास, ई-मेल–drda-mir@nic.in,मीरजापुर

क्षेत्र
जल संसाधन प्रबन्धन

केस-18 जनपद - चित्रकूट: विलुप्तप्राय बरूवा नाला के जीर्णोद्धार का कार्य

कार्यान्वयन का स्थान : **ग्राम पंचायत भरथौल, गोबरिया बुजुर्ग, बैहार, मऊ ब, तरावं, टिटिहरा**
कार्यान्वयन एजेंसी : **ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग।**
क्षेत्र : **पर्यावरण एवं जल संसाधन।**
अभ्यास का वर्ष : **2023-24**

पृष्ठभूमि:

बरूवा नाला जनपद चित्रकूट के विकासखण्ड चित्रकूटधाम कर्वी की विविध छः ग्राम पंचायतों भरथौल, गोबरिया बुजुर्ग, बैहार, मऊ ब, तरावं, टिटिहरा से प्रवाहित होते हुए जनपद चित्रकूट से सटे जनपद बांदा के बागैं नदी में मिलता है। उक्त नाला की कुल लम्बाई जिस पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित था, लगभग 6800 मी0 है। जो ग्रीष्मकाल में सूख जाता था, तथा वर्षा ऋतु में ही मात्र प्रवाहित होता था, जबकि लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व उक्त नालें में प्रवाहित जल से ग्राम पंचायतों में निवासित जानवर पानी पीते थे, उक्त नाले का जल कृषि कार्य हेतु भी उपयोग में लाया जाता था। नाले में जल प्रवाह बन्द हो जानें के कारण ग्राम पंचायतों का न केवल जल स्तर घटा था, अपितु जानवरों एवं पशु-पक्षियों के साथ-साथ कृषि कार्य में जल अभाव के कारण सीधा प्रभाव पड़ रहा था।

हस्तक्षेप:

उक्त नाले की खुदाई/पुनरोद्धार का कार्य कराये जानें से पूर्व जनपद स्तर पर विविध कार्यदायी विभागों यथा ग्राम्य विकास विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक की गयी, एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार नाले में अतिक्रमण को हटवाते हुए ड्रोन कैमरे के माध्यम से सर्वे कराकर कार्य कराये जानें हेतु स्थल का चिन्हांकन एवं सीमांकन कराया गया। चिन्हांकन एवं सीमांकन का कार्य पूर्ण होनें के बाद पृथक-पृथक ग्राम पंचायतों हेतु मनरेगा योजनान्तर्गत प्राक्कलन तैयार कराते हुए कार्य से पूर्व का स्थलीय फोटोग्राफ्स (जियो टैगिंग के द्वारा) अकुशल श्रमिकों के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कराया गया। श्रमिकों के द्वारा लगभग 10-12 फुट खुदाई किये जानें के उपरान्त विलुप्तप्राय जल श्रोत खुल गये, एवं उनसे जल श्राव प्रारम्भ हो गया।

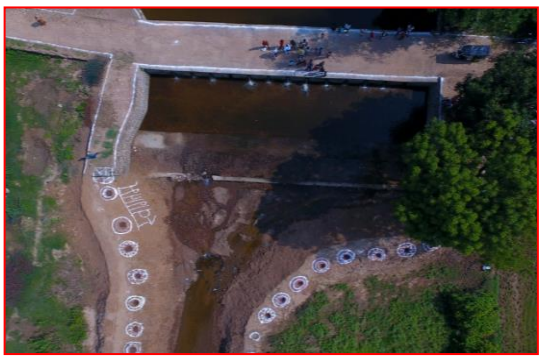

मुख्य परिणाम:

उक्त कार्य को कराये जानें से न केवल विलुप्तप्राय जल श्रोत खुले है, अपितु उपरोक्त छः ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों अकुशल श्रम प्राप्त होनें से उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है।

जिससे उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हुआ है। उक्त कार्य में अब तक 11882 मानव दिवस सृजित करते हुए मु0 26.30 लाख व्यय किया जा चुका है।

विकल्पों को बढ़ावा:- बरूवा नाले के जीर्णोद्धार कार्य से अन्य सहयोगी 9 नालों का भी जीर्णोद्धार कराये जानें का सर्वेक्षण कराया जा रहा है, तथा जिन पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा, उन पर कार्य कराया जायेगा। नाले के दोनों किनारों पर वृहद वृक्षारोपण का कार्य कराते हुए न केवल मृदा क्षरण को रोका जा रहा है, अपितु वृक्षमाला तैयार कर पर्यावरण को सुरक्षित रखनें एवं फलदार वृक्षों का रोपण करनें से स्थानीय लोगों के आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह उपायुक्त (श्रम रोजगार) मो0 नं0: 8765983060 ग्राम्य विकास विभाग ई-मेल: nregackt@gmail.com

केस-19 जनपद - चित्रकूट: अमृत सरोवर भैरम बाबा तालाब जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण का कार्य

कार्यान्वयन का स्थान : **ग्राम पंचायत रैपुरा, विकास खण्ड मानिकपुर**
कार्यान्वयन एजेन्सी : **ग्राम्य विकास विभाग**
क्षेत्र : **पर्यावरण एवं जल संसाधन।**
क्रिन्यावयन वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि:
भैरम बाबा अमृत सरोवर ग्राम पंचायत रैपुरा विकास खण्ड मानिकपुर जनपद चित्रकूट में जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर बोडी पोखरी राजापुर मार्ग पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1.829 हेक्टयर तथा '' U आकृति'' थी। कालांतर में तालाब के इनलेट पर अतिक्रमण से जल प्रवाह बाधित होने के कारण जहाँ जल संचयन की क्षमता कम हुयी वही मत्स्यपालन में प्रयुक्त रसायनों के कारण संचित जल दूषित भी हुआ। प्रदूषित जल एवं विकृत स्वरूप के कारण ग्रमीणों का आवागमन भी नगण्य हो गया जिसके कारण तालाब की उपयोगिता एवं महत्व दोनो कम हुये। इन परिस्थितियों में तालाब का मूल स्वरूप एवं महत्व पुनः स्थापित करना चुनौतीपूर्ण था।

प्रयास:
भैरम बाबा अमृत सरोवर को विकसित करने हेतु ग्राम पंचायत की कार्य योजना 2022-23 में क्रमशः सिल्ट सफाई का कार्य, भीटा मरम्मतीकरण का कार्य, वृक्षारोपण का कार्य, मानव घाट एवं पशु रैम्प का निर्माण, पाथवे एवं चबूतरा निर्माण तथा ध्वजारोहरण बिन्दु का निर्माण कार्य सम्मिलित करते हुये अमृत सरोवर का निर्माण किया गया।

परिणाम एवं उपलब्धियां:

भैरमबाबा अमृत सरोवर के इनलेट को अतिक्रमण मुक्त कराने से जहाँ जल संचयन की क्षमता बढ़ी, वही सिल्ट सफाई से दूषित जल की समस्या के समाधान के साथ-साथ भीटे के सुदृढीकरण से तालाब की आकृति सही हुयी है। वृक्षारोपण कार्य से भीटे के सुदृढीकरण के साथ ही सुन्दरीकरण का कार्य भी हुआ। मानव घाट एवं पशु रैम्प से जल की उपयोगिता बढी है। ग्रामीणों के आवागमन में वृद्धि के साथ ही तालाब के समीप स्थित मन्दिर में धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि हुयी है, जिससे उक्त अमृत सरोवर आस्था के केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है। इसके साथ ही चबूतरों के निर्माण एवं शेडो के निर्माण के कारण लोगो का एकत्रीकरण बढ़ा जिससे अमृत सरोवर सामाजिक समारोहों के केन्द्र के रूप में स्थापित हुआ है।

सारांशः

भैरम बाबा अमृत सरोवर के विकास से जल संरक्षण के साथ साथ धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि हुयी है तथा स्वच्छ पर्यावरण का विकास हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह उपायुक्त (श्रम रोजगार) मो0 नं0: 8765983060 ग्राम्य विकास विभाग ई-मेल: nregackt@gmail.com

केस-20 जनपद - हमीरपुर: अमृत सरोवरों का निर्माण/विकास कार्य

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत छानी खुर्द वि0ख0-सुमेरपुर एवं ग्राम पंचायत-जराखर, वि0ख0-गोहाण्ड जनपद हमीरपुर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**जिला ग्राम्य विकास अभिकरण**
क्षेत्र	:	**पंचायती राज**
अभ्यास का वर्ष	:	**2022-23**

पृष्ठभूमि:

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पूर्वजों द्वारा ग्राम पचायतों में तालाबों का निर्माण कार्य विरासत के रूप में प्राप्त है, किन्तु शहरीकरण व औद्योगीकरण के दौर में यही तालाब उपेक्षा का शिकार हुये हैं। समय के साथ-साथ ये तालाब अतिक्रमण एवं गॉव की गन्दगी व कूडे के ढेर के पर्याय बनते गये। आजादी की 75वीं वर्षगॉठ पर स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद, सेनानियों के सम्मान में वर्षा जल संचयन को बढावा देने हेतु मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी की पहल पर इन तालाबों को चिन्हित कर अमृत सरोवरों के रूप में निर्मित किया गया है।

हस्तक्षेप:

वर्षा जल संचयन के उत्कृष्ट मॉडल, वर्ष भर जल उपलब्धता, स्वच्छ एवं स्वास्थ्य लाभकारी वातावरण का विकास, जन समुदाय के लिये विविध प्रकार से उपयोगी स्थल के विकास के लिये वर्ष 2022-23 के प्रथम चरण में जनपद में एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर निर्माण/विकास कार्य के लिये किया गया, जिसमें ग्रामीण जनों, पंचायती राज संस्थाओं, स्वतन्त्रता संग्राम के शहीद, सेनानियों या उनके परिवारी जनों को सम्मान व सहभागिता के साथ ग्राम पंचायतों ने इस कार्य को अपनी कार्ययोजना में प्राथमिकता देते हुयें विभिन्न विभागों के साथ तालमेल/कन्वर्जेन्स करते हुये कार्य कराया है।

स्व0 बद्दू प्रसाद प्रजापति अमृत सरोवर,
ग्राम पंचायत– छानी खुर्द, वि0ख0–सुमेरपुर।

बडा तालाब अमृत सरोवर,
ग्राम पंचायत– जराखर, वि0ख0–गोहाण्ड।

प्रभाव:

ग्राम स्तरीय बैठकों, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीणों में जल संरक्षण-पर्यावरण संरक्षण के प्रति संचेतना का विकास हुआ है व तालाबों की आवश्यकता-महत्व के विषय पर जन समुदाय सजग हुआ है।

मुख्य परिणाम:

इस कार्य से जहॉ वर्षा जल संचयन हुआ है वहीं ग्रामीण जनों को एक रमणीक/स्थानीय कार्यक्रमों के लिये स्थान प्राप्त हुआ है। अमृत सरोवरों में कराये गये वृक्षारोपण, इनलेट-आउटलेट निर्माण, ध्वजारोहण स्थल, तटबन्धों पर पाथ-वे, बेन्च, ड्रेनेज सिस्टम आदि के विकास/निर्माण कार्य ने तालाबों की उपयोगिता को बढावा दिया है।

विकल्पों को बढायें:

जनपद में प्रथम फेज में 75 अमृत सरोवरों के विकास के फलस्वरूप इसका द्वितीस चरण प्रारम्भ किया गया जिसमें पुनः 123 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिये किया गया है। इसप्रकार जनपद में कुल 198 अमृत सरोवरों में कार्य प्रारम्भ कराते हुये अब तक 109 सरोवरों के कार्य को पूर्ण कराया गया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ:

जनपद में तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के साथ-साथ, लोगों के टहलने के लिये पाथ-वे, बैठने के लिये बेन्चे, स्वस्थ्य-स्वच्छ वायु के लिये वृक्षारोपण, बच्चों के लिये खेल-कूद की व्यवस्थायें, नौका बिहार की व्यवस्थायें, घाट-सीढी के साथ बच्चों की सुरक्षा के भी इन्तजाम किये गये हैं। हमारे पूर्वजों, वीर-शहीद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, क्षेत्र की महान विभूतियों को सम्मान देने के लिये प्रत्येक अमृत सरोवर का नामकरण किया गया है। प्रत्येक वर्ष स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस एवं अन्य राष्ट्रीय पर्वो-अवसरों पर ध्वजारोहण, अनेक प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

सारांश:

ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छ सामाजिक परिवेश से यह स्थल का विकास हुआ है जनपद में 198 ऐसे स्थलों/सरोवरों का विकास हुआ है।

प्राप्त सीख:

जन सहभागिता से स्थानीय तकनीकों के आधार पर जल संरक्षण के ठोस उपाये किये जा सकते हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद चौबे, उपायुक्त (श्रम रोजगार), मोबाइल नं0:7007305327, ई-मेल:nregacellhamirpur@gmail.com, हमीरपुर

केस-21 जनपद-सहारनपुर: मनरेगा अंतर्गत कृष्णी नदी पुनरोद्धार तथा कायाकल्प

कार्यान्वन का स्थान : **विकास खण्ड बलियाखेड़ी रामपुर मनि0 तथा नानौता की 20 ग्राम पंचायते**
कार्यान्वन एजेंसी : **मनरेगा ग्राम पंचायत**
क्षेत्र : **ग्राम्य विकास**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि:
कृष्णी नदी का जनपद मे अपना एक अलग महत्व है। कृष्णी नदी हिंडण नदी की सहायक नदियों मे से एक है. जगह जगह पर मिट्टी की ठेक, घनी झाड़ियों, भूमि अतिक्रमण आदि के कारण नदी अपना रूप गंवा चुकी है जिस कारण इसके समीप के गांवों मे जल स्तर मे काफी गिरावट दर्ज हुई है। नदी को इसके पूर्व रूप मे लाने पर जल स्तर मे तो वृद्धि होगी साथ ही नदी को पर्यटन स्थल के रूप मे भी विकसित किया जा सकेगा । कृष्णी नदी नगर निगम सहारनपुर के ग्राम दारा अली, चोपड़ा फायर वर्क्स मानकमऊ सहारनपुर के पीछे से निकलकर विकास खंड बलियाखेड़ी ,रामपुर मनिहारन तथा नानौता की ग्राम पंचायतों से होते हुए जनपद बागपत तक जाती है जनपद मे नदी का लगभग 60 किoमीo का मार्ग है।

हस्तक्षेप:
कृष्णी नदी पुनरोंद्वार तथा कायाकल्प मे मुख्य समस्याए नदी के overflow का connected न होना, शहर के नालों का प्रदूषित जल, नदी के जल की कटाई, भूमि अतिक्रमण, Under Pass सुरंगों का अवरुद्ध होना तथा Over vegetation आदि मुख्य समस्याए है।

कार्य योजना:
अधिशासी अभियंताओ द्वारा दिए गए सुझावों के क्रम में सर्वप्रथम मिट्टी की ठेक हटाने एवं जंगल की सफाई, नदी की चौड़ाई व्यवस्थित करने हेतु खुदाई किए जाने हेतु जनपद के तीनों खंड विकास अधिकारियों द्वारा कार्य योजना तैयार की गई जिसके आधार पर निर्धारित किया गया कि तीनों विकासखंडों में कुल 31.43 किलोमीटर में कार्य कराए जाने की आवश्यकता है। उक्त कार्य को मनरेगा से किए जाने का निर्णय लिया गया जिसके उपरान्त समस्त औपचारिकताएं जैसे वर्क आईडी निर्माण किया जाना और प्राक्कलन निर्मित किया जाना, कार्य से पूर्व की जियोटैगिंग किया जाना श्रमिकों की मांग के आधार पर मस्टररोल जारी किया जाना आदि पूर्ण की गई।

कार्यवाही:
कृष्णी नदी पुनरोंद्वार तथा कायाकल्प अंतर्गत नदी के कुल किलोमीटर का जीर्णोंद्वार किया गया जिसमे 29.93 मानव दिवस सर्जि 19309 कुलत हुए तथा लाख का व्यय हुआ 41.12 है। कृष्णी नदी पुनरोंद्वार तथा

कायाकल्प अंतर्गत नदी के कैचमेंट एरिया मे द्वार कराया गया तथा नदी नालों का जीर्णों 07 तालाबों तथा 12 के किनारोंपर पौधों का रोपण किया गया 14000 है।

प्रभाव:

सामाजिक:

कृष्णी नदी पुनरोंद्वार तथा कायाकल्प कार्यक्रम से ग्रामीणों के अंदर जल संचय की भावना का विकास तो हुआ ही साथ ही उनके अंदर अपनी धरोहरों को सँजोने की चेतन का विकास हुआ।

आर्थिक :

कृष्णी नदी पुनरोंद्वार तथा कायाकल्प कार्यक्रम से ग्रामीणों को अपने गाँव मे ही रोजगार प्राप्त हुआ जिससे उनके पलायन पर रोक लागि है ।

मुख्य परिणाम :

कृष्णी नदी पुनरोद्वार तथा कायाकल्प से न केवल जल स्तर मे सुधार हुआ बल्कि किसानों को सिचाई हेतु निरंतर जल उपलब्धता बनी रही।

प्राप्त सीख :

जल सरंचनाओ के अतिक्रमण से जल स्तर मे कमी होना, सिचाई के लिए जल उपलब्धता न हो पाना आदि मुख्य समस्या उत्पन्न होती है। अतिक्रमित जल सरंचनाओ के जीर्णोंद्वार से उक्त समस्याओं का निराकरण संभव हो पाया है।

इंद्रपाल सिंह, उपायुक्त, श्रम रोजगार, सहारनपुर मो0नं0-7275554657

केस-22 जनपद-सोनभद्र: रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

कार्यान्वयन का स्थान : **प्राथमिक विद्यालय, महुआ टोला, दुद्धी, सोनभद्र आदि**
कार्यान्वयन एजेंसी : **मुख्य विकास अधिकारी , सोनभद्र**
क्षेत्र : **ग्राम्य विकास**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि:

जनपद सोनभद्र में विगत कुछ वर्षो से निरंतर गिरते भूगर्भ जल-स्तर के संरक्षण एवं जलस्तर की वृद्धि के दृष्टिकोण को देखते हुए वर्ष 2021-22 में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के सभी विकास खंडो में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यो को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिये अभिनव प्रयास के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के सरकारी भवनों एवं प्रधानमंत्री/ मुख्यमंत्री आवासो पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों का चिन्हॉकन करते हुए एक अभियान चलाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

हस्तक्षेप:

रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यो के अंतर्गत कम लागत में ऐसे संरचना को बनाया गया जिससे कि सभी सरकारी भवनों एवं प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवासों के छतों पर पड़ने वाले वर्षा जल को रिचार्ज पिट के माध्यम से भूजल को पुनर्भरण किया जा सके।

तकनीकी दृष्टिकोण:

रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यो के प्राक्कलन में एकरूपता लाने के लिये शासन द्वारा संचालित सिक्योर सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए एक संरचना में तैयार कराया गया ।

सामाजिक दृष्टिकोण:

योजनान्तर्गत मशीन का प्रयोग न करते हुए स्थानीय श्रमिकों के माध्यम से सभी संरचनाओं का निर्माण कराया गया हैए जिससे उन्हे कार्य स्थल पर प्रशिक्षण के साथ.साथ जल संचयन के सम्बन्ध में भी जागरूक किया गया।

आर्थिक दृष्टिकोण:

उपरोक्त संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित मनरेगा योजना से की गयी।

प्रभाव:

रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनने के बाद आम जनमानस को रोजगार के साथ-साथ अधिक से अधिक वर्षा जल को संचयन करने हेतु जागरुकता बढ़ी। विद्यालयों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराये जाने से विद्यार्थियों के अन्दर भी जल संचयन के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। प्रधान मंत्री,

मुख्यमंत्री आवासों पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराये जाने से ग्राम पंचायत के अन्य निवासियों में भी अपने घरों में उपरोक्त संरचनाओं के निर्माण के प्रति जागरूकता पैदा हुई। जनपद सोनभद्र के कुल 10 विकास खण्डो में 4175 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कराया गया जिससे लगभग 182700 वर्गमीटर के क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वर्षा जल का संचयन किया गया। इस कार्य से लगभग 8000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया जिससे उनकी आजीविका में सुधार हुआ।

मुख्य परिणाम:

संरचनाओं के निर्माण से पूर्व में जहॉ ग्रीष्म ऋतु में अधिकांश ग्राम पंचायतो में हैंडपंप द्वारा जल की उपलब्धता नहीं हो पाती थी, जिससे ग्राम पंचायतो को अपने शासकीय मद से टैंकर के माध्यम से जल आपूर्ति करना पड़ता था, तत्पश्चात आगामी ग्रीष्म ऋतु में इसके प्रभाव का आकलन करने पर यह पाया गया कि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंपो में जल की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे कि अपेक्षाकृत गत वर्षो की तुलना में इस वर्ष टैंकरों का संचालन कम हुआ।

विकल्पों को बढ़ावा

मनरेगा योजना अंतर्गत जल संचयन का कार्य एक महत्पूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है, जिसमे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण भी शामिल है। मनरेगा योजना उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में संचालित है। अतः इस योजना के माध्यम से सभी जिलों में संरचना का निर्माण कराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ:

भविष्य में निर्मित संरचना के रख-रखावो पर विशेष ध्यान देते हुए आम जनमानस को नुक्कड़ नाटक के द्वारा एवं ग्राम पंचायतो में बैठकों का आयोजन करा कर जन मानस को जागरूक करते हुए जल संचयन के महत्त्व को प्रसारित किया जा रहा है।

रमेश कुमार यादव, उपायुक्त श्रम रोजगार, ग्राम्य विकास, ई-मेल-drda3163@rediffmail.com, सोनभद्र

केस-23 जनपद-मैनपुरी: आव गंगा एवं काक नदी पुनरोद्धार द्वारा जल संरक्षण

कार्यान्वयन का स्थान : **विकास खण्ड करहल एवं बरनाहल (आव गंगा नदी)**
: **विकास खण्ड कुरावली एवं मैनपुरी (काक नदी)**
कार्यान्वयन एजेंसी : **उपायुक्त (मनरेगा)**
क्षेत्र : **जल संरक्षण**
अभ्यास का वर्ष : **2019-20 एवं 2023-24**

पृष्ठभूमि

प्रकृति प्रदत्त उपहारों में से सर्वश्रेष्ठ उपहार जल है। **"जल ही जीवन है"** उक्ति से यह चरितार्थ होता है। लेकिन कालान्तर में जल के अत्यधिक दोहन से सतह जल एवं भू-गर्भ जल के स्तर में लगातार ह्रास हुआ है। परिणाम स्वरूप दोहित (Semi Critical) एवं अतिदोहित (Critical) विकास खण्ड एवं उसके ग्राम पंचायतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है। इससे सिंचाई एवं पीने के लिए जल का संकट उत्पन्न होने का खतरा बढ़ रहा है। जनपद में प्रवाहित आवगंगा एवं काक नदियाँ लुप्त प्राय स्थिति में थी। नदियों के ऐसी स्थिति से भू-गर्भ जल के स्तर में गिरावट लगातार रेखांकित किया गया है।

हस्तक्षेप

महात्मा गाँधी नरेगा के माध्यम से लुप्त प्राय आवगंगा एवं काक नदियों का पुनरोद्धार का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सहयोग से नदियों का चिन्हांन्कन कराकर जनता का सहयोग लेकर जनपद में जीवनरक्षक जल के संग्रहण एवं संरक्षण के लिए यह पवित्र कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त उद्यान, लद्यु सिंचाई आदि के विभागीय योजनाओं से सिंचाई कार्य में जल संरक्षण वाले स्प्रिंकलर सेट, चेकडैम निर्माण आदि को भी बढ़ावा दिया गया है।

प्रभाव

सामाजिक

जल सरंक्षण के उपयोगिता के महत्व एवं जल सदुपयोग को जनसामान्य में प्रचारित करते हुए जनता को इस पवित्र कार्य में जोड़ा गया। नदी अपने पुराने स्वरूप में धरातल पर प्रवाहित है। नदियों के किनारे धार्मिक अनुष्ठान की परम्परा पुनः प्रारम्भ हो गयी। नदी में पानी के उपलब्धता से वर्षा दर एवं भू-गर्भ जल के स्तर में वृद्धि हुआ। परिणाम स्वरूप जीवन रक्षक जल का उपलब्धता हुआ।

आर्थिक

जनपद में आवगंगा नदी का विस्तार 17 कि0मी0 है। नदी से आच्छादित 08 ग्राम पंचायतों में 13,350 मानव दिवस सृजित करते हुए 26.83 लाख रूपये मनरेगा से व्यय करके नदी का पुनरोद्धार किया गया है। जनपद में काक नदी का विस्तार 21.8 कि0मी0 है। कुल 14,566 मानव दिवस सृजित करते हुए 30.509 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्तमान में नदी पुनरोद्धार प्रगति में है।

आवगंगा नदी के कैचमेण्ट एरिया में 75 नये तालाब, 553 सोकपिट, 32 रेनवाटर हर्विस्टिंग संरचना, 09 चेकडैम, 22 स्प्रिकलर/ड्रिप सेट स्थापना का कार्य भी किया गया है। इसके साथ ही 3,11,000 वृक्षों का रोपण तथा 463 सूक्ष्म सिंचाई कार्य भी कराया गया है।

मुख्य परिणाम

जल सरंक्षण के लिए जनचेतना में वृद्धि हुआ। जनता के सहयोग से नदी को पुराने स्वरूप में वापस लाया जाना सम्भव हुआ। नदी पुनरोद्धार कार्य से पूर्व भू-गर्भ जल स्तर 21.76 मीटर था। पुनरोद्धार के पश्चात भू-गर्भ जलस्तर 21.52 मीटर हो गया। भू-गर्भ जल स्तर में वृद्धि से पीने योग्य तथा सिंचाई के लिए जल सुगमता से उपलब्ध होने में सहायता मिली। सिंचाई सयन्त्र स्थापना मूल्य में कमी आया तथा पीने के लिए पानी हेतु संयन्त्र स्थापना मूल्य में भी कमी आयी। नदियों के किनारे स्थानीय वनस्पतियाँ स्वतः विकसित होने लगी। पशुओं के लिए चारा आदि की उपलब्धता सुनिश्चित हुआ।

सारांश

जनसहयोग से नदी के पुनरोद्धार के द्वारा नदी में जल की उपलब्धता तथा भू-गर्भ जल में वृद्धि हुआ है। इससे जहाँ जल के उपलब्धता के लिए कम मूल्य कृषि आदि कार्य सुगम हुआ है। वहीं सुगमता से पीने योग्य जल की उपलब्धता सुनिश्चित हुआ है। विलुप्त प्राय नदी को जीवनदान मिला है। नदी पुनरोद्धार से अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी प्राप्त हुआ है।

प्राप्त सीख

प्रकृति प्रदत्त उपहारों को संरक्षित करना समाज का मुख्य ध्येय होना चाहिए। जनता को संचेतित करके उनका सहयोग प्राप्त करते हुए योजनाओं को लागू करके अच्छा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के अनूठे प्रयोग से पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ और उपयोगी किया जा सकता है।

श्री अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, मो0 नं0 9454417511, ईमेल: dmmai@nic.in

क्षेत्र
पर्यावरण एवं वन

केस-24 जनपद-जालौन: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्राम वन की स्थापना

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत-बोहदपुरा विकास खण्ड, डकोर जनपद जालौन**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**ग्राम पंचायत-बोहदपुरा**
क्षेत्र	:	**ग्राम्य विकास**
अभ्यास का वर्ष	:	**2023-24**

पृष्ठभूमि:
शासन की मंशा के अनुरूप देश व प्रदेश को अधिक से अधिक हरा-भरा बनाने की योजना हैं। उक्त के अनुरूप शासन द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम वन बनाने की योजना हैं। ग्राम वन में न्यूनतम 01 हेक्टेयर की भूमि में 1600 पौधे रोपित किए जाएगें। ग्राम वन में औषधि एवं अत्याधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधें रोपित किए जाएगें] जिससे हमारा पर्यावरण हरा-भरा रहेगा।

हस्तक्षेप:
उ0प्र0 सरकार की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत, बोहदपुरा द्वारा ग्राम वन की स्थापना श्रीमती बेबीरानी मौर्य, मा0 मंत्री, बाल विकास पुष्ठाहार उ0प्र0 सरकार द्वारा स्थल पर 2500 पौध रोपण कर की गयी।

प्रभाव:
सामाजिक:
पर्यावरण प्रबन्धन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संकटो को रोकने के साथ-साथ उचित समाधान खोजने की कोशिश से सम्बन्धित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना हैं कि हम भविष्य की पीढ़ीयों के लिए पर्यावरणीय जीवन के सभी रूपो को संरक्षित करने में मदद करें। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा बृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा हैं। उसी क्रम में ग्राम वन की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम हैं। जनपद की 574 ग्राम पंचायतों में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में शासन द्वारा ग्राम वन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम वन के लिए पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। ग्राम वन के रखरखाव की जिम्मेदारी पंचायत की होगी तथा ग्राम वन तैयार कराने का काम मनरेगा योजना से कराया जा रहा हैं।

आर्थिक:
ग्राम वन की स्थापना मनरेगा योजना के अन्तर्गत करायी जा रही हैं] जिसमें कच्चे कार्य हेतु श्रमिकों का भुगतान मनरेगा योजना से तथा पौधें वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्राम वन की स्थापना में यह ध्यान रखा गया हैं कि वह सुरक्षित स्थान पर चारदीवारी के अन्दर लगाए जाए अन्यथा की स्थिति में ग्राम निधि के द्वारा सुरक्षित स्थान बनाने का कार्य किया जाए। उक्त वृक्षारोपण कार्य पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को बेहतर बनाएगी।

मुख्य परिणाम:

वृक्षारोपण मानव जाति को कई लाभ प्रदान करता हैं तथा हम में से प्रत्येक के द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास पृथ्वी पर समग्र पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर सकते हैं। इसी क्रम में शासन द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत वन] ग्राम वन, नन्दन वन आदि बनाए जाने के कार्य किए जा रहे हैं] जिसके द्वारा समाज की ओर से प्रकृति को सहयोग किया जा सके तथा पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके।

सारांश:

पर्यावरण तथा जैव विविधता का संतुलन बनाए रखने के लिए शासन द्वारा प्रदेश के अधिक से अधिक क्षेत्रों को हरा-भरा करने के लिए ग्राम वनों की स्थापना की जा रही हैं] जिसमें वन विभाग द्वारा पौध वितरण का कार्य निःशुल्क रूप से तथा श्रमिकों के लिए भुगतान मनरेगा योजना से करते हुए कार्य कराया जा रहा हैं।

प्राप्त सीख:

हम सभी जानते हैं कि हमारे अस्तित्व और कल्याण के लिए पेड़ और पौधे कितने महत्वपूर्ण हैं] लेकिन हम में से कितने लोग नियमित रूप से पेड़ लगाते हैं। यदि आप ऐसा नही कर रहे हैं] तो यह समय हैं] जब आपको इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सार्थक प्रयास करना चाहिए।

जिलाधिकारी, जालौन, मो0न0-9454417548, ईमेल:dmjal@nic.in

केस-25 जनपद-महोबा: नेपियर घास का रोपण

कार्यान्वयन का स्थान : **जनपद-महोबा के 04 विकास खण्डों की 273 ग्राम पंचायतें**
कार्यान्वयन एजेंसी : **पशुपालन विभाग, महोबा**
क्षेत्र : **पशुधन**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि:
बुन्देलखण्ड में अन्ना पशुओं से कृषकों की फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुचाये जाने की एक बड़ी समस्या है, जिसके समाधान हेतु शासन के आदेशानुसार जनपद महोबा के चार विकास खण्डों की 273 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 291 ग्रामों में गौशालाये संचालित की गई है जिसमे अन्ना पशुओं को संरक्षित किया गया है अन्ना पशुओं के लिए हरे चारे की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे 14 ग्राम पंचायतों 27 एकड़ चारागाह की भूमि को चिन्हित करते हुए भूमि को कब्ज़ा से मुक्त कराया गया व नेपियर घास का रोपण किया गया । एक बार नेपियर घास लगाने के बाद 3 से 5 पांच साल तक किसानों को हरे चारे की समस्या का समाधान मिल जाता है, पशुओं को हरे चारे की समस्या के निस्तारण हेतु गुणवत्ता पर कहरे चारे की कमी का समाधान निकाला गया ।

नेपियर घास के लाभ:
- नेपियर घास बाजरा की हाई ब्रिड वैरायटी है।जो कि न केवल बंजरजमीन बल्कि खेतों की मेड़ों पर उगाई जा सकती है।केवल सिंचित करने की आवश्यकता है।
- बरसात का समय नेपियर घास की रोपाई करने का सही समय है।यह घास बीस से पच्चीस दिन में तैयार हो जाती है।
- नेपियर घास का उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 300 से 400 कु.होताहै।एक बार घास की कटाई करने के बाद उसकी शाखाएं पुन: फैलने लगती है।
- इस घास की खासियत यह है कि अगरआप इस घास को 1 बार लगाते हैआनेवाले 3 से 5 सालों तक हरेचारे की समस्या नहीं होगी।
- इसकी 25 दिन के अंतराल में कटाई कर सकते है।
- पहली बार इस घास को लगाने पर ये करीब 45 दिनों का समय लेती है तैयार होने में जबकि उसके बाद 25 दिन में ही तैयार हो जाती है और इसकी घास कटाई का चक्र चलता रहता है ।
- इस घास की वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में 12 से 14 फीसद शुष्क पदार्थ मौजूद होता है। जिसमें औसतन 7 से 12 फीसद तक प्रोटीन, 34 फीसद रेशा तथा कैल्शियम व फास्फोरस की राख 10.5 फीसदी तक पाई जाती हैं।

हस्तक्षेप:
जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी,महोबा की अध्यक्षता में खण्ड विकास अधिकारियों की बैठक कर चरगाह की भूमि व गौशाला के निकटम ग्राम पंचायत की भूमि को चिन्हित कर कब्ज़ा मुक्त कराने व उसमे नेपियर घास के रोपण के निर्देश दिए गए तत्क्रम में भूमि का चिन्हांकन कर मनरेगा एवं 15 वें वित्त के साथ अभिसरण करते हुए कार्य को स्वीकति के उपरान्त कार्य को कराया गया ।

जनपद की ग्राम पंचायतों में नेपियर घास रोपण का विवरण:

क्र.	ब्लाक	ग्राम पंचायत का नाम	नैपियर घास रोपण (गांठ की सं०)	क्षेत्रफल (एकड़)
1	जैतपुर	धवर्रा	10000	1.00
2		अजनर	10000	1.00
3		गुढा	10000	2.00
4		लमौरा	10000	3.00
5	कबरई	सिरसीकलां	20000	10.00
6		भंडरा	1000	1.23
7		महेवा	10000	1.00
8		मौचीपुरा	10000	1.00
9		शाहपहाड़ी	10000	0.619
10	पनवाड़ी	रूरीकलां	5000	1.00
11		बहादुरपुरकलां	5000	1.00
12		कनकुआं	5000	1.00
13		महुआइटौरा	5000	1.00
14		किल्होवा	5000	1.00
		योग	**116000**	**25.849**

मुख्य परिणाम:

उक्त कार्य को कराने से मुख्य रूप से ग्राम सभा की भूमि पर अबैध कब्जे से मुक्त होने के साथ गौवंश को हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की गई जिससे अन्ना गौ वंश को गौशालाओं में संरक्षित किये जाने में सुविधा हुई साथ ही अन्ना गौवंश से कृषकों की फसल को हो रही क्षति को काफी हद तक रोकने की दिशा में अच्छे परिणाम निकल कर आये। ग्राम पंचायत सिरसीकला विकास खण्ड कबरई में नेपियर की 2 रु. प्रति पौध विक्रय कर ग्राम सभा की आय को बढ़ाने का एक विकल्प भी सृजित हुआ।

विकल्पों को बढ़ावा:

ग्रामीण जनता मे नेपियर घास के रोपण हेतु एक जागरूकता आई एवं वह अपनी व्यक्तिगत भूमि पर भी नेपियर घास रोपण के इच्छुक हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। जनपद की अन्य शेष पंचायतों में भी नेपियर घास के रोपण हेतु भूमि चिन्हांकन का कार्य कराया जा रहा है जिससे अन्ना पशुओं को संरक्षित कर कृषकों की फसल की होने वाली क्षति को रोका जा सकेगा। इससे कृषिको की आय वृद्धि में भी सहायता प्राप्त हो सकेगी।

ग्राम पंचायत – सिरसीकला ,विकास खण्ड कबरई नेपियरघास की पौध की संख्या – 20000 ,क्षेत्रफल – 10 एकड़

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

उक्त कार्य के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ निम्नवत हैं ग्राम पंचायतों में नेपियर घास रोपण के प्रति ग्रामीण निवासियों में जागरूकता , ग्राम सभा की भूमि कब्ज़ा मुक्त होंना, ग्राम सभा की आय में वृद्धि, अन्ना गौवंश को संरक्षित किये जाने में आसानी , हरे चारे की उपलब्धता,अन्ना गौवंश से कृषकों की फसल के नुकसान में कमी इत्यादि। जो गौवंश संरक्षण के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

सारांश:

वर्ष 2022-23 में महात्मा गाँधी नरेगा योजना से व पन्द्रहवें वित्त योजना से कन्वर्जेन्स कर मनरेगा की अनुमन्य कार्य की श्रेणी में आने वाले चारागाह विकास कार्य हेतु चारागाह की भूमि को चिन्हित कर जनपद की 14 ग्राम पंचायतों में 27 एकड़ भूमि पर नेपियर घास का रोपण किया गया है।

प्राप्त सीख:

अन्ना गौवंश को हरे चारे की उपलब्धता एवं गौवंश को संरक्षित किये जाने के लिए ग्रामीण लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है | इस कार्य से आम जनमानस को नेपियर घास एवं अपने परिवेश में पर्यावरण अनुकूलन के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।

श्री राघवेन्द्र तिवारी उपायुक्त (श्रम रोजगार) मोबाइल नं0 8765983089 ई-मेल :dcmahoba1@gmail.com

केस-26 जनपद-मुजफ्फर नगर: हैदरपुर वेटलैंड (Haiderpur Wetland) समृद्ध जैव विविधता (ग्राम्य विकास)

कार्यान्वयन का स्थान : **हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर**
कार्यान्वयन एजेंसी : **जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर**
क्षेत्र : **वन एवं पर्यावरण**
अभ्यास का वर्ष : **2021-22**

पृष्ठभूमि:

जनपद मुजफ्फरनगर में बिजनौर-मुजफ्फरनगर सीमा के समीप स्थित 8000 हेक्टेयर में आच्छादित **हैदरपुर वेटलैंड (Haiderpur Wetland)** समृद्ध जैव विविधता वाला जल निकाय है। यह पौधों, पक्षियों, मछलियों एवं अन्य स्तनधारियों की विभिन्न प्रजातियों का गृह है। इनमें जलीय जानवर, गंगा डॉल्फिन आदि भी सम्मिलित हैं। हालाँकि आर्द्रभूमि के जलकुंभी के परिवर्तित होने, अवैध शिकार, चराई तथा स्थानीय समुदाय के मध्य जागरूकता की कमी होने के कारण इस जल निकाय को सुरक्षित बनाए रखने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन):

1. **योजना:**
   - आर्द्रभूमि के जीर्णोद्धार हेतु **भारतीय वन्यजीव संस्थान** एवं **विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund)** के वैज्ञानिकों से विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया।
   - जिला प्रशासन द्वारा विचार-विमर्श कर कार्य योजना विकसित की गयी।

2. **अवसंरचना विकास:**
   - प्रशिक्षित स्थानीय लोगों के सहयोग से जलकुंभियों को साफ किया गया।
   - स्थानीय श्रमिक कारीगरों द्वारा सामुदायिक शौचालयों तथा स्वच्छ पेयजल सुविधा तथा स्वच्छता सम्बन्धी बुनियादी ढांचे की स्थापना की गई।
   - प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण, बैठने हेतु बेंचों की स्थापना, सुरक्षा के लिए समुद्री एवं वन पुलिस चौकियों, निगरानी टावरों तथा गश्त लगाने वाली नौकाओं की स्थापना की स्थापना करते हुए सामाजिक-भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास किया गया।
   - आर्द्रभूमि क्षेत्र ज्ञात करने हेतु आगंतुकों को साइकिलिंग की सुविधा प्रारम्भ की गयी।

3. **क्षमता निर्माण के माध्यम से रोजगार सृजन और हितधारक जुड़ाव:**
   - डॉल्फिन सफारी हेतु स्थानीय लोगों को नाविक बनाने हेतु प्रशिक्षित किया गया।
   - नदी के किनारे निवासित स्थानीय लोगों को अगरबत्ती एवं साबुन जैसे स्वदेशी उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए बाजार की उपलब्धता हो सके।
   - आगंतुकों की सहायता के लिए स्थानीय लोगों को चिन्हित कर **पर्यटक गाइड** के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

- आर्द्रभूमि के महत्व एवं पर्यटन बाजार के रूप में इसकी क्षमता के बारे में स्थानीय समुदाय को जागरूक किया गया।

4. डॉल्फिन सफारी एवं जैव विविधता संरक्षण:

- पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु गंगा की डॉल्फिन को प्रदर्शित करने के उददेश्य से डॉल्फिन सफारी का प्रारम्भ किया गया।
- उत्तर प्रदेश से राजकीय पशुओं एवं अन्य प्रजातियों के आगमन से आर्द्रभूमि को समृद्धता प्राप्त हुई।
- आर्द्रभूमि की जैव विविधता के विषय में जानकारी प्रदान करने हेतु **इन्फोग्राफिक बोर्ड (Infographic Board)** भी चस्पा किए गए।

प्रभाव:

- आर्द्रभूमि हेतु किए गए प्रयासो के परिणाम स्वरूप इस आर्द्रभूमि को **रामसर साइट** के रूप स्वीकृति प्राप्त हुई इसके साथ ही आर्द्रभूमि के संरक्षण हेतु इसके अंतर्राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- आर्द्रभूमि में आने वाले स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, जिससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला।
- आर्द्रभूमि की अनुकूल परिस्थितियों के प्रभाव के कारण ही विदेशी एवं पेशेवर पक्षी पर्यवेक्षक भी आकर्षित हुए।
- सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से अवैध शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया जा सका।
- स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर सृजित करते हुए आर्द्रभूमि के रखरखाव में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

मुख्य परिणाम:

- देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई।
- विविध प्रजातियों एवं पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण सुनिश्चित हुआ।
- स्वदेशी उत्पादों के लिए पर्यटन एवं स्थानीय बाजार के माध्यम से आर्थिक विकास सुनिश्चित हुआ।
- बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था से अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया गया।
- रोजगार सृजन तथा सामुदायिक प्रतिभागिता सुनिश्चित की गयी।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

- जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्रों में इस मॉडल (Model) की प्रतिकृति की जा सकती है।
- गैर-सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट संस्थाओं, स्थानीय समुदायों एवं अधिकाधिक स्टेकहोल्डर्स को सम्मिलित करते हुए उनके सहयोग से संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है।
- शैक्षणिक संस्थानों एवं शोध संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करते हुए आर्द्रभूमि क्षेत्र के अध्ययन एवं उनके संरक्षण के प्रयासों में वृद्धि की जा सकती है।

सारांश:

हैदरपुर वेटलैंड टूरिज्म प्रोजेक्ट (Haiderpur Wetland Tourism Project) ने वेटलैंड को एक उपेक्षित क्षेत्र से एक संपन्न पर्यटन स्थल के रूप में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया। सावधानीपूर्वक विकसित की गयी कार्ययोजना, बुनियादी ढाँचे के विकास, क्षमता निर्माण एवं जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से जहां एक ओर इस परियोजना ने अधिकाधिक आगंतुकों को आकर्षित किया वहीं दूसरी ओर स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार परिलक्षित हुआ तथा आर्द्रभूमि के प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित हुआ। विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के सम्बद्धन एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों मध्य किया गया प्रभावी समन्वय परियोजना की सफलता का मुख्य कारक रहा।

सीख:

- प्राकृतिक आश्रयों के जीर्णोद्धार एवं उनके प्रभावी प्रबंधन के लिए संबंधित संगठनों के सहयोग के साथ-साथ विशेषज्ञ सलाह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।
- पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा तथा आगंतुकों को अनुकरणीय अनुभवों की उपलब्धता हेतु बुनियादी सुविधाओं तथा सुरक्षा उपायों के साथ ही बुनियादी ढांचे का विकास नितान्त आवश्यक है।
- स्थानीय समुदाय की भागीदारी एवं क्षमता निर्माण सतत विकास तथा दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- पर्यटन स्थल में विविधता लाते हुए डॉल्फिन सफारी जैसी विशिष्ट गतिविधियों के प्रारम्भ से आगंतुकों की वृहद संख्या आकर्षित हुई तथा इससे आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित हुआ।
- व्यापक रूप से परियोजना कार्यान्वयन हेतु संसाधनों का कन्वर्जेन्स (Convergence) एवं विभिन्न संस्थाओं से वित्त पोषण द्वारा सहयोग प्राप्त किया गया।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

केस-27 जनपद-मैनपुरी: सारस, वेटलैण्ड का गौरव पक्षी

कार्यान्वयन का स्थान : सारस सर्किट पर्यटन क्षेत्र विकास, मैनपुरी
कार्यान्वयन एजेंसी : उपायुक्त (मनरेगा)
क्षेत्र : वन एवं पर्यावरण
अभ्यास का वर्ष : 2021-22

पृष्ठभूमि

झील, बावड़ी, पोखर, ताल, तालाब, नदी, नाले एवं खादर से युक्त नम क्षेत्र (वेटलैण्ड) वातावरणीय चक्रों को निर्बाध रखने तथा जैवीय उत्पादकता, भस्मीकरण के साथ वन्य जीवों का प्राकृतिक प्रवास के आधार है। वन्य जीवों के रूप में प्रवास करने वाला सर्वप्रमुख जीव सारस क्रेन है। भारतीय सारस के साथ ही अन्य यूरेशियन देशों से प्रवासी सारस भी जनपद के वेटलैण्ड में पाये जाते हैं। क्योंकि सारस पानी के पास, दलदल, कम वनस्पति के गीले क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तालाबों तथा वेटलैण्ड के आस-पास रहना पसन्द करते हैं। बढ़ती आबादी के आवश्यताओं की पूर्ति के लिए शासकीय भूमि को कृषि उपज के लिए प्रयोग किया जा रहा था। जिससे पक्षियों के प्रवास के लिए परिस्थितियाँ संकुचित होती गयी थी। इसलिए इसे पुनः पुराने स्वरूप में लाया जाना आवश्यक था। साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र ताजमहल (आगरा) समीप होने के कारण स्थानीय एवं बाहरी पर्यटकों के लिए "इको-टूरिज्म" महत्वपूर्ण आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सके। इसके लिए यू0पी0 टूरिज्म के बेवसाइट पर भी इसे स्थान दिया गया है।

हस्तक्षेप

देश में उपलब्ध सारस का लगभग 33 प्रतिशत सारस इस क्षेत्र में पाया जाता है। सारस के लिए अधिक अनुकूल वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्रफल के वेटलैण्ड को कब्जामुक्त कराकर महात्मा गाँधी नरेगा एवं वित्त आयोग के वित्त पोषण तथा जनसहयोग से विकसित किया गया है ताकि इको-टूरिस्ट स्थान के रूप में स्थापित करया जा सके।

प्रभाव

सामाजिक

जनता के सहयोग से महत्मा गाँधी नरेगा तथा वित्त आयोग के वित्त पोषण से शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराकर जैव विविधता को नया आयाम दिया गया है। स्थानीय सारस के साथ-साथ प्रवासी सारस के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ सृजित हुई। परिणामतः सारस व अन्य पक्षी की क्षेत्र में आवक में वृद्धि हुई है। स्थानीय स्तर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सुलभ हुआ।

आर्थिक

जनपद के लगभग 150 हेक्टेयर वेटलैण्ड का जीर्णोद्धार मनरेगा अन्तर्गत 14,491 मानव दिवस सृजित करके रू. 28.99 लाख तथा वित्त आयोग की धनराशि 18.75 लाख रूपये कुल रू. 47.74 लाख से किया गया। इस परियोजना से प्रत्यक्ष रूप से जहाँ तात्कालिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए वहीं अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घकालीन स्थानीय रोजगार के सृजन का भी आधार विकसित हुआ।

मुख्य परिणाम

वेटलैण्ड के विकास से सारस पक्षियों के संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। **"इको टूरिज्म"** के रूप में देश टूरिस्ट मानचित्र पर प्रमुखता के कारण पर्यटकों को आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की है। स्थानीय स्तर पर रोजगार का अवसर सुलभ होने के साथ ही पर्यटकों के आवाजाही से स्थानीय व्यवसाय के विकास में सहायक है।

सारांश

जनता के सहयोग से महत्मा गाँधी नरेगा तथा वित्त आयोग के वित्त पोषण से शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराकर जैव विविधता को नया आयाम दिया गया है। स्थानीय सारस के साथ-साथ प्रवासी सारस के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ सृजित हुई। परिणामतः सारस व अन्य पक्षी की क्षेत्र में आवक में वृद्धि हुई है। स्थानीय स्तर पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से रोजगार का सृजन हुआ है। साथ ही अकुशल श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सुलभ हुआ।

प्राप्त सीख

जनसहयोग एवं शासकीय योजनाओं के धनराशि के समन्वय से अविकसित क्षेत्र को विकास के मानचित्र पर पर्यटन के रूप में स्थापित किया जा सकता है। उचित निर्णय, बेहतर ताल-मेल तथा एक सुविचारित स्वस्थ एवं दृढ़ दृष्टिकोण की आवश्यकता है। शासकीय योजनाओं में जनता की भागीदारी से आधारभूत संरचनाओं को विकसित करके जैवविविधता जैसे क्षेत्र में बेहतर कार्य किया जा सकता है।

श्री अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, मो0 नं0 9454417511, ईमेल: dmmai@nic.in

केस-28 जनपद-बिजनौर: आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से पौधारोपण कराना

कार्यान्वयन का स्थान : **ग्राम-शाहअलीपुर कोटरा, कोतवाली, जनपद-बिजनौर**
कार्यान्वयन एजेंसी : **बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग (ICDS)**
क्षेत्र : **बाल विकास**
अभ्यास का वर्ष : **2023-24**

पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम कोतवाली एवम् उसके उपरांत जनपद बिजनौर के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर इस मॉडल को लागू करना तथा निकट भविष्य में इसे देश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए एक आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में विकसित करना जिससे बच्चों के रूप में हमारी आगामी पीढ़ी को अभी से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील और जागरुक बनाया जा सके।

हस्तक्षेप

आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों से पौधारोपण कराया गया और जिस बच्चे ने जो पौधा लगाया उस पौधे को उस बच्चे का नाम दे दिया गया। इसके सामाजिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलें। जैसे- पर्यावरणीय लाभके अंतर्गत यह देखा गया की बच्चा पर्यावरण के प्रति पूर्व की तुलना में अधिक संवेदनशील हुआ है और वह स्वयं को उस पौधे से जोड़ पाने में सक्षम है। वह उसके जलारोपण को लेकर ठीक उसी प्रकार उत्सुक व चिंतित था जिस प्रकार किसी बच्चे की माँ अपने बच्चे के भूखे होने पर होती है।

प्रभाव

सामाजिक प्रभाव-

इसका प्रभाव सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्रों तक सीमित न रहा अपितु धीरे-धीरे इससे प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी जुड़ने लगें। इससे केंद्र पर पंजीकृत बच्चों के अभिभावकों में भी एक सकारात्मक संदेश गया कि उनके बच्चे न सिर्फ एक कुशल आंगनबाड़ी कार्यकत्री की देख-रेख में रहते हैं अपितु यह भी पाया गया की अभिभावकों के मन में निजी क्षेत्र में चलने वाले प्री स्कूल एजुकेशन के प्रति जो सकारात्मक भाव था और आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत संचालित बाल वाटिका के प्रति जो नकारात्मक भाव था उसके अंतर में कमी आयी है।

पर्यावरणीय प्रभाव

बच्चों द्वारा पौधारोपण से न सिर्फ उनमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ी बल्कि इससे आंगनबाड़ी केंद्र के परिसर में हरियाली तथा स्वच्छ वायु का संचार हुआ।

मुख्य परिणाम

इसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है-

- बच्चो में पर्यावरणीय संवेदनशीलता का विकास हुआ।

- क्योंकि बच्चे अपने नाम से संबंधित पौधों का जलारोपण कर रहे थे। अतः उनमें जिम्मेदारी और अनुशासन का विकास हुआ, इस प्रकार उन्हें इससे सामाजिक शिक्षा भी प्राप्त हुई।
- आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर पौधारोपण की संख्या बढ़ने से हरियाली बढ़ी, जिसे प्रायः समाज में मानसिक शांति के प्रतीक रूप से देखा जाता है।
- इससे बच्चों के अभिभावकों और अन्य गणों, जिन्हें इस पहल की जानकारी थी उनके मन में आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हो सकता है कि निजी क्षेत्र में लाभ के उद्देश्य से संचालित होने वाले "प्ले स्कूल" की तुलना में अभिभावकों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को वरीयता दी जाए।

सारांश

बच्चों के बहुआयामी विकास की संभावनाएं खुलेंगी, जिसमें पर्यावरण के प्रति संवेदन्शीलता, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिकता सहित सभी आयाम शामिल होंगे|सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पोषण वाटिका लगाने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। आंगनबाड़ी केन्द्रों के अंतर्गत संचालित होने वाले बाल वाटिका में, पंजीकरण में वृद्धि देखने को मिलेगी।

प्राप्त सीख

निश्चित रूप से इस अभिनव प्रयास को ग्राम, विकास खण्ड, क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी लागू किया जा सकता है| इससे एक तरफ हरियाली तो बढ़ेंगी ही साथ ही साथ बच्चों को अपना शारीरिक-मानसिक विकास करने का भी अवसर मिलेगा| इस अभिनव प्रयास से, इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि बच्चा बड़ा होकर नैतिक,सभ्य और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील नागरिक बनेगा जो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक भविष्य को दर्शाता है।

श्रीमती शीतल वर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी Mob-9599939309 email id-dpobijnor2013@gmail.com

क्षेत्र
लघु उद्योग

केस-29 जनपद-गोण्डा: अरगा-स्थानीय उत्पादों और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना

कार्यान्वयन का स्थान : **समस्त विकास खण्ड, जनपद- गोण्डा**
कार्यान्वयन एजेन्सी : **उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**
क्षेत्र : **ग्राम्य विकास विभाग**
अभ्यास का वर्ष : **2023-24**

पृष्ठभूमि:

अरगा ब्राण्ड स्वयं सहायता समूहों के0वी0आई0सी0 और एफ0पी0ओ0 के लिये पैकेजिंग और ब्रांडिंग मुद्दों को हल करना उनकी आर्थिक सफलता बाजार प्रतिस्पर्धा और सामाजिक प्रभाव के लिये महत्वपूर्ण है। यह उन्हे ग्राहकों को आकर्षित करने, विश्वास बनाने, अपने उत्पादों को अलग करने और स्थायी आजीविका बनाने में मदद करता है, जिससे महिलाओं और किसानों का समग्र सशक्तिकरण होता है और उनके मूल्यवान योगदान को मान्यता मिलती है।

हस्तक्षेप:

1- अम्बरेला ब्राण्ड का निर्माण, नाम व लोगो का मंशन।
2- नोडल सी0एल0एफ0/एस0एच0जी0 का चयन।
3- ब्राण्ड का पंजीकरण एवं जिले में गाईडलाइन तैयार करना।
4- ब्राण्ड का नाम और लोगो का आवंटन ।
5- ब्राण्ड का लान्च ।
6- विपणन और प्रचार की रणनीतियाँ।

प्रभाव:

सामाजिक:

नीति आयोग भारत सरकार के बेस लाइन सर्वे रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार गोण्डा का स्थान गरीबी सूचकांक में पांचवे स्थान पर था। गरबी के अभिशाप से जिले को बाहर निकालने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के साथ एफ0पी0ओ0 एवं ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से तैयार उत्पादों को अरगा ब्राण्ड शापिंग माल व स्थानीय बाजारों में स्थान मिलने से जनपद के लोगों विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति सदृढ़ होगी, जोकि महिलाओं आत्मनिर्भर एवं सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा।

आर्थिक:

महिला स्वयं सहायता समूहों, के0वी0आई0सी0 और एफ0पी0ओ0 के लिये पैकेजिंग और ब्राण्डिंग मुद्दों को हल करना, उनकी आर्थिक सफलता, बाजार प्रतिस्पर्धा और सामाजिक प्रभाव के लिये महत्वपूर्ण है। यह उन्हे ग्राहकों को आकर्षित करने, विश्वास बनाने, अपने उत्पादों को अगल करने और स्थायी आजीविका बनाने में मदद करता है, जिससे महिलाओं और किसानों का समग्र सशक्तिकरण होता है और उनके मूल्यावान योगदान को मान्यता मिलती है।

मुख्य परिणाम:

- स्थानीय उत्पादों का मानकीकरण और अम्ब्रेला ब्रांड की शुरूआत हासिल की गई ।
- एस.एच.जी./एफ.पी.ओ./ओ.डी.ओ.पी./के.वी.आई.सी. के सामने ब्रांडिंग और पैकेजिंग जैसी चुनौतियों का समाधान करना ।
- काम करने के तरीकों का एकीकरण और गो-टू मार्केट (जी.टी.एम.) रणनीतियों को लागू करना
- लिए गए उत्पादों की संख्या (चरण 1 में) - 61 (40 (एस.एच.जी.), 16 (एफ.पी.ओ.), 5 (ओ.डी.ओ.पी.)
- सीधे प्रभावित लोगों की संख्या- 750 (500(एस.एच.जी.), 200(किसान), 50(ओ.डी.ओ.पी. उद्यमी)
- जिले में खुदरा विक्रेताओं (प्रमुख खुदरा विक्रेताओं- आई.टी.सी, स्मार्ट बाजार आदि) के साथ कुल 300 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए ।
- अब मांग और सकारात्मक फीडबैक से स्वरोजगार, निवेश और ऑटोमेशन के प्रति सकारात्मक सोच
- लगभग 90 प्रतिशत उत्पाद लॉन्च के दिन ही बिक गए ।
- कुछ उत्पादों को थोक ऑर्डर भी मिल रहे हैं ।

सारांश:

प्रोजेक्ट अरगा के अस्तित्व में आने से जनपद की महिलाओं एवं किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होने से महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना एस0एच0जी0 और किसानों की प्रतिभा उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

प्राप्त सीख:

एक मजबूत ब्राण्ड पहचान और आकर्षक पैकेजिंग उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और विश्वसनियता पैदा कर सकती है, जिससे बिक्री और ग्राहक वफादारी बढ़ सकती है। यह उत्पादों के प्रति सकारात्मक धारणा बनाने में मदद करता है और पेशकशों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में विश्वास पैदा करता है।

एम. अरुन्मोली, मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा, मो.नं.-9454419046, ई.मेल.- arunmozhi.karun@gmail.com

केस-30 जनपद-उन्नाव: अन्नपूर्णा प्ररेणा महिला लघु उद्योग प्राकृतिक/जैविक पेन्ट उत्पादन इकाई

कार्यान्वयन का स्थान : **ग्राम पंचायत अमरेठा, नवाबगंज, उन्नाव**
कार्यान्वयन एजेंसी : **ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0**
क्षेत्र : **स्वास्थ्य**
अभ्यास का वर्ष : **23-2022**

पृष्ठभूमि

उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजनान्तर्गत गौशाला में संरक्षित गौवंशो के गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेन्ट निर्माण इकाई की स्थापना की गयी है। इस उत्पादन इकाई में स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इस इकाई से जनपद व आस-पास के क्षेत्रों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण पेन्ट कम दर पर उपलब्ध हो रहा है।

हस्तक्षेप

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से खादी ग्राम उद्योग विभाग के साथ मिलकर प्राकृतिक पेन्ट उत्पादन इकाई की स्थापना किया गया है। इस उत्पादन इकाई को ग्रामीण समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रभाव

सामाजिक

जनपद में संचालित इकाई से ग्रामीण समूह से जुड़ी महिलाओं को आजीविका उपलब्ध हो रहा है तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता व महिला सशक्तिकरण के ठोस विकासात्मक कार्यो में महिलाओं की क्षमता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आर्थिक

उत्पादन इकाई की कुल लागत 27 लाख रूपये है। जिसमें से 20 लाख रूपये खादी ग्राम उद्योग विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुये हैं। इसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुये हैं तथा शेष 7 लाख रूपये उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी समूहों के द्वारा अंशदान लगाया गया है। इससे 2000 ग्रामीण समूह की महिलाओं को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है। इस इकाई की स्थापना से बाजार में उपलब्ध हानिकारक केमिकल युक्त पेन्ट की निर्भरता को कम किया जा सकता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा भी मिल रहा है।

मुख्य परिणाम

इस उत्पादन इकाई में संचालित मशीनों को नियोजित किया गया है। जिसमें पेन्ट निर्माण प्रक्रिया को आसान बनाते हुये उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जो बाजार मांग की पूर्ति के लिये लाभदायक सिद्ध हो रहा है।

सारांश

पेन्ट से सम्बंधित समस्त उत्पाद जैसे- डिस्टेम्पर, इमल्शन, पुट्टी इत्यादि का निर्माण कार्य इकाई द्वारा न्यूनतम दरों पर किया जाता है। कार्यरत महिलाओं का पारिश्रमिक भुगतान प्रतिदिवस रू0 250/- की दर से साप्ताहिक किया जाता है। उत्पादन की लागत मूल्य कम होने के साथ-साथ गोवंशों की सुरक्षा व पर्यावरण पूरक तथा आत्मनिर्भर भारत को बनाने का एक सार्थक व सफल कदम भी है।

प्राप्त सीख

बाजार में उपलब्ध पेन्ट में बहुत हानिकारक केमिकल का उपयोग किया जाता है। जिसके बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। वर्तमान में गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेन्ट का निर्माण पूर्णतया संचालित मशीनों से किया जाता तथा प्राकृतिक पेन्ट से किसी भी प्रकार से हानिकरक नहीं है एवं उत्पाद बेहतर फिनिशिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप है तथा इसके अनेको लाभ है। यथा:-1- पर्यावरण - पूरक, 2- प्राकृतिक उष्मा रोधक, 3- एंटी - बैक्टीरिया, 4- एंटी- फंगल, 5- भारी धातु रहित 6- अ-विषाक्त, 7- गंध रहित, 8- किफायती

श्री ऋषिराज, मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव, मो0नं0-9454465441 ईमेलः drda-unn@nic.in

क्षेत्र
लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण

केस-31 जनपद-फिरोजाबाद: सुहाग नगरी महिला प्रेरणा केन्द्र

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद-फिरोजाबाद
कार्यान्वयन एजेंसी : महिला प्रेरणा उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एफपीओ)
क्षेत्र : ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष : 2020-21

पृष्ठभूमि:

जनपद-फिरोजाबाद में सुहाग नगरी महिला प्रेरणा उत्पादक कंपनी लिमिटेड (एफपीओ) की स्थापना माह मार्च 2021 को गयी थी। कोविड-19 महामारी के कारण अन्य की ही भांति इस संस्था को भी आजीविका संकट का सामना करना पड़ा। आलू उत्पादन में अग्रणी होने वाले जनपद-फिरोजाबाद ने एफपीओ के माध्यम से महिला किसानों के लिए स्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करने का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया।

हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन):

एफपीओ के अन्तर्गत 650 महिला किसान शेयरधारकों के रूप में एक साथ लायी गयीं, जिनमें से प्रत्येक महिला किसान ने कंपनी की पूंजी में समान रूप से योगदान दिया। संगठन का नेतृत्व करने हेतु दस महिला निदेशकों को नियुक्त किया गया। शेयरधारकों के 37.1%, बैंक ऋण 41.9% एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NAbard) के 21% योगदान के फलस्वरूप एफपीओ हेतु धन सुरक्षित हुआ।

एफपीओ का मुख्य उददेश्य एक आलू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना तथा एक **स्थानीय चिप्स ब्रांड लॉन्च** करने के साथ ही जनपद-फिरोजाबाद में उपलब्ध **"चिप्स सोना"** आलू की बेहतर गुणवत्ता का लाभ उठाना है। चिप्स उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त मशीनरी का क्रय किया गया है ताकि स्थानीय व अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके।

प्रभाव:

एफपीओ इंटरवेशन्स का महत्वपूर्ण परिणाम परिलक्षित हुआ। चिप्स पैकेटों का उत्पादन एवं विक्रय **एफपीओ** संचालन की आधारशिला बन गई। लोकप्रिय ब्रांडों की तुलना में आधुनिक डिजाइन के साथ पैक किए गए चिप्स बाजार में भिन्न नजर आए। महिला किसानों द्वारा एफपीओ को आलू विक्रय करते हुए आय अर्जित की गयी, जबकि महिला मजदूरों एवं विक्रय एजेंटों द्वारा भी आय अर्जित की गयी। **एफपीओ** द्वारा भी प्रति पैकेट रू. 0.70 का लाभ प्राप्त किया गया। परिणामत: 76 प्रतिशत महिला किसानों की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकी।

मुख्य परिणाम:

एफपीओ के चिप्स ब्रांड **''आर्क चिप्स''** को इस क्षेत्र में लोकप्रियता प्राप्त हुई। इस ब्रांड द्वारा महिला विक्रय एजेंटों एवं निजी डीलरों के माध्यम से लगभग 3.2 लाख पैकेट विक्रय किये गये। **एफपीओ** द्वारा माह अप्रैल, 2022 में लगभग 4.25 लाख पैकेट विक्रय किए गए तथा माह अक्टूबर 2022 तक उत्पादन को 06 लाख

पैकेट प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। **एफपीओ** द्वारा लाभदायी उद्यम के दृष्टिगत महिला किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं उनकी सामाजिक मान्यता सुनिश्चित करने में सहयोग दिया गया।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

एफपीओ संचालन की सफलता से इसके विस्तार के अवसर प्राप्त हुए। उत्पादन क्षमता का विस्तार करने एवं नए स्वादों के साथ उत्पादकता में वृद्धि की सम्भावना लक्षित की गयी। **एफपीओ** के विकास हेतु नए बाजारों तक पहुँच एवं लाभप्रदता को अधिकतम करना प्रमुख रणनीति थी। इसी प्रकार आजीविका संकट का सामना कर रहे अन्य क्षेत्रों में भी **एफपीओ मॉडल की प्रतिकृति (Replication)** महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु संभावित स्केल-अप के रूप में परिलक्षित होती है।

मुख्य उपलब्धियां

सुहाग नगरी महिला प्रेरणा उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने ग्रामीण महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए सकारात्मक सामाजिक प्रभाव की क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस सफलता के लिए सम्बन्धित सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों एवं कृषि संगठनों का महत्वपूर्ण सहयोग था। महिला किसानों सशक्तिकरण, उत्पाद की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का सदुपयोग एवं उद्यमशीलता क प्रोत्साहन आदि **एफपीओ** के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रमुख कारक थे।

सारांश:

सुहाग नगरी महिला प्रेरणा उत्पादक कंपनी लिमिटेड ने आलू प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करते हुए जनपद-फिरोजाबाद में कोविड-19 महामारी के पश्चात आजीविका संकट से निदान प्राप्त करने का एक सफल उदाहरण प्रस्तुत किया। चिप्स पैकेट के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा महिला किसानों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर उत्पन्न हुए तथा वे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बन सकीं। **एफ0पी0ओ0** की सफलता के प्रमुख कारकों में महिला सशक्तिकरण, परस्पर सहयोग, उत्पाद की गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन एवं सतत विकास रणनीतियाँ सम्मिलित रहीं।

सीख

सुहाग नगरी महिला प्रेरणा उत्पादक कंपनी लिमिटेड की सफलता भविष्य की पहल एवं इसी प्रकार के नवीन उद्यमों के लिए मूल्यवान सीख प्रदान करती है:

- **परस्पर सहयोग का महत्व:** सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों एवं कृषि संगठनों के मध्य परस्पर सहयोग सफलता के महत्वपूर्ण कारकों मे एक है।
- **महिला किसानों का सशक्तिकरण:** महिला किसानों को समान अवसर एवं नेतृत्व की भूमिका प्रदान करने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई तथा सामाजिक पहचान सुनिश्चित हुई।
- **गुणवत्ता एवं पैकेजिंग:** बेहतर उत्पाद की गुणवत्ता एवं आकर्षक पैकेजिंग पर बल देने से बाजार में पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई।
- **डिजिटल परिवर्तन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रचार-प्रसार करने से व्यापक रूप में अधिकाधिक ग्राहकों तक पहुंच सुनिश्चित हुई।

- **<u>उद्यमिता को प्रोत्साहन</u>:** स्वरोजगार एवं नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने से समग्र विकास एवं स्थिरता सुनिश्चित हुई।
- **<u>सतत विकास रणनीतियाँ</u>:** निरंतर विकास एवं बाजार की माँग की पूर्ति करने हेतु दीर्घकालिक योजना, रणनीतिक निर्णय एवं नए अवसरों की खोज करना आवश्यक है।

ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने, महिला उद्यमिता तथा सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह सीख समान प्रकार की पहलों को मार्गदर्शित करती है।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद

केस-32 जनपद-मैनपुरी: मसाला पाउडर उत्पादन एवं पैकेजिंग कार्य

कार्यान्वयन का स्थान : **विकास खण्ड बेवर, ग्राम पंचायत-रामपुर सैदपुर,**
विकास खण्ड करहल, ग्राम पंचायत-मुहम्मदपुर नगरिया,
विकास खण्ड कुरावली, ग्राम पंचायत-गुलालपुर

कार्यान्वयन एजेंसी : **स्वयं सहायता समूह**

क्षेत्र : **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**

अभ्यास का वर्ष : **2021-22**

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद के प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्रामों में 10-20 परिवारों की महिला को सम्मिलित करके स्वयं सहायता समूह गठित किया गया है। समूह की महिलायें घरेलू कामकाज में पारंगत होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा नियमित घरेलू कार्य के पश्चात् शेष समय को सदुपायोग करके घरेलू कार्य के अनुभव को दिशा देने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ अपनायी गयी हैं। इन्हीं गतिविधियों में से एक प्रमुख गतिविधि मसाला पाउडर उत्पादन है। इस गतिविधि से महिला एवं उसके परिवार को आर्थिक सम्बल प्राप्त होगा। महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध होगा। स्थानीय स्तर पर शुद्ध मसाला की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

हस्तक्षेप

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के समय के सदुपयोग तथा उनके घरेलू कामकाज की विशेषज्ञता को मिश्रित करके व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयोग से ग्रामीण महिलाओं के आजीविका सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी परिणाम स्वरूप परिवार के आर्थिक उन्नति होगी और परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सफल होगा। इस प्रयोगिक परियोजना से अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिलेगी।

प्रभाव

सामाजिक

मसाला उत्पादन परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलायें अपना नियमित घरेलू कार्य करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम होगी। स्थानीय स्तर पर उत्पाद की उपलब्धता होगी। मिलावट का कुव्यवसाय बन्द होगा। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। समाज में महिलाओं के आर्थिक योगदान को मान्यता प्राप्त होगी तथा महिलायें समरसता के भाव से ओत-प्रोत होगी।

आर्थिक

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को रू0 15,000/- रिवाल्विंग फण्ड (आर0एफ0), रू0 1,10,000/- सामुदायिक निवेश निधि (सी0आई0एफ0) तथा स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा अंशदान, आन्तरिक लेन-देन के माध्यम से समूह स्तर पर धनराशि उपलब्ध रहता है। इस

धनराशि को सामुदायिक अथवा व्यक्तिगत रूप से ऋण के रूप में प्राप्त कराकर महिलाओं द्वारा स्वयं का व्यवसाय किया जाता है।

मसाला पाउडर उत्पादन हेतु स्थानीय बाजार से हल्दी, मिर्च, धनियाँ आदि मसाला क्रय करके ग्राइण्डिंग मशीन में पीस कर सील्ड पैकेट बनाकर निर्माण सम्बन्धी विवरण अंकित किया जाता है। 03 स्वयं सहायता समूहों द्वारा 06 माह में रू0 16,48,200/- का मसाला पाउडर विक्रय किया गया। विक्रय किये गये मसालें से कुल रू0 4,12,050/- शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रति समूह प्रतिमाह रू0 22,891/- तथा प्रति महिला प्रतिमाह रू0 4,292/- का लाभ अर्जित किया गया। इस अर्जित लाभ से महिला परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सफल रहा है।

मुख्य परिणाम

घरेलू कामकाजी महिलाओं के नित्य घरेलू कार्य से शेष बचे समय में महिलाओं के घरेलू कार्य के तकनीकी का व्यवसायिक उपयोग करके आजीविका के साधन में वृद्धि हुआ है। गरीब ग्रामीण महिलायें गरीबी के कुचक्र से अपने परिवार को बाहर करने में सफल रही है। परिवार के अध्ययनरत बच्चों के शिक्षोपार्जन के लिए बेहतर वातावरण सृजन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध मसाला पाउडर सस्ते दर पर प्राप्त हो रहे है।

सारांश

घरेलू कामकाजी महिलाओ के समय एवं घरेलू तकनीकी का उपयोग करते हुए आजीविका सुदृढ़ करने का प्रयास फलीभूत हुआ है। इससे महिलाओं को आर्थिक सम्बलता प्राप्त हुई है। महिलायें अपने परिवार के आर्थिक स्तर को सुधारने में सफल हुई है। महिलाओं के इस कार्य को सामाजिक मान्यता प्राप्त होने से मिलावट खोरी को शून्य स्तर पर लाने में सफलता मिली है।

प्राप्त सीख

घरेलू कामकाजी महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है। महिलाओं के हुनर को पहचान कर उसका सदुपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के इस प्रकार के साहस से परिवार की आर्थिक उन्नति तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता प्राप्त की जा सकती है। समाज के एक महत्वपूर्ण अंग को सामाजिक रूप से पहचान मिली है। समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का एक अदम्य प्रयास भी है।

श्री अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, मो0 नं0 9454417511, ईमेल: dmmai@nic.in

केस-33 जनपद-मैनपुरी: आजीविका के विभिन्न आयाम

कार्यान्वयन का स्थान : **जनपद का ग्रामीण क्षेत्र**
कार्यान्वयन एजेंसी : **स्वयं सहायता समूह**
क्षेत्र : **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन**
अभ्यास का वर्ष : **2021-22**

पृष्ठभूमि

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एवं विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण गरीब महिलाओं के आजीविका सम्वर्द्धन, आर्थिक उत्थान के लिए कुशल एवं प्रभावी संस्थागत प्लेटफार्म उपलब्ध कराकर गाँव में ही महिलाओं के घरेलू कामकाज करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलायें आजीविका के विभिन्न गतिविधियों से आय में वृद्धि के उपरान्त गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सक्षम हो रही है।

हस्तक्षेप

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल के कलेक्शन के लिए अभिनव प्रयोग किया गया है। उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित मोबाइल एप के माध्यम से महिलाओं के लिए ऑनलाइन वॉलेट सृजित किया गया है। जिसमें तकनीकी ज्ञान प्राप्त विद्युत सखियों द्वारा रिचार्ज कराकर ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत देय की धनराशि नगद प्राप्त कर वॉलेट के माध्यम से उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के एकाउन्ट में तत्समय ही जमा कर दिया जाता है। विद्युत देय के वसूली के सापेक्ष विद्युत सखियों को पारितोषिक (कमिशन) प्राप्त होता है।

प्रभाव

सामाजिक

उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के पास ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत बिल के वसूली के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलबध नहीं होने के कारण विद्युत सखियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सखियों के स्थानीय होने का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भवन/संस्था स्वामियों द्वारा विद्युत देय की धनराशि जमा नहीं करने से जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचने का डर होता है। वहीं उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के विद्युत देयकों की वसूली भी समय से सुनिश्चित हो रही है।

आर्थिक

विद्युत विद्युत संग्रहण के सापेक्ष विद्युत सखियों को ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत बिल रू0 2,000/- से कम पर रू0 20/- तथा रू0 2,000/- से अधिक की स्थिति में 01 प्रतिशत (बिल धनराशि) पारितोषिक के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में विद्युत बिल रू0 3,000/- से कम होन पर रू0 12/- तथा रू0 3,000/- से अधिक की स्थिति में 0.40 प्रतिशत (बिल धनराशि) पारितोषिक के रूप में प्राप्त होता है।

जनपद के कुल 09 विकास खण्डों में 134 विद्युत सखियाँ विद्युत बिल संग्रहण कार्य रही है। वर्ष 2021-22 के चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी-22 से मार्च-22) में 4,325 विद्युत बिल से रू0 4,77,346/- संग्रहित करके विद्युत सखियों द्वारा रू0 38,187/- पारितोषिक अर्जित किया गया है।

वर्ष 2022-23 (माह अप्रैल-22 से मार्च-23) में 98,415 विद्युत बिल से रू0 3,83,68,964/- संग्रहित करके रू0 12,27,807/- पारितोषिक तथा वर्ष 2023-24 के प्रथम त्रैमास (माह अप्रैल-23 से जून-23) में 31,558 विद्युत बिल से 4,57,66,271/- संग्रहित करके रू0 3,66,130/- पारितोषिक के रूप में अर्जित किया गया है।

इस प्रकार प्रतिमाह प्रत्येक विद्युत सखी द्वारा औसतन रू0 1,42,144/- विद्युत बिल संग्रहण करके औसतन रू0 2,420/- पारितोषिक कमिशन प्राप्त किया गया है।

मुख्य परिणाम

घरेलू कामकाजी महिलाओं के नित्य घरेलू कार्य से शेष बचे समय में महिलाओं के सामाजिक एवं तकनीकी ज्ञान का व्यवसायिक उपयोग करके आजीविका के साधन में वृद्धि हुआ है। गरीब ग्रामीण महिलायें गरीबी के कुचक्र से अपने परिवार को बाहर करने में सफल रही है। परिवार के अध्ययनरत बच्चों के शिक्षोपार्जन के लिए बेहतर वातावरण सृजन हुआ है। उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन के इस अभिनव प्रयोग से गरीब ग्रामीण महिलायें आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर होने का लगातार प्रयास कर रही है।

सारांश

घरेलू कामकाजी महिलाओ के समय सामाजिक एवं तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए आजीविका सुदृढ़ करने का प्रयास फलीभूत हुआ है। इससे महिलाओं को आर्थिक सम्बलता प्राप्त हुई है। महिलायें अपने परिवार के आर्थिक स्तर को सुधारने में सफल हुई है। परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठने में कामयाब हुआ है।

प्राप्त सीख

घरेलू कामकाजी महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है। महिलाओं के हुनर को पहचान कर उसका सदुपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के इस प्रकार के साहस से परिवार की आर्थिक उन्नति तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता प्राप्त की जा सकती है। समाज के एक महत्वपूर्ण अंग को सामाजिक रूप से पहचान मिली है। समाज के मुख्य धारा में जुड़ने का एक अदम्य प्रयास भी है।

श्री अविनाश कृष्ण सिंह, जिलाधिकारी, मो0 नं0 9454417511, ईमेल: dmmai@nic.in

केस-34 जनपद-बिजनौर: महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा गन्ने की सिंगल बड/बड चिप विधि से नर्सरी तैयार कर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना।

कार्यान्वयन का स्थान : **बिजनौर, धामपुर, अफजलगढ, स्योहारा, नजीबाबाद, चान्दपुर, बुन्दकी/नगीना, बिलाई एवं बरकातपुर (जनपद बिजनौर)**
कार्यान्वयन एजेंसी : **गन्ना विकास परिषद**
क्षेत्र : **कृषि, गन्ना विभाग जनपद बिजनौर**
अभ्यास का वर्ष : **2020-21**

पृष्ठभूमि

कोराना काल के भयावह परिदृश्य में बड़े पैमाने पर श्रमिकों की शहरों से गांव में वापसी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनके नियोजन के दृष्टिगत परम्परांगत रोजगार क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य रोजगार संम्भावनाओं पर कार्य किया जाना आवश्यक हो गया था। इसी क्रम में उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गन्ने की खेती नकदी फसल के रूप में बड़े पैमाने पर होती है और गन्ना बाहुल्य क्षेत्रों में इसके माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने की सम्भावनाएं विद्यमान है। गन्ने की बुवाई हेतु सिंगल बड व बड चिप के माध्यम से नर्सरी तैयार किये जाने एवं इनमें तैयार सीडलिंग के वितरण से आय अर्जन का कार्य स्थानीय स्तर पर छोटे खेतों पर किया जा सकता है, साथ ही यह कार्य ऋण्बाध्यन होने के कारण महिलाओं द्वारा अपनाया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत गन्ना विकास विभाग द्वारा दिनांक 08.05.2020 को ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने हेतु महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह तैयार कर उन्हें सिंगल बड एवं बड चिप विधि द्वारा गन्ने की नर्सरी तैयार कर उसे वितरित कर रोजगार मुहैया कराने की एक विस्तृत कार्य योजना बनायी गयी। प्रस्तावित कार्यक्रम का नाम "गन्ने की खेती में महिला रोजगार सृजन कार्यक्रम रखा गया" कालान्तर में उक्त योजना का नाम बदलकर ग्रामीण महिला शक्ति द्वारा उन्नत गन्ना बीज वितरण कार्यक्रम रख दिया गया। उक्त महिला समूहों गन्ना विकास परिषद बिजनौर, धामपुर, अफजलगढ़, स्योहारा, नजीबाबाद, चान्दपुर, बुन्दकी, बिलाई एवं बरकातपुर के परिक्षेत्र में बनाए गये हैं।

हस्तक्षेप

सिंगल बड/बड चिप विधि से बुवाई का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सामान्य बुवाई में अंकुरण 40-45 प्रतिशत होता है वही इस विधि से बुवाई पोर ट्रे में करने से 95 प्रतिशत तक अंकुरण, पाया गया है। सामान्य बुवाई में बीज शोधन प्रत्येक आंखों का संभव नहीं है जबकि सिंगल बड विधि से बीज शोधन 100 प्रतिशत आंखों का होने से दोष व्यापी से बचाव होता है। सिंगल बड विधि से गन्ने की खेती करने से सस्य क्रियायें आसानी के साथ ही मनचाही दूरी पर पौध लगायी जा सकती है उक्त विधि से पौध लगाने पर उत्पादन में 20-25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी देखी गयी है।

सिंगल बड बड चिप विधि से गन्ने की पौध तैयार करने पर महिला समूहों को गन्ना विकास परिषदों के विकास मद से क्रमशः रू 1.30 प्रति पौध व 1.50 प्रति पौध अनुदान दिया जाता है विभाग द्वारा उक्त विधि से तैयार पौध की कीमत रू 2.60 व 3.00 प्रति पौध रखी गयी है। महिला समूहों को अनुदान के अतिरिक्त उतनी ही राशि कृषकों से प्राप्त होती है जिससे समूह द्वारा उत्पादन में आयी लागत को घटाकर शुद्ध लाभ समूहों में बांट दिया जाता है जिससे रोजगार के साथ साथ सामाजिक आर्थिक व उन्नयन महिला समूहों में आया है।

प्रभाव

उक्त योजना के तकनीकि पहलू के प्रयोग से आम जनमानस में दिख रहा है। सिंगल बड/बड चिप पद्धति न केवल ग्रामीण महिलाओं में रोजगार के सुअवसर प्रदान किया बल्कि ग्रामीण महिलाओं ने आर्थिक आजादी की तरफ एक ओर कदम बढ़ाया। सिगल बड/बड चिप पद्धति से शोध संस्थानों से आयी नई प्रजातियों को.लख.14201, को.शा.13235 को.15023, को.0118 आदि प्रजातियों की नर्सरी तैयार कर बीज बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। उक्त कार्य को प्रभावी करने के लिए जनपद बिजनौर में कुल 195 महिला समूह बनाए गए है।

उक्त महिला समूहों गन्ना विकास परिषद बिजनौर, धामपुर, अफजलगढ़, स्योहारा, नजीबाबाद, चान्दपुर, बुन्दकी, बिलाई एवं बरकातपुर के परिक्षेत्र में बनाए गये हैं। वर्ष 2022-23 में कुल 5480 महिलाओं को प्रत्यक्ष रोजगार दिया गया जबकि महिला समूहों के परिवार के सदस्यों द्वारा कुल 54000 कार्य दिवस अर्जित किये गये, महिला समूहों द्वारा 7821 कार्य दिवस अर्जित किये हैं

उल्लेखनीय यह है कि इन महिला समूहों द्वारा जनपद स्तर पर 9825250 सीडलिंग उत्पादित कर कुल 24720473 रूपये आमदनी की गयी जिससे उनका सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक सुधार हुआ।

मुख्य परिणाम

उक्त योजना से नवविकसित रोग एवं कीट रोधी गन्ना किस्मों का आच्छादन तीर्वगति से बढ़ाने व बीज गन्ना का गुणन दर बढ़ाने में विशेष सफलता प्राप्त हुयी है। महिला समूहों के माध्यम से सिंगल बड व वड चिप विधि से सीडलिंग का उत्पादन कर त्वरित गन्ना बीज बदलाव कराने में विभाग को सफलता प्राप्त हुयी। योजना के महत्वपूर्ण पहलू में इसके माध्यम से स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें अधिक से अधिक स्वावलम्बी बनाने एवं आय के नये अवसर प्रदान करने में विभाग ने लक्ष्य पूर्ण किया है।

विकल्पों का बढ़ावा

गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ना उत्पादित करने वाले सभी जिलों में उक्त योजना लागू कर रखी है फिर भी योजना को विस्तार रूप देने हेतु और अधिक स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर सिंगल बड एवं बड चिप पद्धति से नर्सरी स्थानीय स्तर पर और महिलाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

वर्तमान में उक्त योजना पूर्णतः गन्ना विकास विभाग की संस्था गन्ना विकास परिषद के अपने विकास मद से पोषित है, वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा बीज विस्थापन व पौधशाला स्थापन हेतु सिंगल बड/बड चिप पद्धति से तैयार सीडलिंग पर अनुदान देय है चूंकि उक्त योजना ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के लिए रोजगार अर्जन व आर्थिक स्मृद्धि का मुख्य घटक है। अतः उक्त योजना में राज्य सरकार द्वारा भी योजना को सम्बल देने हेतु आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

सारांश

यह योजना सिंगल बड/बड चिप विधि से नर्सरी तैयार कर ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए अच्छी है। यह बहुत कम जगह में तैयार किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाने तथा उन्नत किस्म के बीज प्रतिस्थापन में बहुत सहायक है।

श्री पी.एन.सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बिजनौर मो.न.7081202221 ईमेलःdcobijnor7@gmail.com

केस-35 जनपद-वाराणसी: काशी प्रेरणा कैफे

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद वाराणसी के 08 विकास खण्ड
कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
क्षेत्र : स्वंय सहायता समूह
अभ्यास का वर्ष : 2022-23

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने तथा स्कूल/कॉलेज के बच्चों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पौष्टिक भोजन अथवा नाश्ता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक कैफे का शुभारम्भ किया गया। प्रेरणा कैफे का मुख्य उद्देश्य यह है कि स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के माध्यम से नियमित आय प्राप्त हो सके, ताकि कोविड 19 जैसी परिस्थितियों में भी वे अपने घर के पास रहकर अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें,साथ ही छात्रों को एसएसजी के माध्यम से स्वस्थ भोजन मिल सके।

हस्तक्षेप

- प्रशासन के सहयोग से महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा निःशुल्क/न्यूनतम दर पर भवन की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी।
- एसएसजी/ काशी प्रेरणा कैफे की सुरक्षा व्यवस्था डीआईओएस एवं महाविद्यालय प्राचार्य के माध्यम से सुनिश्चित करायी गयी।
- ऐसे समूह जो प्रेरणा कैफे खोलने के इच्छुक हैं, उन्हें बैंक से ऋण स्वीकृत किया गया है. इस कार्य के लिए अधिक से अधिक इच्छुक समूहों को जोड़ा गया।
- विशेषज्ञों के माध्यम से पौष्टिक भोजन/नाश्ता/स्नैक्स का मेन्यू तैयार करने की जानकारी दी गई।
- जिला प्रशासन की ओर से सभी स्कूल/कॉलेजों के प्रिंसिपल, डीआईओएस, बीडीओ के साथ बैठक की गई. बैठक एवं स्थल निरीक्षण के माध्यम से स्कूल/कॉलेजों का चयन किया गया।
- स्कूल परिसर या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रेरणा कैफे के लिए कमरा उपलब्ध कराना।
- समूहों को आवश्यकतानुसार बैंक से वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई।

प्रभाव

- काशी प्रेरणा कैफे का कार्य 79 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है।
- इस कैफे का फायदा करीब 37000 लोगों को मिल रहा है.
- 79 एसएसजी समूहों ने इंटरमीडिएट स्कूलों में 53 कैफे और डिग्री कॉलेजों में 13 कैफे स्थापित किए हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 09 प्रेरणा कैफे भी स्थापित किये गये हैं।
- एसएसजी समूह औसतन 10000 रुपये की मासिक आय अर्जित करते हैं।

मुख्य परिणाम

परिणाम:1 स्वरोजगार की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घरेलू कार्य करती हैं। उस महिला को सामाजिक स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम किया गया है।
परिणाम:2 आय अर्जित कर समूह की महिलाएं बेहतर जीवनयापन, उच्च शिक्षा, छोटी-छोटी बचत के साथ परिवार का भरण-पोषण करने में सक्षम हैं।
परिणाम:3 काशी प्रेरणा कैफे के व्यवसाय में 79 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं, जिनसे औसतन 790 महिलाएं अपनी आय प्राप्त कर रही हैं। इसके माध्यम से 10000 रुपये से अधिक की आय हो रही है।
परिणाम:4 काशी प्रेरणा कैफे के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को पौष्टिक नाश्ता और भोजन मिल रहा है।

विकल्पों को बढ़ावा

- छात्रों को सही और स्वस्थ आहार खाने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है।
- कैफे क्षेत्र में अतिरिक्त स्टेशनरी और मासिक धर्म स्वच्छता वस्तुओं का प्रावधान।
- एसएचजी महिला के कार्य समय में अच्छी तरह से समायोजन हो जाता है।
- अगले 2 महीनों में उनके परिसर के लिए 60 अन्य प्रेरणा कैफे की मांगें सामने आई हैं।
- प्राचार्य इस विचार के प्रतिकूल होने के बजाय इसके प्रति अत्यंत अनुकूल हो गये हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- विभिन्न इंटर एवं डिग्री कॉलेजों में 93 प्रेरणा कैफे चालू हैं।
- काशी प्रेरणा कैफे से औसत मासिक आय लगभग 8K-10K प्रति माह है।
- कॉलेजों के अलावा, 12 विभिन्न सीएचसी और पीएचसी में और 47 विभिन्न ब्लॉक और जिला स्तर के कार्यालयों में कार्यरत हैं।
- लगभग 1500 महिलाओं को रोजगार।

सारांश

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है, इसके लिए लगातार नई पहल की जा रही है, इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने समूह के माध्यम से प्रेरणा कैफे शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रारंभ में केवल कुछ समूहों ने इसमें रुचि दिखाई, जिला प्रशासन ने कॉलेज/डिग्री कॉलेजों से काशी प्रेरणा कैफे शुरू करने का निर्णय लिया ताकि स्कूली छात्रों को सस्ते में पौष्टिक भोजन मिल सके। इसके लिए जिला प्रशासन (डीएम/सीडीओ) द्वारा स्कूलों के प्रधानाचार्यों, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीडीओ के साथ लगातार समीक्षा किया गया। निरंतर निगरानी के परिणामस्वरूप, अब तक 79 एसएसजी समूहों ने इंटरमीडिएट स्कूलों में 53 कैफे और डिग्री कॉलेजों में 13 कैफे स्थापित किए हैं। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 09 काशी प्रेरणा कैफे भी स्थापित किये गये हैं। स्कूलों/कॉलेजों में स्थापित काशी प्रेरणा कैफे का उद्देश्य छात्रों को शुद्ध और ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। छात्र अब मध्यावकाश में हैं। वे सड़क पर या स्कूल परिसर के बाहर नहीं जाते हैं। मध्याह्न अवकाश के दौरान स्कूल परिसर में बच्चों को कम कीमत पर इडली सांभर, सत्तू शेक, चना, पालक पकोड़ा, नींबू चाय आदि जैसे ताजा भोजन उपलब्ध होते हैं। प्रेरणा कैफे से 79 समूह प्रति माह 10000.00 रुपये तक कमाते हैं। इन समूहों से

जुड़ी 790 महिलाएं भी इस गतिविधि से अपनी आजीविका कमा रही हैं। महिलाओं के स्वरोजगार के इस कदम ने उन्हें सामाजिक स्तर पर प्रेरणा कैफे बना दिया है.

प्राप्त सीख

काशी प्रेरणा कैफे परियोजना जिला प्रशासन द्वारा की गई एक नई पहल है। कॉलेजों में कम लागत पर पौष्टिक नाश्ता और भोजन की व्यवस्था है। काशी प्रेरणा कैफे एक ऐसी पहल है जो यह विश्वास जगाती है कि यदि जिला प्रशासन आवश्यक पहल करता है और आपस में समन्वय है एसएसजी ग्रुप, आजीविका का साधन तैयार किया जा सकता है. दो वर्ष पहले कोविड के समय जिस प्रकार रोजगार सृजन और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये थे, उसी प्रकार का प्रयास और सोच रखनी होगी। जिससे स्थानीय स्तर पर समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके।

अशोक कुमार, जिला विकास अधिकारी/उपायुक्त स्वतः रोजगार, वाराणसी, मोबाइल न.-9454465285,email-ddovns@gmail.com

क्षेत्र
प्रशासन एवं सुधार

केस-36 जनपद-जौनपुर: बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना

कार्यान्वयन का स्थान : जनपद जौनपुर
कार्यान्वयन एजेंसी : खेल विभाग
क्षेत्र : ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष : 2021-22

पृष्ठभूमि:

जनपद जौनपुर में भूमि अतिक्रमण, रोजगार सृजन, सरकारी भूमि की सुरक्षा एवं सामाजिक एकता को प्रोत्साहित करने जैसे गम्भीर विषयों का समाधान करने के उद्देश्य से **"एक गांव एक खेल का मैदान"** पहल लागू की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 1740 ग्राम पंचायतों में से 938 की बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना रहा।

हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन):

- उप-जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सतत अनुश्रवण करने के साथ-साथ ग्राम स्तर पर एक समन्वय समिति का गठन किया गया, जिसमें पंचायत सचिव एवं क्षेत्रीय लेखपाल को सम्मिलित किया गया।
- क्षेत्रीय भूमि को विकसित करने हेतु झाड़-झाड़ियों की सफाई के साथ ही भूमि को समतल किया गया।
- भूमि को खेल के मैदान में परिवर्तित करते हुए भूमि की परिधि के चारों ओर 250 मीटर से लेकर 1000 मीटर की लंबाई वाले रनिंग ट्रैक का निर्माण किया गया।
- खेल के मैदानों में बालीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, पुश-अप बार, क्रॉसबार एवं 2-3 ओपन जिम उपकरणों की स्थापना की गयी।
- खेल के मैदानों के रखरखाव एवं उनका संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रामों में युवकों को सम्मिलित करते हुए युवक मंगल दल का गठन किया गया।
- खेल विभाग द्वारा खेल उपकरणों का प्रावधान कराते हुए उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी।

प्रभाव:

इस इंटरवेंशन के कार्यान्वयन से सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सरकारी भूमि को मुक्त कराते हुए भूमि अतिक्रमण में काफी कमी आई। इस इंटरवेंशन ने ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करते हुए पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित किए। खेल सुविधाओं एवं उपकरणों के प्रावधान ने युवाओं में शारीरिक गतिविधि एवं खेल की संस्कृति को बढ़ावा दिया। युवक मंगल दल की स्थापना तथा खेल गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामों में सामाजिक एकता की नई ऊर्जा का संचार हुआ।

मुख्य परिणाम :

- इस इंटरवेंशन के परिणामस्वरूप जनपद जौनपुर की कुल 1740 ग्राम पंचायतों में से 938 ग्राम पंचायतों को सफलतापूर्वक भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
- मनरेगा एवं वित्त आयोग के धन के कन्वर्जेन्स के माध्यम से 395,122 मानव-दिवस का रोजगार सृजित हुआ। इस इंटरवेंशन हेतु लगभग रू. 15.53 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी, कुल 1556

खेल मैदान विकसित किए गए तथा 162 ग्राम पंचायतों में कार्य प्रगतिरत है। प्रति ग्राम पंचायत का औसत खर्च 70,000 से 1.5 लाख रुपए के मध्य रहा।

- इंटरवेंशन के माध्यम से 1,270 युवक मंगल दल एवं 1,086 महिला मंगल दल की स्थापना की गयी। गत वर्ष में युवक मंगल दलों को खेल उपकरणों के 1,283 सेट वितरित किए गए। इसके साथ ही वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी और कुश्ती जैसी खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया गया। इस इंटरवेंशन के माध्यम से विकसित खेल के मैदानों में प्रतिदिवस लगभग 125,000 से अधिक बच्चे एवं युवा खेल अथवा अभ्यास में संलग्न होते हैं, जिनमें सेना एवं पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले भी सम्मिलित हैं।
- पहल के उल्लेखनीय खिलाड़ियों में कशिश यादव (एथलेटिक्स, स्वर्ण पदक, राज्य स्तर), अर्चना यादव (एथलेटिक्स, रजत पदक, राष्ट्रीय स्तर) एवं नम्रता यादव (अंतर्राष्ट्रीय स्तर कुश्ती, मास्को) सम्मिलित हैं।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

- अतिक्रमण की समान चुनौतियों से ग्रस्त अथवा रिक्त पड़ी सरकारी भूमियों का उपयोग करते हुए इस पहल की प्रतिकृति अन्य जनपदों या क्षेत्रों में की जा सकती है, जिससे खेल भावना के प्रोत्साहन के साथ-साथ रोजगार सृजन की सम्भावनाओं में भी वृद्धि की जा सकती है।
- संसाधनों के प्रभावी उपयोग हेतु मनरेगा एवं वित्त आयोग जैसी विभिन्न सरकारी संस्थाओं के मध्य कन्वर्जेन्स करते हुए सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।
- खेल सुविधाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृद्धि के लिए स्थानीय खेल संगठनों या गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की जा सकती है।
- इस पहल से प्राप्त सीख को प्रलेखित करते हुए अन्य जनपदों या राज्यों के साथ साझा किया जा सकता है।

सारांश:

जनपद जौनपुर में **"एक गांव एक खेल का मैदान"** पहल ने भूमि अतिक्रमण की गम्भीर समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित पैदा किए है। इसके साथ सरकारी भूमि की सुरक्षा तथा सामाजिक सामरसता को भी प्रोत्साहित किया है। जनपद प्रशासन के प्रभावी समन्वय एवं हस्तक्षेप से जनपद की 938 ग्राम पंचायतों को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए 1556 खेल मैदान विकसित किए गए। इस पहल के परिणामस्वरूप खेल उपकरणों का वितरण, खेल गतिविधियों में 125,000 से अधिक बच्चों एवं युवाओं की भागीदारी तथा विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान हुई। इस पहल ने अन्य क्षेत्रों में ऐसे इंटरवेंशन की प्रतिकृत करने क्षमता का प्रदर्शन किया तथा सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य परस्पर सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला।

सीख:

- उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुए ग्राम स्तर पर एक समन्वय समिति की स्थापना इंटरवेंशन के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

- खेल के मैदानों को विकसित करने हेतु भूमि की सफाई एवं समतलीकरण तथा बुनियादी ढांचे का विकास यथा-रनिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स कोर्ट आदि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं।
- युवक मंगल दल जैसे स्थानीय सामुदायिक समूहों का गठन, खेल सुविधाओं के दीर्घकालिक रखरखाव एवं उनके दीर्घकालीन संचालन को सुनिश्चित करता है।
- सम्बन्धित सरकारी विभागों के साथ पारस्परिक सहयोग तथा उपलब्ध धन का का सदुपयोग इंटरवेंशन के प्रभावी क्रियान्वयन का सफल परिणाम है।
- खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने से न केवल मनोरंजन के अवसर मिलते हैं बल्कि समुदाय के भीतर प्रतिभा का विकास एवं सामाजिक सामरसता को भी प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

जिलाधिकारी, जौनपुर

केस-37 जनपद-फतेहगढ़: भोजन सुधार-कारागार में भोजन सुधार की प्रक्रिया FSSAI से FIVE STAR RATING

कार्यान्वयन का स्थान : **गुलिस्तां कालोनी, कुटरा फतेहगढ़ जनपद-फर्रूखाबाद उत्तर प्रदेश।**
कार्यान्वयन एजेंसी : **अधीक्षक, जिला कारागार,फतेहगढ़।**
क्षेत्र : **जिला कारागार, फतेहगढ़।**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि

जिला कारागार फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के साथ-साथ 1865 में निर्मित है। कारागार की पृष्ठभूमि में कारागार में वर्ष 2014 वर्ष 2017 एवं 2021 में बन्दियों द्वारा उपद्रव, दंगा, आगजनी की घटना कारित की जा चुकी है। उक्त घटनाओं में बन्दियों का मुख्यतः आरोप कारागार की भोजन व्यवस्था खराब होना था।

कारागार की भोजन व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की गाइड लाइन के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की विशिष्टियों के अनुरूप कारागार की भोजन व्यवस्था के लिए FSSAI का लाइसेन्स प्राप्त कर **''ईट राइट कैम्पस''** के अन्तर्गत जेल में भोजन व्यवस्था व भोजन की गुणवक्ता का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया जिसमें कई चरणों की जाँचोपरांन्त कारागार की भोजन व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा **''फाइव स्टार रेटिंग''** प्रदान की गई।

जिला कारागार, फतेहगढ़ में बन्दियों द्वारा उपयोग के पश्चात कटे-फटे निष्प्रयोज्य कम्बलों से गौवंश की रक्षार्थ काऊ कोट का निर्माण कराया जा रहा है।

हस्तक्षेप

''ईट राइट कैम्पस'' के अन्तर्गत कारागार द्वारा सर्वप्रथम कारागार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की वेवसाइट पर सूचीवद्व कराया गया।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार भोजन से सम्बन्धित उसकी विशिष्टियों के अनुरूप स्वतः सम्परीक्षा/प्री आडिट कारागार स्तर से एवं स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से कराया गया।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 में वर्णित नियमों के अधीन भोजन बनाने में लगे हुए अधिकारियों/कर्मचारियों की टे³निंग करायी गयी है। जिसमें विशेष कर खाद्य पदार्थो के सुरक्षित रख-रखाव भोजन का सुरक्षित बनाया जाना तथा हाईजीन का विशेष ध्यान रखने की टे³निंग करायी गयी।

इसके अन्तर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा कारागार में बन्दियों के लिऐ निर्मित भोजन का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 की विशिष्टियों के अनुसार दिनांक-24.05.2022 को इन्जीनियर मो0 इमरान खान लीड आडीटर (खाद्य) से कारागार के भोजन का आडिट कराया गया। आडिट रिपोर्ट का भली-भॉति विभिन्न स्तरों पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की विशिष्टियों के अनुरूप परीक्षणोंपरांन्त कारागार को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा **''ईट राइट कैम्पस''** की श्रेणी में **''फाइव स्टार रेटिंग''** प्रदान की गयी।

प्रभाव

सामाजिक

भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा कारागार की भोजन व्यवस्था को फाइव स्टार रेटिंग प्रदान किये जाने से समूचे जनमानस में कारागार प्रशासन की छवि बहुत अच्छी हुयी है। जिला कारागार, फतेहगढ़ **FSSAI** से भोजन व्यवस्था में **''फाइव स्टार रेटिंग''** प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम कारागार बनी है। कारागार में भोजन की गुणवत्ता ठीक होने से कारागार में निरूद्ध बन्दियों व उनके परिवारों के प्रति कारागार की छवि में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है।

मुख्य परिणाम

कारागार में भोजन व्यवस्था को **FSSAI** द्वारा फाइव स्टार रेटिंग प्रदान की गयी] जिला कारागार] फतेहगढ़ भोजन व्यवस्था एवं भोजन की गुणवत्ता में **FSSAI** से फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की प्रथम कारागार बनी है।

जिला कारागार] फतेहगढ़ की भोजन व्यवस्था को अर्न्तराष्ट्रीय मानकीयकरण संगठन **(ISO)** द्वारा भी **22000:2018** प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाली जिला कारागार] फतेहगढ़ भारत देश की प्रथम कारागार बनी है। उक्त सन्दर्भ में ही जेल अधीक्षक **भीमसैन मुकुन्द** का नाम जेलों में भोजन सुधार के लिऐ **''इण्डिया बुक आफ रिकार्ड''** में दर्ज किया गया है।

अधोहस्ताक्षरी के उक्त कार्य का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी के **''मन की बात''**@ 72वें एपिसोड में किया जा चुका है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के **''मन की बात''**@100वें एपीसोड के उपलक्ष्य में जारी में **''काफी टेबल बुक''** भी निस्वार्थ सेवा **गौ&सेवा** में अधोहस्ताक्षरी की काऊ कोट वनवाने की स्टोरी प्रकाशित हो चुकी हैA जिस सन्दर्भ में दिनांक-30.04.2023 को जेल अधीक्षक भीमसैन मुकुन्द को मन की बात कार्यक्रम के@100वें एपिसोड की स्पेशल स्क्रीनिंग के समय राजभवन लखनऊ में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा चुका है।

सारांश

जिला कारागार, फतेहगढ़ की **''फाइव स्टार रेटिंग''** भोजन व्यवस्था के सन्दर्भ में प्रमुख सचिव गृह के निर्देश पर कारागार विभाग द्वारा अन्य जनपदों की कारागार में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने के लिऐ परिपत्र जारी किया जा चुका है। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की समस्त जेलों में लागू की जा सकती है।

प्राप्त सीख

जिला कारागार, फतेहगढ़ की भोजन व्यवस्था के नमूने पर उत्तर प्रदेश राज्य की समस्त जनपदों की जेलों में ऐसी व्यवस्था लागू हो जाती है] तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत देश में जेलों की भोजन व्यवस्था के लिऐ प्रथम राज्य की श्रेणी में आ सकता है। इससे जनमानस में जेलों के भोजन के प्रति इंगित नकारात्मक छवि सकारात्मक छवि में परिवर्तित होती है।

भीमसैन मुकुन्द, जेल अधीक्षक, मो.नं.9454418253, ईमेल supdtfatehgarh234221@gmail.com

क्षेत्र
तकनीकी परिवर्तन और नवाचार

केस-38 जनपद-मथुरा: उपाय (UPAAY) : नगर निगम, मथुरा द्वारा संचालित पायलेट परियोजना

कार्यान्वयन का स्थान : **जनपद मथुरा**
कार्यान्वयन एजेंसी : **नगर निगम, मथुरा**
क्षेत्र : **सूचना एवं प्रौद्योगिकी**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि:
UPAAY, नगर निगम, मथुरा की एक पायलट परियोजना है। इस परियोजना को जनपद में अपशिष्ट, सीवरेज प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट के रखरखाव एवं सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्राप्त शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनके निराकरण हेतु केंद्रीकृत प्रणाली का विकास करना है, ताकि जनपद की नगरपालिकाओं को उनकें सुलभ संचालन एवं उनकी सेवाओं में वृद्धि करने हेतु सशक्त बनाया जा सके। इस परियोजना का विजन एक कुशल एवं प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के विकास से प्रेरित है।

हस्तक्षेप
श्री दुर्गा शंकर मिश्र, आई0ए0एस0, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं श्री अमृत अभिजात, आईएएस, प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तर प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में **UPAAY** पायलट परियोजना हेतु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया। इस ऐप का उद्देश्य अपशिष्ट, सीवरेज, प्रबंधन स्ट्रीट लाइट रखरखाव, और सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित सेवाओं के रखरखाव एवं निर्बाध सेवा आपूर्ति के साथ-साथ आकस्मिक उत्पन्न होने वाली समस्याओं का ससमय निस्तारण करना है।

प्रभाव:
UPAAY ऐप के विकास से प्राप्त शिकायतों एवं उनके ससमय निराकरण के महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव परिलक्षित हुए। इस पायलट परियोजना से पूर्व जनमानस को अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु कई विभागों से सम्पर्क करना पड़ता था जिससे उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था परिणाम स्वरूप जनपद के विकास में भी प्रतिकूल प्रभाव दृष्टव्य होता था। इस एप्लीकेशन के विकास से आम नागरिक सरलतापूर्वक शिकायतें दर्ज कर सकते हैं एवं प्राप्त शिकायतों का गहन अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारण किया जाता है। इस पायलट परियोजना के प्रारम्भ से सेवा वितरण एवं नागरिक संतुष्टि के उत्कृष्ट प्रभाव परिलक्षित हुए।

मुख्य परिणाम
पायलट परियोजना के अन्तर्गत UPAAY ऐप को प्रति दिवस औसतन 16 शिकायतें प्राप्त हुई एवं प्राप्त शिकायतों में से 92.4% शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित किया गया। ऐप की सुव्यवस्थित प्रक्रिया द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि प्राप्त शिकायतों को कुशलतापूर्वक संभाला एवं उनका निस्तारण किया जा सकता है। "हैप्पी कोड" प्रणाली के उपयोग से जहां नागरिकों को समस्या के समाधान पर एक अद्वितीय कोड प्राप्त हुआ, वहीं दूसरी ओर फीडबैक लूप में वृद्धि किये जाने से नागरिकों द्वारा नगर पालिकाओं से सम्पर्क करने के मामलों कमीं ज्ञात हुई।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प

UPAAY ऐप की सफलता अन्य क्षेत्रों में भी इस मॉडल के विस्तार के अवसर प्रदान करती है। अन्य सम्बन्धित विभागों एवं सेवाओं को सम्मिलित किए जाने से इस ऐप की प्रभावशीलता में और भी वृद्धि होगी। हालांकि, सम्बन्धित विभागों में नागरिकों से प्राप्त होने वाले फीडबैक लूप से सम्बन्धित चुनौतियों के निराकरण हेतु वृहद रूप से कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

मुख्य उपलब्धि

UPAAY ऐप शासन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से व स्वचालित करने हेतु **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** एवं **मशीन लर्निंग** जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की शक्ति का उदाहरण है। औद्योगिक क्रांति 4.0 द्वारा तकनीकों के कार्यान्वयन से दक्षता एवं प्रणालियों में काफी सुधार सम्भव है, जो कि मानवीय हस्तक्षेपों को कम करने तथा सार्वजनिक शिकायतों के ससमय निस्तारण में कारगर हो सकता है।

सारांश:

UPAAY ऐप के विकास से विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं के ससमय निस्तारण से एकीकृत शिकायत समाधान प्रक्रिया में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ऐप द्वारा नागरिकों के नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों तक शिकायतों के प्रवाह को सुव्यवस्थित किया गया। शिकायतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुलझाया गया, और नागरिकों को लूप बंद करने के लिए एक अद्वितीय **"हैप्पी कोड"** प्राप्त हुआ। UPAAY की सफलता ने एक केंद्रीकृत निगरानी और समाधान प्रणाली की प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया।

सीख:

UPAAY परियोजना सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी नवीन तकनीकों का लाभ सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालती है। प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को अपनाने से, सरकारें सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने एवं और अधिक कुशलता से नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकती हैं।

जिलाधिकारी, मथुरा

क्षेत्र
स्वास्थ्य एवं कल्याण

केस-39 जनपद-मुरादाबाद: EzeCheck Device के माध्यम से रक्ताल्पता परीक्षण

कार्यान्वयन का स्थान	:	**जनपद मुरादाबाद**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) विभाग**
क्षेत्र	:	**स्वास्थ्य**
अभ्यास का वर्ष	:	**2022-23**

पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (NFHS-5) के अनुसार जनपद मुरादाबाद में 15 से 19 वर्ष की किशोरियों में रक्ताल्पता (Anemia) का प्रसार 43.4% है, जो राज्य के औसत **28.2%** से लगभग **1.5 गुना** अधिक है। रक्ताल्पता ज्ञात करने की पारम्परिक तकनीकों में आक्रामक तकनीकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि रक्त का नमूना लेने के लिए उंगली में सिरेंज चुभाना आदि। यह विधि स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा अपनाई जाती है किन्तु **चिकित्सा अधिकारियों की कमी** तथा **विशिष्ट दक्षता** के अभाव में रक्ताल्पता की जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन):

रक्ताल्पता से सम्बन्धित समस्या के स्थायी समाधान हेतु **एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) विभाग** जनपद मुरादाबाद द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों (AWW) के माध्यम से रक्ताल्पता की प्रारम्भिक जांच हेतु एक **non-invasive (गैर-इनवेसिव)** तकनीक का प्रारम्भ किया गया। इस इंटरवेशन में विभिन्न गैर-संचारी रोगों के लिए आईएसओ प्रमाणित (गैर-इनवेसिव परीक्षण उपकरण) **EzeCheck** डिवाइस का उपयोग किया गया। यह उपकरण सामान्यत: उच्च स्तरीय मानक प्रतिस्थापित नहीं करता है किन्तु प्रारंभिक स्क्रीनिंग टूल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इस **EzeCheck Device** के माध्यम से रक्ताल्पता परीक्षण की लागत लगभग रूपए 45/- प्रति परीक्षण आती है।

प्रभाव:

इस इंटरवेंशन के कई सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हुए। सर्वप्रथम विशिष्ट तकनीकी कौशल के बिना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा इस उपकरण का सरलतापूर्वक उपयोग सुनिश्चित किया गया। इस उपकरण में मैनुअल रीडिंग (Manual Reading) ज्ञात किए बिना रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया स्वचालित थी। सुई से होने वाले चुभन के दर्द लगभग न के बराबर होने के कारण किशोरियों के मध्य इस विधि से होने वाले परीक्षण के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए परिणामस्वरूप अधिकाधिक संख्या में रक्ताल्पता परीक्षण (Hemeoglobin Test) सुनिश्चित किया जा सका। इसके साथ ही साथ इस गैर-इनवेसिव विधि द्वारा नवजात एवं छोटे बच्चों का रक्ताल्पता परीक्षण (Hemeoglobin Test) सरलतापूर्वक किया जाना सम्भव हो सका। इनवेसिव विधि में यह प्रक्रिया अत्यन्त कष्टदायी थी। इस इंटरवेंशन द्वारा ससमय रक्ताल्पता (Anemia) ज्ञात करने व उसके प्रबन्धन, चिकित्सा अपशिष्ट न्यूनतम करने, आयरन एवं फोलिक एसिड पूरकता के अनुपालन में सुधार करने तथा किशोरियों में रक्ताल्पता (Anemia) की स्थिति के बारे में जागरूकता वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। आयोजित होने वाले परामर्श सत्रों तथा परीक्षण रिपोर्ट के उपयोग से अनिवार्य परामर्श प्रदान किए गए।

मुख्य परिणाम:

जनपद मुरादाबाद के 08 ग्रामीण क्षेत्रों को आच्छादित करते हुए 04 माह की अवधि में **non-invasive (गैर-इनवेसिव) तकनीक** का उपयोग करते हुए लगभग **3575 किशोरियों** में रक्ताल्पता की जांच सुनिश्चित की गयी। परीक्षणोपरान्त **6.3% किशोरियों** में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य (Hb ≥ 12 gm/dl), **34.6% किशोरियों** में सामान्य से कम रक्ताल्पता (Hb 11-11.9 gm/dl), **56.2% किशोरियों** में मध्य (Hb 8-10.9 gm/dl) रक्ताल्पता तथा **2.9% किशोरियों में गम्भीर** (Hb <8 gm/dl) रक्ताल्पता ज्ञात हुई। पहचान की गई किशोरियों में रक्ताल्पता के प्रबंधन हेतु आयरन एवं फोलिक एसिड की दवाओं के साथ-साथ आवश्यक परामर्श भी प्रदान किया गया।

परियोजना के विस्तार हेतु विकल्प:

अत्यन्त दुर्बल व कमजोर वर्ग की आबादी वाले क्षेत्रों में वृहद स्तर पर परीक्षण हेतु EzeCheck Device का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग स्कूलों एवं कॉलेजों के बालक-बालिकाओं, गैर-संचारी रोगों से ग्रसित बुजुर्गों तथा नवजात बच्चों की जांच के लिए किया जा सकता है। यह उपकरण तीव्र गति से प्रारम्भिक जांच करने में सक्षम है तथा प्रारम्भिक जांच में असामान्य स्थिति पाए जाने पर पुष्टि एवं चिकित्सीय परामर्श हेतु सम्बन्धित चिकित्सा इकाईयों को सन्दर्भित किया जा सकता है।

मुख्य उपलब्धियां

यह इंटरवेंशन प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान की ओर प्रकाश डालता है। गैर-इनवेसिव रक्ताल्पता ज्ञात करने की विधि की ही भांति अन्य अनुकूल तकनीकों द्वारा भारत की वृहद जनसांख्यिकी के लिए यह डिवाइस नितान्त उपयोगी है। कोविड-19 महामारी के पश्चात दुनिया में सामने आए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान हेतु इसी प्रकार के अन्य इंटरवेंशन (Intervention) अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

सारांश:

जनपद मुरादाबाद में किशोरियों में रक्ताल्पता का प्रसार राज्य के औसत से काफी अधिक है। चिकित्सा अधिकारियों की कमीं के कारण हीमोग्लोबिन परीक्षण के लिए पारंपरिक इनवेसिव (Invasive) विधि से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एकीकृत बाल विकास योजना विभाग मुरादाबाद द्वारा EzeCheck Device का उपयोग करते हुए रक्ताल्पता ज्ञात करने हेतु एक Non-invasive तकनीक का सृजन किया, जो उपयोगकर्ताओं के लिए अनुकूलतम परिलक्षित हुआ। यह तकनीक रक्ताल्पता ससमय ज्ञात करने तथा उसके प्रबन्धन में सक्षम थी। इस इंटरवेंशन ने क्षेत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। इस इंटरवेंशन से चिकित्सा अपशिष्ट में कमीं आई तथा इसके साथ ही किशोरियों के मध्य जागरूकता का प्रसार हुआ। इस इंटरवेंशन ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सम्बन्धी चुनौतियों का सामना करने तथा उनके समाधान हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

सीख:

1. परीक्षण एवं विशिष्ट दक्षता में कमीं तथा असामान्य प्रक्रियाओं जैसी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को दूर करते हुए **नॉन-इनवेसिव (Non-invasive) तकनीक** सकारात्मक परिणाम देती है।

2. गैर-इनवेसिव डिवाइस उपयोगकर्ताओं के अनुकूल होने के कारण विषम स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों में प्रभावी रूप से **रक्ताल्पता ज्ञात करने तथा उनके प्रबन्धन** में प्रथम पंक्ति कार्मिकों को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है।
3. स्वचालित रिपोर्टिंग प्रणाली (Automated Reporting System) मैन्युअल कार्य प्रणाली (Manual Reporting System) के बोझ तथा लगने वाले समय में बचत करते हैं इसके साथ ही डेटा विश्लेषण द्वारा बेहतर निर्णय लेने एवं अनिवार्य परामर्श देने की क्षमता में वृद्धि करते हैं।
4. नवोन्मेषी इंटरवेशन में वृद्धि करते हुए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों तक पहुच सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जिससे सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

जिलाधिकारी, मुरादाबाद

केस-40 जनपद-वाराणसी: वाराणसी जिले में न्यूट्री गार्डन के माध्यम से पोषण की स्थिति में सुधार"

कार्यान्वयन का स्थान	:	**जनपद वाराणसी के 08 विकास खण्डों के 694 ग्राम पंचायत**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग**
क्षेत्र	:	**ग्राम पंचायत**
अभ्यास का वर्ष	:	**2022-23**

पृष्ठभूमि

बाल विकास पुष्टाहार विभाग 0-6 वर्ष के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिले में 3914 आंगनबाडी केंद्र संचालित कर रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के साथ-साथ गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुपोषित बच्चों के परिवारों का सर्वे करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि परिवार में बनने वाले भोजन में गेहूं-चावल-आलू(कार्बोज) का बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है, किन्तु हरी साग सब्जियों का प्रयोग कम किया जा रहा है । माह अप्रैल 2022 में पाया गया कि 16.85% बच्चे कुपोषित थे, जिनमें से लगभग 2% बच्चे गंभीर रूप से कम वजन की श्रेणी में थे।कम वजन वाले बच्चों के प्रतिशत को राष्ट्रीय आंकड़े के 5.8% तक कम करना, साथ ही SAM और MAM बच्चों की संख्या को न्यूनतम करना है।

हस्तक्षेप

ग्राम स्तर पर कुपोषित बच्चों की माताओं एवं अन्य परिवारी जनों का एकत्र कर हरी साग सब्जियों को नियमित रूप से भोजन में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया और मॉडल के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिका की स्थापना की गयी और उसी के अनुरूप लाभार्थियों को अपने घरों में भी पोषण वाटिका की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया । जनपद में 2305 पोषण वाटिका स्थापित है । पोषण वाटिका में आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं अन्य सम्बन्धित सहयोगियों के माध्यम से हरी एवं मौसमी सब्जिया यथा पालक, बथुआ, लौकी, नेनुवा, सीता फल, सहजन इत्यादि उगायी जा रही हैं, इन पोषण वाटिकाओं से उत्पादित सब्जियॉ कुपोषित बच्चें, एवं गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं को वितरित की जा रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रयों द्वारा इन लाभार्थियों के घरों का भ्रमण कर, इन साग-सब्जियों को अपने भोजन में सम्मिलित करने को बार-बार जागरूक किया जाता है । परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में उतरोत्तर सुधार हो रहा है ।

प्रभाव

आज से एक वर्ष पूर्व जो महिलाएं पहले पोषण वाटिका एवं किचेन गार्डेन लगाने से दूर भागती थी, आज उन्हीं महिलाओं में पोषण वाटिका एवं किचन वाटिका के प्रति उत्साह देखने को मिला है। गांव में इस तरह की

आयी जागरूकता आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा किये गये सतत प्रयास का परिणाम है। एक तरफ जहां पोषण वाटिका में हरी सब्जियों में अधिक मात्रा में आयरन की उपलब्धता होने के कारण महिलाओं में एनीमिया के स्तर में संतोषजनक सुधार हो रहा है, वहीं अतिकुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में भी लगातार सुधार हो रहा है, जिसके कारण पोषण वाटिका के तरफ ग्रामीण महिलाओं में आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है

मुख्य परिणाम

कमजोर गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा सब्जियॉ उपलब्ध कराते हुए, उसके आहार में शामिल करवाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। सामुदायिक बैंठको एवं लाभार्थी के घरो में गृह भ्रमण कर आहार से सम्बन्धित व्यवहार परिर्वतन करने हेतु जो प्रयास किये गये हैं, वह सफलता की दिशा में अग्रसर हैं।

विकल्पों को बढ़ावा

पोषण वाटिका/ न्यूट्री गार्ड निर्मित किये जाने हेतु ग्राम सभा की बैठकों एवं VHND के माध्यम से सभी महिला एवं उनके परिवार को इसके लिए जागृत किया जा रहा है, साथ ही अग्नि समय मे जनपद में बनने वाले AWC हेतु जमीन का चयन इस प्रकार किया जा रहा है ,जिससे AWC के साथ ही न्यूट्री गार्डन का भी निर्माण किया जाय।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

जनपद में लोगों के सहयोग से जनपद में 2305 पोषण वाटिका स्थापित किये गए है । इसके कुछ दृष्टान्त निम्नवत है:-

घरों मे किचन गॉर्डेन/न्यट्री गॉर्डेन

उक्त कार्यक्रम से प्रेरित होकर तेजी से आंगनबाड़ी केन्द्र-अमनी, मटुका, रसूलहां की की गर्भवती महिलाए पूजा देवी, सूरसती देवी, सुमन देवी, राजकुमारी एवं धात्री महिलाए किरन देवी, अनीषा देवी एवं 7 माह से 03 वर्ष के लाल (श्रेणी) के बच्चें जो अरसद, तान्या, आदित्य इत्यादि के अभिभावकों ने पोषण वाटिका का निर्माण अपने घरो में ही कर लिया हैं। घरों मे किचन गॉर्डेन/न्यट्री गॉर्डेन का बनाया जाना, यह अपने आप में एक प्रमाण हैं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चल रहा पोषण वाटिका अभियान जो शुरू किया गया हैं वह धीरे-धीरे लाभार्थियों के घरो तक पहुच रहा ह।

सारांश

आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों के साथ-साथ गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण पूरक पोषण, स्कूल पूर्व शिक्षा और पोषण परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान किया जाता है ,जिससे कोई भी मत और बच्चे कुपोषण के शिकार न हो साथ ही किशोरियों का भी पूर्ण विकास हो सके।कुपोषित बच्चों के परिवारों के सर्वे में यह प्रकाश में आया कि ऐसे परिवारों द्वारा हरी साग सब्जियों का प्रयोग कम किया जा रहा है । वर्ष 2022 में यह पाया गया कि 16.85% बच्चे कुपोषित थे, जिनमें से लगभग 2% बच्चे गंभीर रूप से कम वजन की श्रेणी में थे। जनपद में कुपोषित बक्सहों की संख्या को कम करने और कुपोषित बच्चों को स्वस्थ्य रहने के लिए ग्राम स्तर पर कुपोषित बच्चों की माताओं एवं अन्य परिवारी जनों का एकत्र कर हरी साग सब्जियों को नियमित रूप से भोजन में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित किया गया और मॉडल के रूप में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिका की स्थापना की गयी और उसी के अनुरूप

लाभार्थियों को अपने घरों में भी पोषण वाटिका की स्थापना के लिए प्रेरित किया गया । जनपद में 2305 पोषण वाटिका स्थापित है । आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा इन लाभार्थियों के घरों का भ्रमण कर, इन साग-सब्जियों को अपने भोजन में सम्मिलित करने को बार-बार जागरूक किया जाता है । परिणाम स्वरूप कुपोषित बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में उतरोत्तर सुधार हो रहा है ।

प्राप्त सीख

जनपद में कुपोषित बच्चों की संख्या और उनकी माताओं को भी स्वस्थ्य रहने लिए आवश्यक है कि सरकारी प्रयास के साथ साथ सभी ग्रामीण परिवारों को पोषण वाटिका के संबंध में जागृत किये जाने की आवश्यकता है।

दिनेश कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाराणसी, 7007918645,dpoicds@gmail.com

केस-41 जनपद-वाराणसी: स्वस्थ दृष्टि, समृद्ध काशी

कार्यान्वयन का स्थान : **जनपद वाराणसी के 8 ब्लॉक एवं 100 वार्ड (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र)**
कार्यान्वयन एजेंसी : **जिला प्रशासन एवं श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट**
क्षेत्र : **वाराणसी जिले की सभी 50+आयु वर्ग के लोग।**
अभ्यास का वर्ष : **23-2022**

पृष्ठभूमि

स्वास्थ्य और विकास आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि स्वस्थ लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और अधिक उत्पादक होते हैं, जिससे उन्हें अधिक कमाने और बचत करने में मदद मिलती है, जो देश की संपत्ति में योगदान देता है। केंद्र और राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया है, और अब, "सामूहिक सामर्थ्य" की भावना के साथ, सभी हितधारक स्वस्थ्य दृष्टि और समृद्ध काशी के साथ-साथ एक स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण में योगदान दे रहे हैं।
अंधेपन में भारी कमी के बावजूद, अनुपचारित मोतियाबिंद देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। यह अभी भी भारत में अंधेपन और दृश्य हानि का प्रमुख कारण बना हुआ है

हस्तक्षेप

- माननीय प्रधान मंत्री से प्रेरणा लेते हुए, जिला प्रशासन द्वारा श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सहयोग से "स्वस्थ दृष्टि, समृद्ध काशी" नामक एक समानांतर पहल शुरू की जा रही है, जिसका उद्देश्य 50+आयु वर्ग वालों के बीच आंखों की समस्याओं की पहचान करना है। मोतियाबिंद से पीड़ित 50 से अधिक आयु वर्ग को मुफ्त चश्मा प्रदान करना, मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी प्रदान करना और काशी क्षेत्र में नेत्र देखभाल से संबंधित जागरूकता पैदा करना।
- प्रारंभ में "स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी" कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा श्री सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ के साथ मीटिंग आयोजित कर यह अभियान की अवधि, स्थान, प्रचार प्रसार के बारे में रणनीति बनाया गया। यह अभियान नवम्बर 2022 से चलाया जा रहा है जो दिसंबर 2023 तक चलेगा।
- इस अभियान को मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र. एवं श्री मनसुख भाई मंडाविया, मा0 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से नेत्र ऑपरेशन हेतु मरीजों के प्रथम batch को दिसंबर 2022 में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय, चित्रकूट के लिए रवाना किया गया।
- स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा श्री सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट के सहयोग से विभिन्न स्थानों पर आशा और आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए आंखों की देखभाल से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रतिभागी को एक प्रशिक्षण किट भी दिए गए, जिससे दृष्टि स्क्रीनिंग करने में सहयोग मिल सके।100 सदगुरु विज़न स्क्रीनर्स के एक समूह के भी 50+आयु वर्ग के बीच आंखों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए घर-घर स्क्रीनिंग करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
- मोतियाबिंद और अपवर्तक त्रुटि की पहचान करने के लिए 50 से अधिक आयु वर्ग के घर-घर जाकर जांच की गई। यह पहलश्री सदगुरू ट्रस्ट चित्रकूट एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के सहयोग से किया गया साथ ही चिन्हित व्यक्तियों को में निःशुल्क चश्मा और मोतियाबिंद सर्जरी प्रदान की गई।

- दूसरी ओर, मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को रेफर किया जाता है और सर्जिकल हस्तक्षेप के लिए बेस अस्पताल लाया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज को उनके संबंधित स्थान पर वापस भेज दिया जाता है।
- गतिविधियों को समय पर पूरा करने और 50+ आयु वर्ग के बीच 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, चुनौतियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन और श्री सदगुरू सेवा संघ ट्रस्ट के टीम के सदस्यों के साथ अलग-अलग कई समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान आने वाली जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभागों के साथ नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं।

प्रभाव

दिनांक 28 अक्टूबर 2023 तक **"स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी"** कार्यक्रम में, 50 से अधिक आयु वर्ग के 669709 लोगों की जांच की गई, मोतियाबिंद के 18021 रोगियों की पहचान की गई, 5495 रोगियों की मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी की गई और 39295 रोगियों को क्रमशः नि:शुल्क चश्मे दिए गए।28 अक्टूबर 2023 तक, काशी क्षेत्र में 50 से अधिक आयु वर्ग के बीच नेत्र देखभाल संबंधी जागरूकता पैदा करने और घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने के लिए कुल 5345 आशा और आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

मुख्य परिणाम

दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को की गई गतिविधियों के परिणाम निम्नवत हैं:-

क्र.	विवरण	उपलब्धि
1	वाराणसी जिले की आंगनवाड़ी एवं आशा प्रशिक्षितों की संख्या	5345
2	डोर टू डोर स्क्रीनिंग में जांचे गए मरीजों की संख्या	669709
3	मोतियाबिंद पहचान के लिए समुदाय आधारित शिविरों में भाग लेने वाले संदर्भित रोगियों की संख्या	69659
4	समुदाय आधारित शिविरों में चश्मे के साथ निर्धारित मरीजों की संख्या	39295
5	समुदाय आधारित शिविरों में जांच के दौरान मोतियाबिंद सर्जरी के लिए चयनित मरीजों की संख्या	18021
6	एसएनसी चित्रकूट में मोतियाबिंद सर्जरी के लिए भर्ती मरीजों की संख्या	5495
7	एसएनसी चित्रकूट में मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गये मरीजों की संख्या	5173

विकल्पों को बढ़ावा

"स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी" पहल वाराणसी जिले में स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाने और अंधेपन की घटनाओं को कम करने के लिए समर्पित है। यह परियोजना मुख्य रूप से मोतियाबिंद के साथ अपवर्तक त्रुटि वाली 50 से अधिक आयु वर्ग के बीच नेत्र देखभाल प्रदान करने और भारत में दृश्य हानि और अंधापन के प्रमुख कारणों के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है।कार्यक्रम का लक्ष्य जिले की पूरी 50+ आयु वर्ग, लगभग 700,000 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना है।

सारांश

"प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान" प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में मोतियाबिंद से प्रेरित अंधेपन के बैकलॉग को खत्म करना है। देश में रोकथाम योग्य अंधेपन में मोतियाबिंद का महत्वपूर्ण योगदान है और यह अभियान बड़े पैमाने पर इस मुद्दे से निपटने का प्रयास करता है।प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित काशी प्रशासन, स्वास्थ्य प्रभाग के नेतृत्व और श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के सहयोग से काशी में "स्वस्थ दृष्टि, समृद्ध काशी" अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 50 से अधिक आबादी के बीच घर-घर जाकर जांच करने के लिए आशा और आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, आंखों की देखभाल से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए समुदाय-आधारित स्क्रीनिंग शिविर,

मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी, मुफ्त चश्मा और दृश्य हानि से निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। माह अक्टूबर 2023 तक डोर टू डोर स्क्रीनिंग में जांचे गए मरीजों की संख्या-669709 है, जबकि मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गये मरीजों की संख्या-5173,शिविरों में मुफ्त चश्मे दिए गए मरीजों की संख्या-39295 है।

डॉ संदीप कुमार बिस्वास, अपर सांख्यकीय अधिकारी/कंट्रोलरूम इन्चार्ज, वाराणसी, 9415372758, sb3587@gmail.com

क्षेत्र
प्राथमिक शिक्षा

केस-42 जनपद-पीलीभीत: कला एवं क्राफ्ट के द्वारा गणित विषय को सीखना

कार्यान्वयन का स्थान : **पीलीभीत**
कार्यान्वयन एजेंसी : **व्यक्तिगत - विनय कुमार पाण्डेय (सहायक अध्यापक)**
क्षेत्र : **बेसिक शिक्षा विभाग पीलीभीत।**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि

गणित जैसे अमूर्त और नीरस विषय के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु कला एवं काफ्ट का विशेष योगदान रहा है। जिससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता, अभिरूचि, कल्पनाशीलता एवं बहुआयामी प्रतिमा का विकास होता है विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रहता है। कला एवं काफ्ट का प्रयोग विद्यार्थियों को गणित विषय के प्रति अनवेषी बनाता है जिससे गणित विषय रूचिकर, बाल केन्द्रित एवं सीखने हेतु आनन्ददायक वातारण उत्पन्न होता है। कला एवं कापट के द्वारा बहुत सरलता से गणित विषय की अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार गणित विषय की अमूर्त अवधारणाओं को विभिन्न कला रूपों का प्रयोग करके समझाने में आसान और मूर्त रूप दिया जा सकता है। सीखने के इस तरीके से विषय के बारे में ज्ञान और समझ को बढ़ाने में मदद मिलती है।

हस्तक्षेप

कला एवं क्राफ्ट के प्रयोग से सृजनात्मक विकास के साथ मस्तिष्क के विकास, निपुणता, आत्म सम्मान एवं रचनात्मकता के अवसर प्रदान करती है। कला एवं क्राफ्ट के प्रयोग द्वारा जब गणित विषय की विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रगुणों को समझाया गया तथा जब विद्यार्थियों द्वारा स्वयं इसको सत्यापित किया तो विषय के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। हमारे विद्यालयों में सीखने सीखाने की प्रक्रिया में कला एवं क्राफ्ट के प्रयोग का समावेश गणित विषय के साथ हो जाये तो यह न सिर्फ बच्चों के लिए रूचिकर बल्कि शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी उनकी कक्षा बाल-केन्द्रित आनन्ददायक होगा।

प्रभाव

इस नवाचार का प्रयोग जूनियर स्तर के परिषदीय विद्यालयों में किया जा रहा है। जब छात्रों को कला एवं काफ्ट का प्रयोग करके गणित विषय की अवधारणाओं एवं प्रगुणों को समझाया गया तो उनके सीखने की गति में वृद्धि हुई गणित विषय के सीखने सीखाने में कला एवं क्राफ्ट के विभिन्न स्वरूपों को शामिल किया जाये तो गणित विषय रूचिकार बाल केन्द्रित एवं विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं कल्पना शीलता का विकास होता है गणित जैसे अमूर्त विषय के प्रति लगाव एवं उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्र स्वयं "करके सीखना चाहता है। जिससे विषय के प्रति उत्सुकता एवं जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

मुख्य परिणाम

यह देखा गया है कि परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं में छात्रों की तुलना में गणित विषय के प्रति रूचि कम होती है। कला एवं काफ्ट के प्रयोग के द्वारा गणित की अवधारणाओं को जब सिखाया गया जिससे छात्राओं का गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हुई एवं विद्यालयों में छात्राओं की उपस्थिति में भी वृद्धि हुई। भविष्य में वैज्ञानिक / इंजीनियर क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश की छात्राओं का प्रवेश बढ़ेगा।

विकल्प को बढाये

यदि कला एवं काफ्ट के द्वारा गणित विषय को पढ़ाया जाये तो गणित विषय और भी अधिक रूचिकर एवं विद्यार्थियों का विषय के प्रति लगाव बढ़ेगा कला एवं कापट के उपयोग से विद्यार्थियों में सृजनात्मक एवं कल्पनाशीलता का विकास होगा जिससे कलात्मक गतिविधियों में शामिल विद्यार्थी अन्य विषयों में भी तुलनात्मक रूप से सक्रिय, कुशा एवं तीव्र मस्तिष्क के होते हैं जो हमारे देश के भावी इंजीनियर / वैज्ञानिक होगे।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- तृतीय राज्य स्तरीय (2022) कला काफ्ट एवं पपेटी प्रतियोगिता उच्च प्राथमिक स्तर गणित विषय में प्रतिभागिता।
- चतुर्थ राज्य स्तरीय कला, काष्ट एवं पपेट्री प्रतियोगिता उच्च प्राथमिक स्तर गणित विषय में पुरस्कृत।

विनय कुमार पाण्डेय, सहायक अध्यापक, बेसिक शिक्षा विभाग, ईमेल- vkp412013@gmail.com मो-.नं. 8630808067, 8393867067

केस-43 जनपद-कासगंज: बच्चों का शैक्षणिक विकास

कार्यान्वयन का स्थान : **कम्पोजिट विद्यालय नौगवां, विकास क्षेत्र-सहावर, जनपद-कासगंज**
कार्यान्वयन एजेंसी : **गरिमा प्रचण्डिया, सहायक अध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय नौगवां, सहावर, कासगंज**
क्षेत्र : **परिषदीय विद्यालय, बेसिक शिक्षा विभाग।**
अभ्यास का वर्ष : **2023-24**

विषय: जादूई वर्णमाला

पृष्ठभूमि

इसमें सबसे पहले छात्रों को 12 वर्ण सिखाए गए। फिर किसी वर्ण में डंडा, पूंछ, लड्डू, लॉलीपॉप, चोटी जैसी आकृति मिलाकर दूसरा वर्ण सिखाया गया। ये शब्द छात्रों के वातावरण से संबंधित एवं रोचक हैं। छात्र रूचि से सीखते हैं। जैसे- उ में पूंछ लगाई जाए तो ऊ, इ में चोटी लगाई तो ई, अ में डंडा तो आ आदि इसी प्रकार से वर्ण सिखाए जाते हैं।

उद्देश्य

- वर्णों की पहचान।
- रोचक ढंग से वर्णज्ञान।

प्रभाव

सीखने का स्तर

छात्रों को इस तरह से अक्षर ज्ञान कराने से आगे की कक्षाओं के लर्निंग आउटकम प्राप्त करने में सरलता होगी। मानसिक स्तर से कमजोर छात्र भी सरलता से सीख सकते हैं।

मुख्य परिणाम

कक्षा 1 के 80 प्रतिशत छात्र सभी वर्ण पढ़ना और लिखना दो माह में सीख गए तथा मात्र आठ माह में कक्षा 1 के 90 प्रतिशत छात्र निपुण हो चुके हैं।

विषय: हम हैं निपुण बालक / बालिका

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत अभियान के रूप में निपुण भारत मिशन चलाया गया जिसमें उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को 2025-26 तक निपुण बनाना है इसके लिए छात्रों को विभिन्न गतिविधियों और तकनीकियों की सहायता से

सिखाया जाता है। छात्रों का उत्साहवर्धन किया जाता है। छात्रों को निपुण बनाने में अभिभावकों की भी महती भूमिका है।
छात्रों में स्वरूचि उत्पन्न करने, अन्य छात्रों को प्रेरित करने एवं अभिभावकों को जागरूक करने हेतु विद्यालय में ऑफिस की दीवार पर हम हैं निपुण बालक नामक बोर्ड लगाया गया है जिस पर निपुण छात्रों की फोटो चस्पा की जाती है। जो छात्र निपुण लक्ष्य एप पर टैस्ट पास कर लेता है उसकी फोटो लगायी जाती हैं जिससे अन्य छात्र भी मेहनत करते हैं।

उद्देश्य

- छात्रों को निपुण बनाने हेतु
- छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने हेतु
- अभिभावकों को जागरूक करने हेतु

मुख्य परिणाम

इस नवाचार से छात्रों के निपुण परिणाम में वृद्धि हुई। निपुण छात्रों की संख्या कक्षा 1 में 5 से बढ़कर 14, डेढ़ माह में हुई। वर्तमान सत्र के मात्र 8 महीने में विद्यालय के कक्षा-1 से 3 तक के 90 छात्र निपुण हो चुके हैं एवं हमारा विद्यालय निपुण विद्यालय हो चुका है।

विषय: नन्हे पत्रकार

पृष्ठभूमि

विद्यालय में छात्रों द्वारा नौगवाँ की चहक नामक अखबार लिखा जाता है। इसमें विद्यालय में समय-समय पर होने वाले कार्यक्रमों और विद्यालय संबंधी विशेष जानकारी को छात्र लिखते हैं। विशेष सूचनाएं जो छात्र संबंधी हैं, उन्हें भी लिखा जाता है और छुट्टी के समय घर जाने से पहले असेम्बली में पढ़कर चयनित छात्र द्वारा सुनाया जाता है।
छात्र अपनी इच्छानुसार आगे आते हैं, शिक्षक चयन करते हैं जो छात्र सूचना तैयार करते हैं उन्हीं के द्वारा सूचना सुनाई जाती हैं।

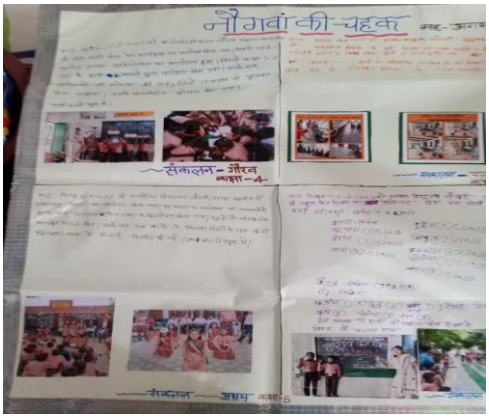

उद्देश्य

- छात्रों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु
- छात्रों में लेखन क्षमता वृद्धि हेतु
- छात्रों में वाचन क्षमता विकसित करने हेतु

प्रभाव

शैक्षिक

- छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हुई है। अन्य छात्र भी प्रयत्न कर सीखने का प्रयास करते हैं।
- छात्रों में आत्मविश्वास के साथ-साथ लेखन क्षमता की वृद्धि हुई है। छात्रों का पर्सनलिटी डेवलपमेंट हुआ है।
- व्यावसायिक- छात्रों में पत्रकारिता संबंधी व्यावसायिक गुण का विकास भी हुआ है।

मुख्य परिणाम

- छात्र अपने स्तर के अनुसार लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति कर चुके हैं।

विषय: नहीं रूकेंगे नन्हे कदम

पृष्ठभूमि

यह पुस्तिका कोविड जैसी संकट कालीन स्थिति के समय जब छात्र शिक्षकों तक और शिक्षक छात्र तक नहीं पहुँच पा रहे थे, उस समय अचूक अस्त्र की तरह उपयोग में आई। प्रशासन द्वारा जो शिक्षण सामग्री यू-ट्यूब पर भेजी जाती थी, उसे छात्रों तक पहुँचाने के लिए यह बनाई गयी। ग्रामीण परिवेश में सभी के पास स्मार्टफोन न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। उस परिस्थिति में प्रशासन द्वारा प्रेषित सामग्री को पेज पर वर्कशीट के रूप में उतारकर फोटोस्टेट कराकर बाँटा गया तथा चैक कराकर वापस दिया गया।

उद्देश्य

- कोविड जैसी विशेष परिस्थितियों में भी अध्ययन में रुकावट न होना।
- क्रमबद्ध एवं सही ढंग से सीखना।
- अभिभावकों को छात्रों अध्ययन की तरफ रूचि जागृत करना।

प्रभाव

- कोविड के बाद स्थिति को सुधारने में (शिक्षणस्तर) थोड़ी सी सरलता हुई। लम्बे समय के बाद भी विद्यालय खुलने पर भी छात्रों का अधिगम स्तर कुछ हद तक अनुकूल रहा।

समाजिक

- अभिभावकों के मन में सरकारी विद्यालय की छवि के संदर्भ में अच्छी विचारधारा बनी। अभिभावक छात्रों की शिक्षा के प्रति जागरूक हुए।

विषय: निपुण पुस्तिका

पृष्ठभूमि

इस निपुण पुस्तिका का नाम 'आओ हिन्दी सीखें है। यह पुस्तक भाषा के सु,बो,प,लि (सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना) के क्रम पर आधारित है। वर्ण पहचान, लेखन, से लेकर

कहानी, कविता, पठन तक क्रमबद्ध रूप से सिखाने के लिए लगभग 70 गतिविधियाँ उपलब्ध हैं। इस पुस्तक में चित्रों एवं रोचकता से परिपूर्ण गतिविधियाँ हैं।

उद्देश्य

- छात्रों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हेतु
- छात्रों को हिन्दी भाषा में निपुण बनाने हेतु
- क्रमबद्ध रूप से हिन्दी भाषा के शिक्षण में सहायक

प्रभाव

शैक्षिक

यह पुस्तक छात्रों के पठन के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुँचाने में महती भूमिका का निर्वहन करती है। छात्र रोचक ढंग से पढ़ रहे हैं। छात्रों के पठन स्तर में वृद्धि हुई है। कमजोर स्तर का छात्र भी किताब पढ़ रहा है।

मुख्य परिणाम

नई शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत अल्पसमय में ही विद्यालय निपुण विद्यालय बन चुका है।

विषय: निपुण भारत मिशन मेला

पृष्ठभूमि

छात्रों को निपुण बनाने हेतु निपुण भारत मिशन मेले का आयोजन विद्यालय में मेरे द्वारा 3 अक्टूबर 2022 को किया गया। इस मेले में कक्षा 1, 2, 3 के छात्रों द्वारा निपुण लक्ष्यों से संबंधित टी.एल.एम. और प्रोजैक्ट के 6 स्टॉल्स विभिन्न नामों से लगाये गए। यथा-गणित, पर्यावरण, छोटी मशीन, भाषा, बड़ी मशीन एवं सामान्य ज्ञान एवं तर्क।

गणित नामक स्टॉल पर गणित किट, कक्षा 3 के छात्रों द्वारा शिक्षिका के निर्देशन में बनायी गणित बुक **''आओ गणित सीखें'** तथा गणित के वर्किंग चार्ट रखे गये थे। पर्यावरण स्टॉल पर कक्षा 2 और 3 के छात्रों द्वारा जानवर, पक्षी, फल, सब्जी, फूल के त्रिभाषा सूत्र (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत) संबंधी बनाये चित्र, चार्ट रखे थे। छोटी मशीन स्टॉल पर कक्षा 1 के छात्रों द्वारा बनायी जोड़ एवं घटाव मशीन रखी थी। भाषा नामक स्टॉल पर कक्षा 1 के छात्रों द्वारा शिक्षिका के निर्देशन में बनायी ''आओ हिन्दी सीखें'बुक, 'शब्द संसार' नामक किताब रखी थी। बड़ी मशीन स्टॉल पर गुणा व भाग की मशीन के क्रियान्वयन को समझाने के लिए कक्षा 3 के छात्र उपस्थित थे। सामान्य ज्ञान एवं तर्क स्टॉल पर कुछ चित्र, पोस्टर एवं एक्टिविटी बुक रखी थी। जिसे कक्षा 2 के छात्र समझा रहे थे। इस अवसर पर ब्लॉक के सभी ए.आर.पी. उपस्थित थे जिनके सामने छात्रों ने प्रत्येक टी.एल.एम. को एक्सप्लेन किया।

इसके बाद सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और फूलमाला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर छात्रों के अभिभावक भी उपस्थित थे।

उद्देश्य

- छात्रों और अभिभावकों को निपुण भारत मिशन के प्रति जागरूक करने के लिए

- छात्रों में प्रस्तुतीकरण की क्षमता विकसित करने हेतु
- रचनात्मक एवं तार्किक प्रवृत्ति का विकास

प्रभाव

समाजिक

समाचार पत्र में प्रकाशन और यू-ट्यूब चैनल पर प्रसारण के बाद यह कार्यक्रम जनपद कासगंज में सुर्खियों में रहा और आम लोगों की परिषदीय विद्यालयों के प्रति धारणा बदली।

मुख्य परिणाम

अभिभावकों की जागरूकता बढ़ी। छात्रों में आत्मविश्वास और एक्सप्लेन करने की क्षमता बढ़ी। इस प्रकार के क्रियाकलापों से छात्रों की उपस्थिति बढ़ी। जिससे विद्यालय निपुण विद्यालय हो चुका है।

विषय: ब्रेन डेवलपमेन्ट एक्टिविटीज

पृष्ठभूमि

विद्यालय के छात्रों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज नाम से एक किताब बनायी गयी है। इस किताब में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित से संबंधित लगभग 50 एक्टिविटीज हैं। इन गतिविधियों से छात्रों की सीखने की क्षमता में संवर्धन किया जा सकता है। ये गतिविधियाँ कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए उपयोगी एवं सार्थक हैं।

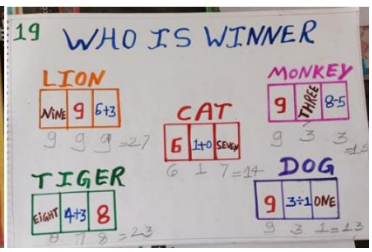

प्रभाव

मानसिक विकास

इससे छात्रों की तर्क शक्ति, चिंतन आदि मानसिक शक्तियों का विकास कर आईक्यू लेवल विकसित किया जा सकता है। मानसिक क्षमता का विकास होने से वह आगे की सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभाग सफलतापूर्वक कर सकता है।

शैक्षिक

जिन छात्रों का आईक्यू लेवल सामान्य से कम या जो छात्र लर्निंग गैप की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी यह गतिविधि बहुत उपयोगी।

शैक्षिक वातावरण

छात्रों के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को करने से उनमें किसी भी विषय को विभिन्न पहलुओं में देखने की क्षमता में वृद्धि ।

मुख्य परिणाम

छात्रों के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई के साथ विद्यालय निपुण ।

विषय: स्टार एवं फ्लॉवर ऑफ द डे

पृष्ठभूमि

प्रार्थना सभा में प्रार्थना के बाद छात्र गीत, कविता, सुविचार तथा विषय संबंधी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बैज प्रदान किए जाते हैं। छात्र को स्टार ऑफ द डे और छात्रा को फ्लॉवर ऑफ द डे दिया जाता है। सत्र के प्रारंभ से अंत तक जिस छात्र के पास सबसे ज्यादा बैज होते हैं उसे स्टार ऑफ द ईयर (छात्र) फ्लॉवर ऑफ द ईयर (छात्रा) दिया जाता है। इसका अभिलेखीकरण भी किया जाता है। छात्र अभिलेखों में अपना नाम देखकर प्रसन्न होते हैं।

वर्ष 2015 से अनुदेशक के रूप में इस नवाचार का प्रयोग प्रदेश में प्रथम बार मेरे द्वारा किया गया। फिर 2021 से वर्तमान विद्यालय में मेरे द्वारा सहायक अध्यापक के रूप में किया गया।

उद्देश्य

- छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु
- छात्रों को अनुशासित बनाने हेतु
- छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता उत्पन्न करने हेतु

प्रभाव

शैक्षिक

इस क्रियाकलाप से छात्र प्रार्थना सभा में समय से आने लगे हैं। छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई है। छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ा है।

सामाजिक

छात्र पूर्ण गणवेश में आने लगे हैं। छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हुई है। छात्रों और अभिभावकों में विद्यालय के प्रति रूचि और सम्मान की भावना विकसित हुई है। छात्रों में प्रतियोगिता की सकारात्मक भावना विकसित हुई है।

मुख्य परिणाम

छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई तथा छात्रों के मानसिक स्तर तथा अभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि हुई है।

गरिमा प्रचण्डिया, सहायक अध्यापक, कम्पोजिट विद्यालय नौगवां, सहावर, कासगंज

केस-44 जनपद-वाराणसी: बुलावा अभियान

कार्यान्वयन का स्थान : **जनपद वाराणसी के 08 विकास खण्डों एवं नगर क्षेत्र में**
कार्यान्वयन एजेंसी : **बेसिक शिक्षा विभाग**
क्षेत्र : **150 प्राथमिक एवं कंपोसिट विद्यालयों में**
अभ्यास का वर्ष : **2023-24**

पृष्ठभूमि

निपुण भारत मिशन तथा मूलभूल साक्षरता एंव संख्यात्मक कौशल के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का स्तर उच्च हो। प्रायः देखा गया है कि विद्यालय में जिन बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत अधिक रहती है उनके अधिगम संबंधी आउटकम भी उच्च स्तर के होते हैं वहीं निम्न उपस्थिति वाले बच्चे के लर्निंग आउटकम भी निम्न स्तर के होते हैं। अतः बच्चों की उपस्थिति उनके अधिगम का प्रभावी कारक है। माह जुलाई, 2023 के अंतिम सप्ताह में जनपद के समस्त विद्यालयों से बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत का विवरण मंगाया गया तथा यह देखा गया की जिन विद्यालयों में उपस्थिति प्रतिशत कम है वहां के बच्चों में लर्निंग आउटकम का स्तर भी कम है।

हस्तक्षेप

प्रारम्भ में कम उपस्थिति वाले विद्यालयों को चिन्हित किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 150 विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिनांक 09 अगस्त 2023 से 09 सितम्बर, 2023 तक एक माह का ''बुलावा अभियान'' प्रारम्भ किया गया। विद्यालयों से मंगाई गई सूची में से न्यूनतम उपस्थित प्रतिशत वाले 150 विद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया तथा जिला प्रशासन के निर्देशन में विकास भवन में गठित कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रतिदिन सभी 150 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को फोन करके उनसे उस दिन की बच्चों एवं शिक्षकों की उपस्थिति ली गई। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक , अध्यापकों को प्रेरित किया गया कि विद्यालय नही आ रहे बच्चों के अभिभावक एवं बच्चों से मिलकर उनके स्कूल नही आने जे यथोचित कारण जानते हुए स्कूल आने के लिए प्रेरित किये जायें।इज़के लिएवप्रतिदिन प्रधानाध्यापक इस कार्य हेतु बनाये गए व्हाट्स एप्प ग्रुप पर फोटोग्राफ्स शेयर करते थे, साथ ही रैंडम आधार पर विद्यालय के उपस्थिति पंजिका का भी अभिलेखीयकरण कराया गया, जिससे वास्तविक स्थिति का आंकलन हो सके। इज़के अतिरिक्त निम्न प्रयास भी किये गए:-

1- सभी अध्यापक समय बद्ध रूप से विद्यालंयों में उपस्थित हो, इसलिए शिक्षकों की प्रतिदिन उपस्थिति ली गई।
2- विद्यालय मे प्रतिदिन असेंबली हो इसको सुनिश्चित करना।
3- जो बच्चे स्कूल नही आ रहे है, उनके अभिभावक के साथ PTM आयोजित कर अवगत कराना।
4- प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाले PTM में सभी अभिवाहकों को बच्चे के परफॉर्मेंस के संबंध में अभिवाहको को अवगत कराना।

प्रभाव

बुलावा अभियान के कारण सभी 150 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं ग्राम प्रधान घर घर जाकर अनुपस्थित चल रहे बच्चों के अभिवाहक से मिले, उनको बच्चे के विद्यालय में अनुपस्थित रहने के संबंध में बताया गया, साथ ही अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेने का आग्रह किया गया।

- प्रथम 15 दिवस में ही 17 विद्यालयों में औसत उपस्थिति 85% रही, जिसके कारण उनके स्थान पर अन्य 17 विद्यालय को आगामी पक्ष हेत बुलावा अभियान में चयनित कर उपस्थिति ली गई।
- जनपद के 150 विद्यालयों का अभियान के पूर्व औसत 49.82% था, अभियान के पश्चात विद्यालयों में उपस्थिति का औसत 71.8% है, लगभग 22% की उपस्थिति में वृद्धि हुई है।
- विद्यालयों में अध्यापको की सक्रियता बढ़ी, जिसके कारण वे अनुपस्थित बच्चों के अभिवाहकों से संपर्क करना शुरू किए।
- अकर्मण्य शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई, जिसके फलस्वरूप शिक्षक समय से उपस्थित रहने लगे।
- जिन विद्यालयों में औसत उपस्थिति अभियान से पूर्व 50% थी, उनके उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई उदाहरण स्वरूप-शिक्षा क्षेत्र बड़ागांव का P/s नेवादा भीटी 89.58%(अभियान से पूर्व 25%), आराजीलाइन का Ps रामरायपुर, 88.72% (अभियान से पूर्व 55%), और बड़ागाँव विकास खण्ड का ps Dhodhaipur 86.54% (अभियान से पूर्व 53%),

मुख्य परिणाम

- कम उपस्थिति वाले इन 150 विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है।
- अभिवाहकों का रुझान भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए बढ़ा है।
- PTM के माध्यम से बच्चों की शिक्षा में रुचि एवं प्रगति से अवगत कराने से अध्यापक एवं अभिवाहकों के मध्य अच्छा समन्वय बना।
- इस अभियान से 60- 70 % के मध्य कुल 76 विद्यालयों में औसत उपस्थिति 73.51% रही, जो पहले औसत उपस्थिति 56.52% था, इसी प्रकार 70- 80 % के मध्य 36 विद्यालय है, जिनका अभियान से पूर्व 55.74% था,इसी प्रकार 80-90% के मध्य 14 विद्यालय पाए गए जिनका पूर्व में औसत उपस्थिति 49.65% था।
- इस अभियान से निम्नांकित तीनो अंतरालों में औसत उपथिति में वृद्धि क्रमशः 17% 18.68% एवं 34.11% की वृद्धि पाई गई।

विकल्पों को बढ़ावा

बुलावा अभियान के सकारात्मक परिणाम आने से सभी अच्छे विद्यालयों के प्रधनाध्यपक को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया, आगामी समय मे अन्य कम प्रगति वाले विद्यालयों में यह अभियान चलाया जाना है, यह अभियान प्रगति प्रास्थिति बढ़ाने का प्रयास है, जिससे जनपद में सभी विद्यालयों में न्यूनतम उपस्थिति 80- 90 % के मध्य किया जा सके।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां: अभियान के प्रगति का आंकलन एवं निर्वचन

मध्यांतर	विकास खण्ड/ शिक्षा क्षेत्र	इस अभियान के अन्तर्गत अन्तराल के मध्य विद्यालयों की उपस्थिति (संख्या)	बुलावा अभियान के पूर्व औसत उपस्थिति (% में)	बुलावा अभियान के दौरान औसत उपस्थिति (% में)	बुलावा अभियान के फलस्वरूप उपस्थिति की बृद्धि (% में)
60-70	कुल 09 विकास खण्ड एवं नगर जोन	76	56.52	73.51	17.00
70-80		36	55.74	74.42	18.68
80-90		14	49.65	83.76	34.11

सारांश

वर्ष 2022-23 में स्कूल चलो अभियान के बाद भी विद्यालंयों में बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कर पाना एक चुनौती था।निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव का स्तर उच्च हो। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति प्रतिशत अधिक होने पर उनके अधिगम संबंधी आउटकम भी उच्च स्तर के होते हैं ,इसलिए बच्चों की उपस्थिति उनके Outcomes का प्रभावी कारक है।इस धारणा को ध्यान रखते हुए कम उपस्थिति वाले विद्यालयों को चिन्हित किया गया और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 150 विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए दिनांक 09 अगस्त 2023 से 09 सितम्बर, 2023 तक एक माह का ''बुलावा अभियान'' प्रारम्भ किया गया। जनपद के 150 विद्यालयों का अभियान के पूर्व औसत 49.82% था, अभियान के पश्चात विद्यालयों में उपस्थिति का औसत 71.8% है, लगभग 22% की उपस्थिति में वृद्धि हुई है।

प्राप्त सीख

इस प्रकार की अभिनव प्रयासों को अधिक से अधिक विद्यालयों में प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है, जिससे चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों में औसत उपस्थिति बढ़ती रहे और जनपद के सभी विद्यालयों में औसत उपस्थिति 90% से अधिक हो सके।

डॉ अरविन्द पाठक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, mobile-9453004187,डॉ संदीपकुमार बिस्वास, अपर सांख्यकीय अधिकारी/कंट्रोलरूम इंचार्ज, वाराणसी, 9415372758, sb3587@gmail.com

केस-45 जनपद-वाराणसी: विद्या शक्ति परियोजना

कार्यान्वयन का स्थान : **100 परिषदीय विद्यालय**
कार्यान्वयन एजेंसी : **बेसिक शिक्षा विभाग**
क्षेत्र : **ग्राम पंचायत**
अभ्यास का वर्ष : **2022-23**

पृष्ठभूमि

कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों को और भी स्पष्ट करने की दृष्टि से ऑनलाइन लाइव क्लास चलाया जाना अतिआवश्यक है। ऑनलाइन लाइव सत्र में मातृभाषा के माध्यम से त्वरित संदेह निवारण किया जाना अतिआवश्यक है। इससे निरंतर सूक्ष्म मूल्यांकन से समृद्ध किया जाना आवश्यक है। विद्या शक्ति प्रोजेक्ट इस समस्या का समाधान करती है।

हस्तक्षेप

1- प्रोजेक्ट विद्या शक्ति के माध्यम से जिले के 100 स्कूलों के कक्षा 6 से 8 तक के 1000 बच्चों को आईआईटी मद्रास के शिक्षकों और छात्रों द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पढ़ाया जाता है।
2- वर्तमान वाराणसी जिले के चिन्हित 100 परिषदीय स्कूलों में से 70 स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड/टी0वी0 पूर्व से ही उपलब्ध है तथा अवशेष 30 स्कूलों के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक स्मार्ट टी0वी0 संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
3- गांव के एक स्थानीय व्यक्ति को केंद्र समन्वयक के रूप में नामित किया गया है।
4- ऑनलाइन कक्षा के लिए स्कूल समय के बाद 60 मिनट का स्लॉट निर्धारित किया गया है। दिनांक 14 अप्रैल 2023 से लाइव ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गईं है।
5- प्रत्येक दिन, लाइव कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। कक्षा के अंत में, छात्रों को ऑनलाइन शिक्षकों से संदेह पूछने का अवसर भी मिलता है।
6- प्रत्येक सप्ताह, सतत मूल्यांकन के भाग के रूप में बच्चों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं।

प्रभाव

1- इस कार्यक्रम से 100 गांवों के लगभग 5000 ग्रामीण छात्र लाभान्वित होते हैं। इन पाठों ने स्कूली बच्चों पर बड़ा प्रभाव डाला है और विज्ञान पाठों में उनकी रुचि कई गुना बढ़ गई है।
2- विद्याशक्ति अभियान के कारण अन्य विद्यालयों में भी इस अभियान के प्रारंभ करने का आग्रह अध्यापक एवं अभिवाहकों द्वारा किया जा रहा है।
3- स्मार्ट क्लास एवं विद्याशक्ति अभियान के कारण बच्चे स्कूल के प्रति स्वयं प्रेरित हुए हैं।

मुख्य परिणाम

- लगभग 5000 विद्यार्थियों को विद्याशक्ति का लाभ मिला है।
- 2-बच्चों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी ज्ञान में वृद्धि हुई है।

विकल्पों को बढ़ावा

1- निजी स्कूलों की तरह बेहतर संसाधनों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
2- प्रोजेक्ट विद्या शक्ति की तरह बच्चों को कक्षा की पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियाँ/कैरियर उन्मुख शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।
3- जिस तरह 2 ब्लॉक सेवापुरी और काशीविद्यापीठ को स्मार्ट क्लास में तब्दील किया गया है, उसी तरह अन्य ब्लॉकों के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास बनाई जानी है।
4- विद्याशक्ति हेतु चयनित 100 विद्यालयों के अतिरिक्त आगामी समय अन्य विद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1- कक्षा 6 से 8 के 100 स्कूली छात्र आईआईटी मद्रास के शिक्षकों/छात्रों से गणित और विज्ञान सीखते हैं।
2- दो विकास खण्डों के सभी विद्यालयों को स्मार्ट क्लास बनाया गया है, जिससे 5000 बच्चे लाभान्वित हुए हैं।

सारांश

विद्या शक्ति केंद्रीकृत लाइव ऑनलाइन शिक्षण के साथ इसके लिए अत्यधिक लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। विद्या शक्ति विज्ञान और गणित के प्रयोगों और आभासी वास्तविकता पाठों के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। मातृभाषा में पढ़ाना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, धीमी गति से पढ़ाना और कक्षा 6 से 8 तक पर ध्यान केंद्रित करना विद्या शक्ति की मुख्य विशेषताएं हैं। यह कार्यक्रम वंचित छात्रों तक पहुंच प्रदान करता है और हर गांव के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का साधन प्रदान करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रेरित करना है और सीखना प्रेरणा का परिणाम बन जाता है।

प्राप्त सीख

इस अभिनव पहल से यह समझने का मौका मिला कि जनपदों में ग्रामीण विद्यालयों को भी निजी विद्यालयों की भांति आकर्षक, उचित वातावरण, शिक्षक की अनिवार्य उपलब्धता है, जिससे ग्रामीण बच्चे जो प्रायः परिवार के साथ गृह कार्य मे संलिप्त हो जाते है और स्कूल छोड़ देते है,ऐसे में आकषर्क तरीके एवं नवीन पद्धति से अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के ओर बच्चों का रुझान बढ़ाने का ये अनोखा तरीका है।

डॉ अरविन्द पाठक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, mobile-9453004187,varanasi.bsa@gmail.com